March 2015
Volume 1
Number 1

gacc journal

Covering Researches in all fields of Humanities, Languages, Social Services, Commerce and Management

'A' Grade

THE OFFICIAL PUBLICATION OF SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE GOVERNMENT ARTS AND COMMERCE COLLEGE, INDORE

EDITOR IN CHIEF :

Dr. Roshan Benjamin Khan
Head, Department of English
SABV GACC, Indore (M.P.)
email: roshanisuper@yahoo.co.in

EDITORIAL BOARD :

Dr. Anoop Vyas
Head, Department of Commerce
SABV GACC, Indore (M.P.)
email: anoopvyas29@gmail.com

Dr. Ashwini Sharma
Professor, Department of Political Science
SABV GACC, Indore (M.P.)
email: drsharmaashwini@gmail.com

Dr. Ashish Pathak
Professor, Department of Commerce
SABV GACC, Indore (M.P.)
email: ashishpathakgacc@gmail.com

Dr. Pramod Upadhyay
Professor, Department of Hindi
SABV GACC, Indore (M.P.)
email: pramodupadhyaya26@gmail.com

Dr. Pramila Shere
Professor, Department of History
SABV GACC, Indore (M.P.)
email: pramila_shere@rediffmail.com

MAILING ADDRESS :
Shri Atal Bihari Vajpayee Government Arts & Commerce College
A.B. Road, Near Bhanwarkuan Square, Indore (M.P.)
Postal Code: 452017
email: principalgaccindore@rediffmail.com
Website: www.gaccindore.org

gacc journal
March 2015, Volume-1, Number-1

TECHNICAL ASSISTANCE :

Bhupendra Verma

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि हमारे महाविद्यालय का शोध जर्नल "gacc journal" ऑनलाईन प्रस्तुत हो रहा है।

वर्तमान समय में ज्ञान के विविध आयाम खोजे जा रहे हैं। जिनकी प्रस्तुति शोध के क्षेत्र में मौलिक सोच और कार्य के रूप में निरंतर परिलक्षित हो रही है। इसी संदर्भ में "gacc journal" ऐसे प्रयासों को सार्थक रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

मेरी शुभकामनाएँ।

(डॉ. एस. एल. गर्ग)
प्राचार्य

Welcome to gacc journal, a new twice-yearly e-journal on the research papers contributed by the scholars from various departments in our college. The name is, to be sure, a nod to the most distinctive feature of a college that has been accredited by NACC as "A" last year. But it also speaks to a pervasive belief on this campus that within the D.A.V.V University of Indore (M.P), Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College holds a unique and central place. This Journal aims at "We are a college which is one of the biggest centers of research that draws each year number of students who enroll themselves as research scholars under a faculty that is decidedly qualified.

And we aim to teach our students the skills and virtues of the scholar." It is our first step in becoming a centripetal force within the University as more and more, students are dispatched to sites around to learn, work, internships and make a difference each year.

The research papers published in the first volume gacc journal reflects intellectual approaches, a broad critical thinking in the interdisciplinary scholarly culture that is one of this institution's great distinctions. Talk to any faculty member who teaches in the College and they will tell you that their time in classroom and working with colleagues from different disciplines broadens their research horizons and makes them better scholars.

gacc journal dedicated to publishing original, critical, and analytic papers from all disciplines. Each paper published undergoes peer review process. We hope you enjoy every stop of the research papers being published in this issue as they illuminate our efforts to encourage a bend in scholarly pursuits among students and faculty. gacc journal welcomes submissions of research articles, technical papers, expository articles and works of creative scholarship. We welcome your feedback and will see you again with a new issue.

(Dr. Roshan Benjamin Khan)

INDEX

1.	Dr. Purnima Sharma	कबीर और बौद्धमत	1-5
2.	Dr. Sudeep Chhabra	मध्यप्रदेश के विकास हेतु आवश्यक : लघु उद्योगों का विकास	6-15
3.	Dr. Shiva Khandelwal	राजा भोज की आराध्या वाग्देवी की मूर्ति	16-19
4.	Dr. Sapna Chakraborty	मानव अधिकारों का हनन – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्या	20-22
5.	Prof. Shobhna Vyas	भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग – गुप्त काल	23-27
6.	Dr. Geeta Choudhary	The Thugs – Murderers in Disguise	28-30
7.	Dr. Pramila Shere	मध्यप्रदेश के असहयोग आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका	31-36
8.	Dr. Saroj Ajay	भारत में बाल श्रमिक एवं मानवाधिकार	37-41
9.	Dr. Alka Tomar	Social consciousness and Feminist Persecutor is Shahi Despande's The Dark Holds no Terror and That Long Silence	42-45
10.	Dr. Lata Jain	भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रासंगिकता वर्तमान खुदरा (RETAIL) क्षेत्र के संदर्भ में	46-59
11.	Dr. Alka Jain	भारत में महिला सुरक्षा कानून एवं महिला सशक्तिकरण	60-67
12.	Dr. Prerna Thakur	बुंदेला वीर महाराजा छत्रसाल	68-73
13.	Dr. Rajendra Kumar Bhevandia	Relevance of Dr. Ambedkar's Philosophy in the Current Scenario	74-78
14.	Dr. J.K. Sagore	Renaissance: An Advent into A New Era	79-81
15.	Dr. Sangeeta Mehta	तीर्थंकर महावीर विषयक संस्कृत जैन साहित्य	82-84
16.	Dr. Sandhya Goyal	भारतीय संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण – एक समीक्षा	85-89
17.	Dr. S.S. Thakur	The Depiction of Women Characters and Their Dilemmas in Vijay Tendulkar's *"Silence…The Court is in Session"*	90-95

कबीर और बौद्धमत

श्रीमती डॉ. पूर्णिमा शर्मा
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)

शोध संक्षेपिका

प्रस्तुत शोधपत्र में महात्मा बुद्ध और कबीर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मध्यकाल से पूर्व भारत की प्राचीन धार्मिक अवस्था तथा विचारधारा पर नज़र डालने पर ज्ञात होता है कि हजारों वर्षों से भारत में वेदों की स्थापना और उनकी परम्परा इतनी मजबूत और मान्य रही है कि हमारे आध्यात्मिक और लौकिक कर्म उसी से संचालित होते रहे हैं। गौतम बुद्ध जैसे क्रांतिकारी और सजग चिंतक ने मुक्ति के लिए नैतिक आचरण को न केवल अपनाया अपितु उसे व्यावहारिक रूप भी दिया। मध्यकाल में यही क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित करने का कार्य कबीर ने किया। बुद्ध और कबीर दोनों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास का डटकर विरोध कर प्रगतिशीलता का मार्ग समाज को बताया। यह मानवतावाद की विजय थी।

शब्द कुंजी – क्रांतिकारी, नैतिक आचरण, अंधविश्वास, आध्यात्मिक, मानवतावाद।

प्रस्तावना –

हमारे सांस्कृतिक जीवन में नैसर्गिक परिवर्तन के कतिपय अवसर आए हैं। इतिहास की स्मृति में सामाजिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण अवसर छठी श.ई.पू. बौद्ध धर्म के अभ्युदय का आया था। भारतीय संस्कृति की श्रीसंपन्नता में इस धर्म के कारण काफी अभिवृद्धि हुई और भारतीयों को जीवन के प्रति अपने एक विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास करने में काफी सहायता प्राप्त हुई।

हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रांति का द्वितीय अवसर भक्ति आंदोलन के रूप में आया। निरंतर मुस्लिम आक्रांताओं के उत्पीड़न के फलस्वरूप हिन्दुओं का शौर्य और पराक्रम कुण्ठाग्रस्त हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में भक्ति–प्रेम मिश्रित ईश्वर भजन के आंदोलन ने एक अनुकूल वातावरण निर्मित किया। डॉ. श्रीवास्तव का मत है कि – ''दूर–दूर तक फैलकर भक्ति आंदोलन सदियों तक आधे महाद्वीप को प्रभावित करता रहा.....बौद्ध धर्म के पतन के बाद भक्ति आंदोलन जैसा देशव्यापी जन–आंदोलन हमारे देश में दूसरा नहीं

हुआ।'' भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रवर्त्तक और अग्रणी संत कबीर और बौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में आधारभूत समानता दिखाई देती है। बुद्ध दर्शन का आधार चार आर्य सत्य हैं जिसमें प्रथम आर्य सत्य है – दुःख सत्य अर्थात् जन्म, वृद्धावस्था, मरण, शोक–रूदन, मन की खिन्नता–हैरानी दुख है। अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग भी दुःख है, इच्छा करके जिसे नहीं पाता, वह भी दुःख है। इसी दुःखवाद को कबीर ने अपने दोहे में इस प्रकार बताया है –

कबिरा मैं तो तब डरौ, जो मुझ ही में होइ।
मीचु, बुढापा, आपदा, सब काहू पै सोई।।

दुःख सत्य का विवेचन करने के उपरांत बुद्ध ने 'द्वितीय आर्य सत्य' दुःख–समुदय (=दुःख हेतु) की विवेचना की है। दुःख का कारण तृष्णा है। कबीर ने भी विश्वव्यापी दुःख का कारण तृष्णा (आशारूपिणी तृष्णा) को ही माना है कबीर ने बताया है –

''जो देखा सो दुखिया देखा। तन घर सुखिया कोई न देखा।
जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तापस को दुःख दूना।
आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सूना।।''

दुःख निरोध तृतीय आर्यसत्य है। उसी तृष्णा से अशेष वैराग्य, उस तृष्णा का निरोध, त्याग प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनासक्ति – दुःख निरोध के विषय में यही आर्यसत्य है। कबीर ने भी अनेक स्थानों पर आशा तृष्णा के विरोध के लिए मन को मारने की बात कही है –

'माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गये सरीर।
आसा–तृस्ना नां मुई, कहि गया दास कबीर।।'

चतुर्थ एवं अंतिम आर्य सत्य दुःख निरोध–गामिनी प्रतिप्रद (= दुःख–निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग) है। महात्मा बुद्ध ने अपने पाँच, साथियों को यह उपदेश दिया था जो 'धर्मचक्र–प्रवर्तन' के नाम से विख्यात है। ''मध्यमा प्रतिपदा'' बौद्ध मत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजकुमार सिद्धार्थ जीवन का सब सुख भोग चुके थे और विरक्त होकर तप द्वारा अपने शरीर को सुखा भी चुके थे। दोनों अतियों के उपरांत उनको बोध हुआ कि दोनों अतियों असेवनीय है, मध्यमा प्रतिप्रदा ही ज्ञान, शांति और निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। 'अति सर्वत्र वर्जयेत' का उपदेश भी दिया गया है। इसी बात को कबीर ऐसे कहते हैं –

'अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप।

अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।।'

अष्टांगिक मार्ग 'मध्यमा प्रतिपदा' का स्वाभाविक रूप है। सदाचार संहिता जिन बातों का प्रचार कर रही थी, उनको समझकर ग्रहण करने का संकेत अष्टांगिक मार्ग में है। कबीर की साखियाँ इसी कारण जनता में इतनी लोकप्रिय हो सकी। अष्टांगिक मार्ग है – सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। सम्यक् दृष्टि और सम्यक् संकल्प का संबंध 'प्रज्ञा' से है। जो प्रज्ञावान नहीं है वह सदा अपने दुर्भाग्य और परिस्थितियों पर रोता ही रहता है पर जो सम्यक् दृष्टि युक्त ज्ञानी है वह अपने भाग्य और परिस्थितियों को भोगता हैं कबीर इसे इस प्रकार कहते हैं :–

देह धरे का दण्ड है सब काहू पै होय।
ज्ञानी भुगतै ज्ञान करि, मूरख भुगतै रोय।।

यदि सम्यक्–दृष्टि सम्यक संकल्प प्राप्त है तो उनकी अभिव्यक्ति सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त और सम्यक् आजीविका में होनी ही चाहिए। कबीर ने कथनी और करनी के भेद की कटु आलोचना की है –

कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय।
कथनी तजि करनी करैं, विष तै अमृत होय।।

सम्यक् वाणी के लिए उनका कथन था –

ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करै, आपहु शीतल होय।

तथागत् ने कर्मान्त के अन्तर्गत अहिंसा, अस्तेय तथा इंद्रिय–निग्रह पर बल दिया है और सम्यक् आजीविका के अंतर्गत पांच प्रकार शास्त्रों, पशुओं, मांस, मद्य, विष के व्यापार का निषेध किया है उसी बात को कबीर अपने दोहे में कहते हैं –

जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस, पर–नार।
जो चाहै दीदार को, एंती वस्तु निवार।।

कबीर अपरिग्रह पर बल देते हुए कहते हैं –

सांई इतना दीजिए, जा में कुटुम समाइ।
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाइ।।

अष्टांगिक मार्ग के अंतिम तीन अंग हैं – सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि। सम्यक् प्रयत्न को सम्यक् व्यायाम कहते हैं। सम्यक् प्रयत्न का अर्थ है – अकुशल भाव का वर्जन, अकुशल भाव का त्याग, कुशल भाव का समावेश और कुशल भाव का रक्षण। कबीर की साखियों में इन चारों रूपों के उदाहरण मिलते हैं। सम्यक् स्मृति से अभिप्राय' 'काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों की ठीक स्थितियों– उनके मलिन,क्षण विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना।' कबीर काया की मलिनता पर कहते हैं –

'हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास।
सब तन जलता देख करि, भया कबीर उदास।।'

सम्यक् समाधि पर संत कबीर की प्रसिद्ध साखी है –

'मैं भमरा तोहि बरजिया, बन बन वास न लेइ।
अटकेगा काहू बेलि से, तड़पि–तड़पि जिय लेई।'

सभी साधनाओं का लक्ष्य निर्वाण है। बुद्ध कहते हैं – जिस प्रकार भिक्षुओं, तेल के रहने से, बत्ती के रहने से, दीपक जलता है और तेल तथा बत्ती के समाप्त हो जाने तथा दूसरी (तेल–बत्ती) के न रहने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार भिक्षुओं, शरीर छूटने पर मरने के पश्चात् जीवन के परे, अनासक्त रहकर अनुभव की गयी वेदनाएँ यहीं ठण्डी पड़ जाती हैं।'' इसी प्रकार से दृष्टांत का उपयोग मोक्ष प्रतिपादन के लिए किया है –

'दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट।
पूरा कीया बिसाहुणाँ, बहुरि न आवौं हट्ट।।'

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोधपत्र में महात्मा बुद्ध और कबीर के विचारों की साम्यता पर प्रकाश डाला गया है। मोक्ष की अवधारणा पर कहीं मार्ग परिवर्तित दिखाई देता है। कबीर ने सद्गुरू की सहायता से ईश्वर को प्राप्त कर लिया –

परबत परबत मैं फिरा, नयन गँवायें रोइ।
सो बूटी पाऊँ नहीं, जातैं जीवन होइ।।

अर्थात् समर्पण कर निर्मल बन जाना यही जीवन का लक्ष्य है। वहीं बुद्ध विचारपूर्वक मन की शुद्धि एवं संयम पर बल देते हैं, निष्क्रिय समर्पण पर नहीं। बुद्ध का मार्ग बुद्धिवादी है, विश्वासी मात्र नहीं। दुख से मुक्ति होने का वह मनोवैज्ञानिक प्रयास है, अधीर संतोष मात्र नहीं। धर्म का सार 'धम्मपद' की एक गाथा में संचित कर दिया गया है –

'सब्बपापस्य अकरणं। कुसलस्स उपसम्पदा।।'

सचित्त परियोदपनं। एतं बुद्ध न सासनं।।

(अशुभ कर्मों का न करना, शुभ कर्मों का करना और चित्त को संयम में रखना– यही बुद्धों की शिक्षा है)

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1) शर्मा एल. पी. – प्राचीन भारत, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, 2012, पृ. 102

2) रघुवंश – कबीर एक नई दृष्टि, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998, पृ. 21

3) स्नातक विजयेंद्र – कबीर, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली, 2004, पृ. 225

4) खुराना के. एल. – मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा प्रकाशन आगरा, 2004, पृ. 101

5) वर्मा हरिश्चंद्र – मध्यकालीन भारत भाग–1, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली वि. वि., 1996, पृ. 486

6) खुराना के. एल. – भारत का सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, 2013 पृ. 105

मध्यप्रदेश के विकास हेतु आवश्यक : लघु उद्योगों का विकास

डॉ. (श्रीमती) सुदीप छाबड़ा
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

सारांश

भारत में प्रत्येक दृष्टिकोण से लघु एवं कुटीर उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं। इसी कारण स्वतंत्रता के पश्चात प्रत्येक योजना में इन उद्योगों को ऊँचा स्थान दिया गया है। यद्यपि उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण के आधार पर मौजूदा आर्थिक सुधार और विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों सहित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में जो परिवर्तन हुए उससे लघु उद्योगों के समक्ष कुछ नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई है। यह उद्योग बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं क्योंकि वित्त, आधुनिक तकनीक, विपणन सुविधाएँ आदि इनकी प्रमुख समस्याएँ रहती है। निजीकरण, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों की इन समस्याओं का बढ़ना स्वाभाविक है परन्तु सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उनमें यह इकाइयाँ प्रतिस्पर्धा के लिए निरन्तर तैयार हो रही है।

शब्द कुँजी : उदारीकरण, वैश्वीकरण, विपणन, दोहन।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम देश का संतुलित विकास चाहते हैं तो हमें लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को भी वृहद औघोगिक क्षेत्र में विकास के समतुल्य महत्व प्रदान करना चाहिए। वास्तव में वृहद उघोग केवल वहीं स्थापित हो सकते हैं जहाँ पूँजी अधिक हो, विशेष प्राकृतिक तथा अन्य संसाधन हो, उन्नत तकनीक हो, किन्तु लघु उघोगों का विकास सीमित संसाधनों के होने पर भी संभव होता है। इनकी स्थापना से स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है, जनशक्ति की की कुशलता का उपयोग होता है एवं निर्मित सामग्री की खपत स्थानीय अथवा निकटवर्ती बाजार में हो जाती है जिससे परिवहन के साधनों पर व्यय भी कम हो जाता है। ये सूक्ष्म, लघु उद्योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक कड़ी

का कार्य करते हैं। इन उघोगों का महत्व इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि जब सरकार ने जुलाई 1991 में नई औघोगिक नीति की घोषणा की उसके तत्काल बाद ही 6 अगस्त 1991 को एक नई पृथक औघोगिक नीति की भी घोषणा की गई।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघोगों के सुदृढ़ विकास के लिए संसद द्वारा पारित लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात् 2 अक्टूबर 2006 से प्रभावी बना दिया गया। वर्तमान में देश के कुल औघोगिक उत्पादन में लघु एवं कुटीर उद्योगों का भाग 49% है। वर्ष 1950 में लघु उघोग इकाइयों की संख्या 16000 थी जो 2010–11 तक बढ़ कर 285.16 लाख हो गई।

मध्यप्रदेश भारत का हृदय स्थल है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा एवं जनसंख्या की दृष्टि से छठा बड़ा राज्य है। प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में तो प्रदेश की उन्नति हुई है किन्तु औघोगिक दृष्टि से राज्य में विकास की गति धीमी है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में अभी तक जो विकास हुआ है उसमें काफी विषमतायें मौजूद है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना अनिवार्यता है। प्रदेश में उत्पन्न विषमता की खाई को भरने के लिए सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उघोगों को उन्नत करना आवश्यक है इसलिए ही कहा जाता है कि यदि हम मध्यप्रदेश का विकास चाहते हैं तो इसके लिए राज्य में लघु एवं मध्यम उघोगों का विकास आवश्यक है।

मध्यप्रदेश में संसाधनों की उपलब्धता

प्रदेश प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से सम्पन्न है इसलिए यहाँ औघोगिक संभावनाएँ भी भरपूर है।

महत्वपूर्ण खनिजों के आधार पर

मध्यप्रदेश में बहुत से महत्वपूर्ण खनिज पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं, इनमें कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा लौह अयस्क जैसे खनिज उल्लेखनीय है। इसके अलावा हीरे के उत्पादन में मध्यप्रदेश का एकाधिकार है। प्रदेश में खनिजों के भण्डार निम्न तालिका एवं रेखाचित्र से स्पष्ट है –

तालिका

मध्यप्रदेश में खनिजों के अनुमानित भंडार एवं भार में प्रतिशत

खनिज	अनुमानित भंडार (मिलियन टनो में)	मध्यप्रदेश का भार में हिस्सा
कोयला	26,853	15.38
चूना पत्थर	8218	12.00
लौह अयस्क	2470	22.00
डोलोमाइट	1638	36.00
बॉक्साइट	194	12.00
ताम्र अयस्क	193	36.00
रॉक फास्फेट	46	40.00
मैग्नीज अयस्क	18	13.00
टिन अयस्क	29	99.00
हिरा	100	100.00
स्त्रोत – उद्यमिता, फरवरी 2014, पेज नं. 23		

मध्यप्रदेश का भार में हिस्सा

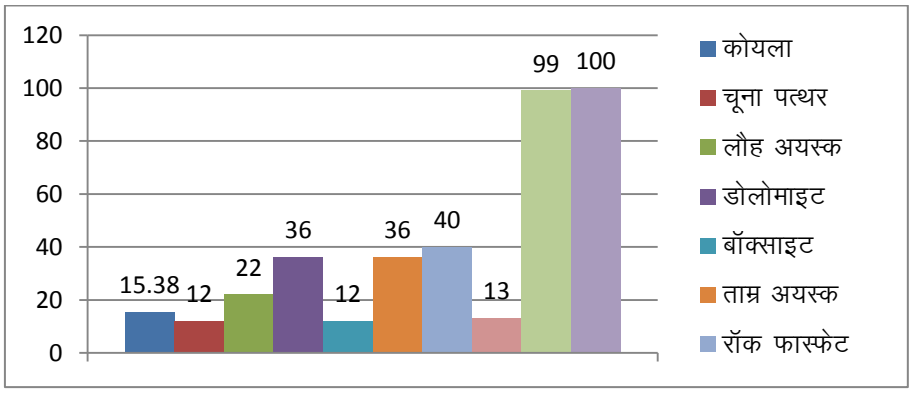

स्त्रोत – उद्यमिता, फरवरी 2014, पेज नं. 23

कृषि के आधार पर

अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ की प्रमुख फसलें खाद्यान्न गेहूँ, दाले तिलहन–सोयबीन, गन्ना, कपास आदि हैं। प्रदेश 'सोया स्टेट' के नाम से प्रसिद्ध है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से 42.8 प्रतिशत कृषक, 28.7 प्रतिशत खेतीहर मजदूर, 4.0 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग 24.5 प्रतिशत अन्य कार्यों में संलग्न है।

अन्य संसाधनों के आधार पर

प्रदेश का 31 प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है पूरे प्रदेश में नदियों का जाल फैला हुआ है। नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में मौजूद है। अतः जल संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है अतः विशाल जनशक्ति के रूप में मानवीय संसाधन भी उपलब्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 7,25,97,565 व्यक्ति हैं। ग्रामीण जनसंख्या 72.4 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या 27.6 प्रतिशत है।

जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं का सवाल है जैसे कच्चा माल, सड़के, बिजली, रेल्वे, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य ड्रेनेज, योग्य कर्मचारी इत्यादी की स्थिति धीरे–धीरे सुधर रही है।

स्पष्ट है प्रदेश में कृषि, वनों, खनिज संपदा पर आधारित अनेक लघु उद्यमों के विकास की अनेकानेक संभानाएँ मौजूद हैं।

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों की स्थिति

प्रदेश में समय–समय पर सरकार द्वारा उढाए गये नीतिगत उपायों से लघु उद्योग क्षेत्र इस योग्य बन गया है कि इसने समग्र औघोगिक क्षेत्र की तुलना में काफी वृद्धि की है जो निम्न तालिका से भी स्पष्ट है –

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों (वित्तीय वर्ष के अनुसार)

वित्तीय वर्ष	सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (संख्या)	विनियोग (लाख रू. में)	रोजगार
2000–2001	8734	7744.38	21805
2001–2002	6338	10697.03	17371
2002–2003	4297	5717.83	12110
2003–2004	15358	9453.01	33709
2004–2005	15873	13359.49	47732
2005–2006	14949	12861.66	32372
2006–2007	16733	17822.16	38958
2007–2008	18582	29827.31	46197
2008–2009	20920	36871.84	46891
2009–2010	19721	25414.24	41302
2010–2011	19856	41316.57	42959
2011–2012	14563	24454.11	30842
स्त्रोत – उद्यमिता, फरवरी 2014, पेज नं. 14			

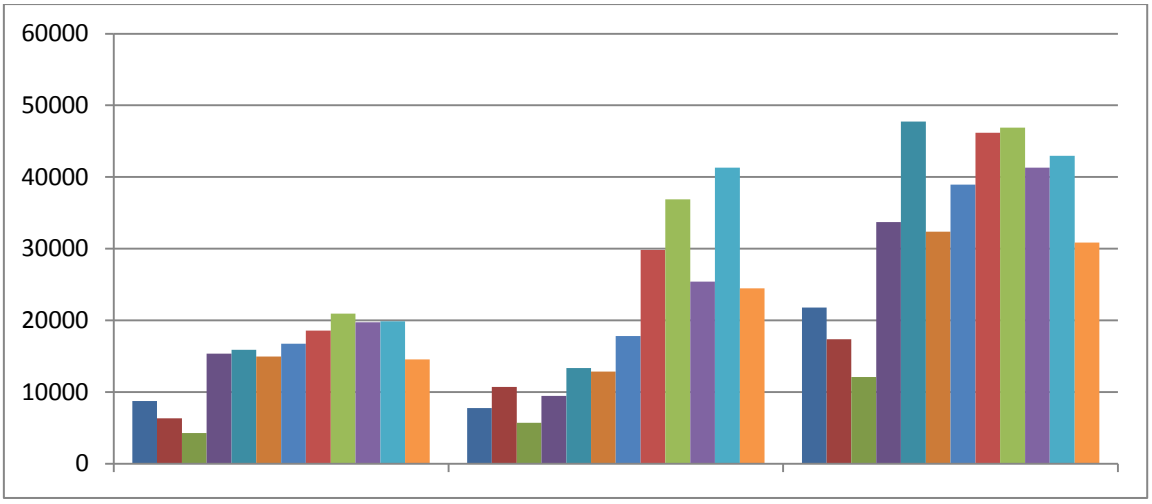

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए अपार संभावनाओं के होते हुए भी विगत वर्ष में इतनी संख्या एवं इनमें कार्यरत ग्रामीणों के रोजगार की मात्रा में कमी देखी गई है जिसका मुख्य कारण विकास में आने वाली समस्याएँ हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याएँ

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य में लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्व है फिर भी इनकी प्रगति अपेक्षित नहीं रही है। वास्तव में इन उघोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण इनकी प्रगति धीमी रही है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ इन प्रकार है –

- औघोगिक क्षेत्र में जमीन चाहने वाले लघु व मध्यम उद्यमों को जमीन का आबंटन नहीं मिल रहा है। ऐसे कई निवेशक है जिन्हें जमीन का आबंटन नहीं मिलने से उद्यम प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं।
- नये उद्यमियों को विभाग द्वारा पर्याप्त जानकारी भी नहीं दी जाती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के कई उद्यमियों का यह कहना है कि उन्हें सही जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है जिससे वे प्लाण्ट प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं।
- देश में होने वाले कुल निर्यात में फिलहाल मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी मात्र दो–तीन फीसदी है। प्रदेश के उद्योग जगत के पास क्षमता तो है लेकिन बेहतर परिवहन की सुविधायें विशेष रूप से रेलवे की सुविधायें नहीं होने से प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। अधिकांश निर्यात सड़क मार्ग से होता है जिससे समय व धन की बर्बादी होती है।

- प्रदेश में पीएनजी की सुविधा तीन वर्षों से उपलब्ध है किन्तु महंगे इन्सटालेशन शुल्क के कारण छोटे उद्योगों के लिए यह दूरी की कौड़ी साबित हो रही है। बॉयलर व बिजली का उपयोग करने से लागत भी बढ़ती है तथा प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
- औद्योगिक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति मांग से काफी कम है यह समस्या हमेशा ही रहती है परन्तु गर्मी से जल संकट अपनी चरम सीमा पर रहता है। जल आपूर्ति की कमी के कारण निजी सप्लायर्स को लाखों रूपयों का भुगतान करना पड़ता है। प्रदेश के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इन्दौर और धार औद्योगिक क्षेत्रों में पानी बड़ी समस्या बनी हुई है। यद्यपि नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना के पूर्व होने से स्थिति में सुधार की संभावना है। तब तक उद्योगों को पानी पर अधिक खर्च करना ही पड़ेगा।
- प्रदेश में खस्ता हाल सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, ड्रेनेज की समस्या और श्रमिकों के लिए अन्य सुविधायें भी पर्याप्त नहीं होने के कारण उद्यमों को परेशानी उठानी पड़ती है।
- वैश्वीकरण के चलते चीन के उत्पादों से प्रतियोगिता बढ़ रही है क्योंकि उनकी लागत कम होने से कीमतें कम होती है ऐसे में प्रदेश में उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चीन में प्रति घण्टा शिपमेण्ट होता है वहीं हमारे यहाँ एक ही कण्टेनर में सात से आठ दिन लगते हैं जिससे लागत भी बढ़ती है तथा समय भी खराब होता है।
- लघु उद्यमों की वित्तीय अक्षमता एक निश्चित तथ्य है। इन उद्यमों की आवश्यकताएँ नीजि साहूकारों से ऋण लेकर पूरी होती है। भारी ब्याज चुकाने के कारण इनकी लागतें बढ़ जाती है। वित्तीय संस्थाओं से इन्हें दीर्घकालीन ऋण मिल सकता है परन्तु इसका प्रतिशत अभी भी काफी कम है।
- लघु उद्योगों को विपणन संबंधी अनेक कठिनाईयाँ उठानी पड़ती है। ब्राण्डेड और विज्ञापित वस्तुओं से लघु उद्यमों के उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं।
- पिछड़ी हुई टेक्नालॉजी और प्रशिक्षण एवं अनुभवी पर्यवेक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण लघु उद्योगों का विकास अवरूद्ध ही रहा है।

- छोटे उद्यमों को आवेदन की स्वीकृति के लिए कहीं अधिक समय लगता है बहुत से लघु उद्यम पारम्परिक एवं आधुनिक समाज के समृद्ध वर्गों की आवश्यकताओं के लिए वस्तुयें तैयार करते हैं। इसलिए राजकीय सहायता का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। चूँकि लघु उद्यमों को लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है अतः बहुत से बड़े उद्यमी लघ्ु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं जैसे दिया सलाई, सिलाई मशीन, साइकिल आदि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयास

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन और विकास के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे है –

- प्रायः इन उद्योगों की सफलता की राह में विपणन एवं वित्त एक प्रमुख समस्या के रूप के सामने आती है। इसके लिए छोटे उद्योगों की अधिक से अधिक एवं विपणन के अवसर अपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। व्यापार एवं निर्यात के विकास की दृष्टि से विभिन्न संस्थाओं पर ट्रेड फेयर, बायर–सेलर मीट आदि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किये जाने की पहल की गई है। इससे प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों के विक्रय हेतु अब अधिक अवसर मिलेंगे।
- छोटे उद्योगों के ऋण प्रकरणों की प्रक्रिया तेज की जायेगी। ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाने पर भी गंभीरता से विचार किया जायेगा जिससे समय की बचत एवं कागजी कार्यवाही की भी बचत होगी।
- उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (CEDMAP) द्वारा भी समय–समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके लघु एवं छोटे उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया जाता है।
- प्रदेश में लघु उद्यमों के उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु 'एपेरेल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर' की भी शुरूआत बहुत जल्द करने का प्रस्ताव है। उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश द्वारा भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं युवा स्वरोजगार योजना

जैसे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका लाभ अनेक उद्यमियों को प्राप्त हो रहा हैं।

- प्रदेश में ऑटों कम्पोनेंट कंपनियों को भी विकसित किया जा रहा है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में अनेक ऐसी कंपनियाँ स्थापित हो गई है जिससे यह क्षेत्र आने वाले समय में काफी विकसित हो सकेगा। इन्दौर के साथ साथ भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में भी यह कंपनियाँ स्थापित की जा रही है जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
- प्रदेश में निवेश हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिये औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के द्वारा अक्टूबर 2014 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले निटोशकों हेतु इन्दौर के आसपास नौ औद्योगिक कलस्टर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि निवेशकों को तैयार जमीन दिखायी जा सके।
- छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्यमियों के लिये नये वित्त वर्ष में 'एक व्यक्ति वाली कंपनी' के नियम पर अमल चालू हो गया हैं। इससे इन उद्यमों के लिये नये अवसरों के द्वार खुल गये हैं।
- फैशन टैक्नालॉजी सेक्टर को बेस्ट बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'विश्व स्किल कॉम्पीटिशन' का आयोजन किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के हुनरमन्द लोगों को अपनी प्रतिभा संपूर्ण विश्व में दिखाने का अवसर मिल सकेगा।
- उद्योगो में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से उद्यमी की लागत में लगभग 15 फीसदी की बचत होती है। फिलहाल उद्योगों को पीएनजी की आपूर्ति की जा रही हैं उसका शुल्क काफी अधिक हैं जिससे छोटे उद्योग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस हेतु प्रदेश के 16 जिलों से होकर जीएसपीएल (गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड) की प्राकृतिक गैस पाइप लाइन परियोजना से दिसम्बर, 2015 से गैस प्राप्त होने लगेगी। जिसका लाभ छोटे व मध्यम उद्योगों को प्राप्त होगा व उनकी लागत कम होगी।
- प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिये प्लास्टिक कलस्टर योजना पर काम किया जा रहा है। इससे प्लास्टिक इण्डस्ट्री में सकारात्मक तेजी आने की आशा है। इसका लाभ छोटे उद्यमियों को होगा।

अतः कहा जा सकता है कि प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा काफी प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु सर्वाधिक आवश्यकता कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन की है। इसमें संदेह नहीं है कि यदि सरकारी नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो लघु उद्योग अर्थव्यवस्था में अपना उचित स्थान प्राप्त कर प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होंगे।

निष्कर्ष एवं सुझाव

2007 से 2013 के मध्य मध्यप्रदेश में विकास दर ने लंबी छलांग लगाई है। 2011–12 में प्रदेश की विकास की दर 12 प्रतिशत रही है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश की विकास दर 28 प्रतिशत रही जो बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश को स्टेट ऑफ द ईयर पुरस्कार सबसे तेज गति से विकास के लिए दिया गया है। गत वर्ष प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार के लिये चुना जाना गौरव का विषय है। बीमारू राज्य से आज प्रदेश विकसित राज्य के रूप में गिना जाने लगा है। लेकिन अभी भी प्रदेश की औद्योगिक उन्नति को तेज करना एक बड़ी चुनौती है विकास की दर को बरकरार रखने एवं आगे और तेज गति से बढ़ाने हेतु लघु उद्यमों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस हेतु कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं –

- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि इन उद्योगों के विकास के लिये 'समन्वित ऋण व्यवस्था' स्थापित की जाये जिसके उचित व्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण दिये जा सकें। लघु उद्यमों के प्रति वित्तिय संरथानों के दृष्टिकोण में भी वास्तविक एवं व्यावहारिक परिवर्त्तन जरूरी हैं।
- प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं सड़क, पानी, बिजली, रेलवे आदि का विकास तेजी से करना आवश्यक है।
- वैश्विक मन्दी से निपटने के लिये इन उद्योगों को विशेष सहायता दी जानी चाहिये ताकि इन्हें बंद होने से बचाया जा सके।
- इन उद्योगों के लिये योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की जरूरत होती है अतः विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ाना आवश्यक है।

- प्रदेश में उद्योगों का केन्द्रीकरण हो गया है जिससे विकास में विषमता उत्पन्न हो गई है। इस विषमता को दूर करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों में उद्यम स्थापित किये जाने चाहिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके।

संदर्भ

- भारत, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, 2011, भारत सरकार
- दत्त, रूद्र एवं सुंदरम, भारतीय अर्थव्यवस्था – एस. चान्द एण्ड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली 2012, पृ. सं. 452 एवं 453
- तथ्य भारती, आर्थिक मासिकी, नवम्बर, 2013 एवं अप्रैल, 2013, पृ. सं. 19 एवं 33
- मेहता महेन्द्र, उद्यमिता, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश, फरवरी 2014, पृ. सं. 23
- नईदुनिया, Indore 11 April 2014, 10 April 2012, 10 May, 20 May 2014, 9 April, 21 April, 7 May, 18 April 2014.

राजा भोज की आराध्या वाग्देवी की मूर्ति

डॉ. श्रीमती शिवा खण्डेलवाल
सहायक प्राध्यापक – इतिहास

शोध सारांश

परमार नरेश भोज के शासन काल में सरस्वती ज्ञान और शौर्य की देवी मानी गई थी। यही वाग्देवी राजा भोज की आराध्या देवी थी जिनकी प्रतिमा का निर्माण उन्होंने अपनी भोजशाला में महिरसुत मणथल से करवाया था। यह प्रतिमा आजकल ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। भोजशाला में स्थित इस वाग्देवी प्रतिमा की राजा भोज के ही काल में नहीं बल्कि बाद की सदियों में भी सतत् आराधना होती रही है।

शब्दकुंजी
वाग्देवी – देवी सरस्वती, प्रतिमा – मूर्ति, शाम्भवी – देवी पावर्ती का नाम, वाग्देवी स्त्रोत – भोज रचित ग्रंथ का नाम।

देवी सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और उसे वाग्देवी, शारदा, भारती, वागेश्वरी आदि नामों से पुकारा जाता है। परमार नरेश भोज के शासनकाल में सरस्वती ज्ञान और शौर्य की देवी मानी गई थी।

कलकत्ता से प्रकाशित रूपम (1924 जनवरी अंक) में के.एन. दीक्षित ने बताया कि ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित प्रतिमा राजा भोज की आराध्या वाग्देवी की प्रतिमा है। डॉ. त्रिवेदी के अनुसार जिसे हम भोजशाला कहते हैं वह तब भारती भवन या सरस्वति कंठाभरण कहलाता था और यह मनोहर प्रतिमा वाग्देवी की है और जो राजा भोज की नगरी (धार) की विद्या को धारण करती थी। अधिकाधिक शीघ्र फल देने वाली इस मनोहर प्रतिमा का निर्माण महिरसुत मणथल ने किया था। यह वि.सं. 1091 में अर्थात् 1034 ई. में निर्मित की गई।[1] सरस्वतीकंठाभरण के रचयिता राजा भोज की आराध्या वाग्देवी सरस्वती रहीं जिसकी अर्चना उसने बार–बार की। उनकी स्तुति में भोज ने न केवल सास्वतीकंठाभरण, श्रृंगार मंजरी कथा, सुभाषित प्रबन्ध और अपने अन्य ग्रन्थों में श्लोक रचे अपितु एक स्वतंत्र वाग्देवीस्त्रोत की भी रचना कर डाली। भोज की यह वाग्देवी की प्रतिमा

भी श्वेत पाषाण की होने से स्वरूप में शुभ्र ही है। श्रृंगार मंजरी कथा में सरस्वती को सौभाग्य एवं यश देने वाली, मकरंद पान प्रिया तथा मधुर मसूणस्निग्ध पदों से नर्तन करने वाली बताया गया है और वाग्देवी के इस स्त्रोत में भी कहा गया है कि वाग्देवी भारती अपने ललित पदों से समूचे जगत के रंगमंच पर नर्तन करती है और सबको नचाती हैं।

राजा भोज की रची जो वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में हैं वह भी अभङलास्य मुद्रा में है ललित पदों से जगत को मोहित करती, सात समुंदर पार समूचे विश्व को अपनी और आकर्षित करती अपनी सरस भावमुद्रा से सबको नचाती है।

इस प्रतिमा के चार हाथो में से आगे के दो हाथों का आधा भाग खंडित और लुप्त है। सिर पर मुकुट, कंधे तक लटकते कानो में कुंडल कंठ में मोतियों का हार वक्षस्थल पर मुकता जटित पट्टी है। उसकी कटि भी चारों ओर से अलंकृत हैं। उसकी सेवा में पाँच अप्रधान आकृतियों हैं दो ऊपर और तीन नीचे। बायीं ओर नीचे एक ऋषि और बौना है और दायीं और संभवतः सिंह वाहिनी पार्वती हैं। बायीं ओर उन पर अपने हाथ में एक माला लिये हुए एक उड़ती हुई नारी मूर्ति है। दूसरी आकृति अस्पष्ट है। देवी ध्यानावस्था में हैं और उसका मुख सुन्दर और शांत हैं। प्रतिमा विद्या विशेषज्ञ श्री ओ.सी. गांगुली ने लिखा है – यह प्रतिमा मनोरम, शांत मुद्रा, मनमोहक और सामन्जस्यपूर्ण मधुर संबंध युक्त है। गरूड़ीय आकारों की चारूता और माधुर्य और शरीर संस्थान के निरूपण के व्यापक नियंत्रण की दृष्टि से जो किसी भी अतिश्योक्ति से प्रायः मुक्त है, यह अपूर्व सौन्दर्य की उत्कृष्ट कृति है। इसकी गतिहीन धारणा का अभाव सर्वाधिक चित्ताकर्षक है जो राजसिक और सात्विक भावो के बीच में प्रायः परिवर्तित होता रहता हैं। कई अन्य कारणो से भी यह मूर्ति अति मूल्यवान है। इसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षणों का समाहार है। इसकी उरुमलै (जांघ अलंकरण) और कार्नेट द्रविड़ शैली के हैं। इसके बाहुओं के अलंकरण हमें बंगाल और उड़ीसा आदि मूर्तियों की याद दिलाते हैं।[2]

स्वर्गीय डॉ. वि.श्री वाकणकर ने 28 अगस्त 1961 में ब्रिटिश म्यूजियम की यात्रा की। 1964 में उन्होंने पुनः वहां की यात्रा की। इसके बाद उनके अग्रज ल. श्री वाकणकर ने भी वाग्देवी के दर्शनार्थ यात्रा की। इन यात्राओं के फलस्वरूप जो तथ्य ज्ञात हुए हैं उन्हें श्री वि.श्री वाकणकर जी ने विस्तार से लिखकर प्रकाशित करवाया है। उनके अनुसार प्रतिमा 4 फुट ऊँची 9 इंच मोटी है तथा 2.5 फुट चौड़ी हैं। उसके चार में से नीचे के दोनों हाथ टूटे

हुए हैं। प्रतिमा के कपाल पर गहरा लाल तथा सुनहरा रंग लगा था। हल्की काले रंग की भौहें, आंखों के बकुलों में आज भी विद्यमान है। प्रतिमा स्थानक है तथा त्रिभंगावस्था में हैं।

प्रतिमा शिल्पशास्त्रानुसार त्रिनेत्रा नहीं है। किन्तु उसके धवल वर्ण होने से ही संगमरमर पत्थर काम में लिया गया है। प्रतिमा के पाद पीठ पर अंकित लेख में उसे विद्याधारी तथा वाग्देवी कहा है। संभव है कि प्रतिमा निर्माण में जैन प्रभाव रहा हो और वह भोज सभा का स्वरूप देखने पर असम्भाव्य भी नहीं है।[3] राजा भोज के अनुसार वाग्देवी का वर्ण शुभ्र होता है। और उसके दो हाथो में पुस्तक तथा अक्षरसूत्र होने चाहिए। वाग्देवी की प्रतिमा शुभ्रवर्णा हैं। उसर्क नीचे के दोनों खंडित हाथो में पुस्तक और अक्षरमाला रही होगी। वाग्देवी की वर्तमान प्रतिमा के चार में से एक मात्र सुरक्षित हाथ में अकुंश है। वह सरस्वती के दशश्लोकी मालामंत्र के अनुरूप ही है।[4]

डॉ. किरीट मंकोड़ी ने वाग्देवी की इस प्रतिमा को वाग्देवी या सरस्वती न मानते हुए इसे बाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की जैन यक्षी अम्बिका सिद्ध करने का प्रयास किया हैं।[5] राजा भोज की जैन परम्परा, जैन आचार्यों और विद्वानों से घनिष्टता थी। उनकी विद्वता का वह आदर करता था और धनपाल आदि अनेक विद्वान को उसने आश्रय भी दिया था। अतः वाग्देवी की प्रतिमा में जैन प्रभाव आ जाना असंभव नहीं है। क्योंकि राजा भोज तो सभी धर्मों की उत्तम बातों को लेकर सबको साथ लेकर सबका समन्वय करने में विश्वास करते थे। परन्तु डॉ. मंकोड़ी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि –

(1) एक तो वाग्देवी प्रतिमा का शिलालेख स्पष्ट कहता है कि यह प्रतिमा वाग्देवी की है।

(2) पहले कहा जा चुका है कि राजा भोज ने वाग्देवी स्त्रोत की रचना ही नहीं की अपितु सरस्वतीकंठाभरण के आरंभ में भी वाग्देवी का ही स्मरण किया हैं।

(3) वाग्देवी शिलालेख में उसे विद्याधरी शाम्भवी कहा हैं परम्परा में पार्वती शक्ति के अनेक नामों में से एक शाम्भवी भी हैं। यह श्लोक बताता हैं कि यह वाग्देवी शाम्भवी परम्परा की है जो राजा भोज की नगरी की विद्याधरी (विद्या धारण करने वाली) है। जैन अम्बिका अर्थ इसलिये नहीं लिया जा सकता कि उसके लिये शाम्भवी शब्द का उपयोग प्रयोग प्रायः नही देखा जाता है। विद्याधरी शाम्भवी नितांत शैव आगमिक रूप हैं जिनकी जड़े पारम्परिक तांत्रिक शाम्भवी विद्या में है। यह वास्तव में नारी प्रतिमा है यह उसके उभरे स्तनों को घेर कर बने आभूषणों से स्पष्ट है। इस वाग्देवी को शाम्भवी दिखाने का यह स्थूल प्रयास रहा है।

(4) वाग्देवी की ही प्रतिमा का एक ही हाथ सुरक्षित है जिसमें अंकुश है। यह दश श्लोकी वाग्देवी मंत्र में भी बताया गया है।

अंकुश चाक्षसूत्रं च पाशमुदगरधरिणीम्।

यह अंकुश भी इस वाग्देवी के शाम्भवी रूप की पुष्टि ही करता है। क्योंकि यह आयुध है जो शाम्भवी के हाथ में अनुकूल रहता हैं। दक्षिण की प्रतिमाओं में यदि यह प्राप्त होता है तो भोज की कला में तो सबका समन्वय है, दक्षिण की कला का भी इसमें समन्वय है। इस बात को डॉ. गांगुली सहित अनेक विद्वान पहले ही कह चुके है।

(5) डॉ. मंकोड़ी ने टूटे हाथो के अज्ञात रूपो में अम्बिका को अपेक्षित वस्तुएं थमाने का असफल प्रयास किया। शेष हाथ अब नहीं बचे हैं अतः उनके विषय में मनचाही कल्पना करना उचित नहीं।

स्पष्ट है कि राजा भोज की आराध्या विद्याधरी शाम्भवी वाग्देवी की प्रतिमा है, जो उसके सरस्वतीकंठाभरण या शारदासदन या भारतीभवन या शालामठ या पाठशाला या भोज की विद्वत सभा में सुशोभित रही, जहाँ कि भोज ही नहीं बाद की सदियो में भी सतत् सरस्वती की आराधना होती रही। यही स्थान बाद में भोज राजा की निसल[6] और भोजशाला के नाम से प्रचलित हो गया। इसके ही परिसर से 1880 ई. के लगभग यह वाग्देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। आइने अकबरी के अनुसार राजा भोज हर छः माह में साहित्यिक उत्सव करता था जिसमें विद्वानो तथा कलाकारों को सम्मानित कर विदा करता था। यह उत्सव स्थल भी संभवतः इसी भोजशाला का परिसर रहा होगा। इसी सरस्वती कंठाभरण प्रासाद में वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा रही होगी जिसे देखकर कवि मदन वही उत्कीर्ण नाटिका का आरम्भ 'ओं सरस्वत्यै नमः' से करता है।

संदर्भ ग्रंथ :

01. गांगुली डी.सी. – परमार राजवंश का इतिहास, अनुवादक लक्ष्मीकांत मालवीय प्रकाशन केन्द्र, सीतापुर रोड़, लखनऊ, पृ. 195
02. गांगुली डी.सी. – परमार राजवंश का इतिहास, अनुवादक लक्ष्मीकांत मालवीय प्रकाशन केन्द्र, सीतापुर रोड़, लखनऊ, पृ. 196,
03. डॉ. वाकणकर वि. श्री का लेख वाकणकर अभिनंदन ग्रंथ, वाकणकर अभिनंदन सामारोह समिति उज्जैन, 1987, पृ. 57–58
04. वही, पृ. 62
05. खरे एम.डी. मालवा थ्रू द एजेस, भोपाल, 1981, पृ. 118–121
06. अय्यंगर पी. टी. श्रीनिवास भोजराजा, अन्नामलाय यूनिवर्सिटी मद्रास, 1931, पृ. 98

मानव अधिकारों का हनन – राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्या

डॉ. एस. चक्रवर्ती
प्राध्यापक – राजनीति विज्ञान

मानव अधिकार के संबंध में प्रचलित विभिन्न विचारधारायें वास्तविक होने की अपेक्षा दार्शनिक तथा सामान्य होने की अपेक्षा विशिष्ठ अधिक रही है। प्लेटों से लेकर आज तक दार्शनिकों, धर्माचार्यों के लिये अधिकार एवं स्वतंत्रता चिन्तन का एक प्रमुख आधार रहा है।

इस संबंध में मुख्यतः तीन विचारधारायें प्रचलित रही हैं –

01. पाशात्य विचारधाराओं में जहाँ खुले समाजों की व्यवस्था है राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों को मौलिक माना जाता है। इनमें उपासना की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा, सम्पत्ति का अधिपत्य आदि प्रमुख हैं।
02. द्वितीय धारणा आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की मौलिक मानती है। इनमें से प्रमुख हैं – रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा का अधिकार आदि। परन्तु स्थिति तो यह है कि इन अधिकारों को महत्व उन देशों के लिये सर्वाधिक है जो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं।
03. अधिकारों के संबंध में तीसरी अवधारणा का विकास आधुनिक आयुद्धों के निर्माण के कारण युद्ध की विभीषिका से मानवता को बेचने के लिये हुआ है।

वर्तमान प्रजातांत्रिक राज्यों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को स्वर्णिम सिद्धांत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

भारत में मानव अधिकारों को न केवल मान्यता प्राप्त हुई अपितु वसुधैव कुटुम्बकम के विचारों को मन्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस वसुधा पर जन्म लिया है उसमें कल्याण की कामना करते हुए इसे सार्वभौमिक स्वरूप भी प्रदान किया।

भारत में मानवाधिकार संरक्षण व्यवस्था ने अनेक क्षेत्रों में शोषण, दमन, अत्याचार से मुक्ति दिलाई है, लेकिन अभी भी यह बाह्यकाल जैसी ही स्थिति में है। उसे अभी ढेरों झंझावतों और मुसीबतों को पार करके मानव मूल्यों और गरिमा को प्रतिष्ठित करना है। मीडिया, स्वयंसी संगठन, महिला संगठन इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। फिर भी यह आवश्यक है कि मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण को शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित

किया जाये। यह भी आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के चाहे वह प्रताड़ित हो अथवा अभियुक्त हो, दोनों में मानवाधिकारों की सुरक्षा की ओर बराबर ध्यान दें। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों की हिरासत के दौरान मृत्यु और दुष्कर्म की घटनायें कम नहीं हुई है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की दुनिया के 91 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिबंध पाया जाता है तथा 101 देशों में लोगों के साथ क्रूर बर्ताव किया जाता है। अंगोला से संनंगल एवं युगाण्डा तक के देशों में प्रदर्शकारियों पर अत्यधिक बर्बरता से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ब्राजील, कोलम्बिया तथा मेक्सिको जैसे देशों में सामाजिक प्रदर्शनकारियों को डराया धमकाया जाता है एवं उनकी हत्याएँ भी करवा दी जाती है। विश्व के 21 देशों में आज भी फांसी की सजा विद्यमान है, चीन ने हजारों लोगों को फांसी पर लटका दिया है। कुल मिलाकर 18,750 लोगों को विश्व के विभिन्न देशों में मौत की सजा सुनायी गयी है, ईरान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब तथा सोमालिया जैसे देशों में लोगों को खुले में सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 60 प्रतिशत मानवाधिकारों में उल्लंघन मामलों का संबंध लघु हथियारों एवं हल्के शस्त्रों से होता है।

अतः एमनेस्टी रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि राज्यों के मध्य ऐसी शस्त्र व्यापार संधि की जाये एक लंबी यात्रा तय करनी है। यह एक विराट अभियान है, इसमें सरकार एवं सरकारी एजेन्सियों से लेकर स्वयंसेवी संगठनों, अदालतों से लेकर मीडिया और सबसे बढ़कर विशाल जनता को सजग और सक्रिय होने की जरूरत है। आवश्यकता है सरकार की नेक निर्यात की। यदि आयोग की सिफारिशें सरकार ही अनदेखी करेगी तो आयोग कमजोर तो होगा ही, एक दिखावा मात्र रह जायेगा। व्यवस्था कभी कोई दोषी नहीं होती, दोष होता है उससे जुड़े लोगों में, यदि वे बदनियति रखेंगे तो व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती है। अतः आवश्यकता है रचनात्मकता की।

मानवाधिकारों की दृष्टि से भारत अभी बहुत पीछे है। 2011 की जनगणना पर आश्रित आंकड़ों के अनुसार 301 मिलियन भारतीय निरक्षर हैं। अनुमान है वर्तमान में 6–14 वर्ष तक की आयु के 66 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य कर संबंध है। 145 मिलियन लोगों के लिये अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलभ नहीं है। जबकि 236 मिलियन लोगों के लिये निरापद पेयजल का अभाव है तथा 650 मिलियन

लोगों के लिये प्रारम्भिक आरोग्यदायक सुविधायें उपलब्ध नहीं है। 15 से 49 वर्ष के बीच की आयु वाली 88 प्रतिशत गर्भवती महिलायें रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। जहाँ तक भोजन तथा पोषण की बात है 65 मिलियन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषणग्रस्त हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है 16 वर्ष से कम आयु के करीब एक तिहाई बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं – अनेक संकरापन्न उद्योग में लगे हुए हैं। निर्धनता तथा आय के संबंध में स्थिति यह है कि विश्व में एक तिहाई निर्धन व्यक्ति भारत में रहते हैं।

इसमें अतिरिक्त मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनायें देश में बहुत हो रही है, परन्तु उनमें से कुछ ही घटनाओं को पंजीकृत किया जाता है। अतः आवश्यक है कि नागरिकों को मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी देने, इस दिशा में उन्हें जागरूक करने, अपने ऐसे अधिकारों को प्राप्त करने के लिये सरकार पर दबाव बनाने उल्लंघनकर्ताओं को उचित दंड दिलाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये ताकि उन देशों को ऐसे हथियारों की बिक्री न हो जो इन शस्त्रों का प्रयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन में करते हैं। कुल मिलाकर एमनेस्टी की ताजा रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले दुनिया के लगभग सभी शासक गिरोह न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों पर वरन हर असहमत नागरिक पर अत्याचार करने में एक से बढ़कर एक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Agrawal, H.O., Implementation of Human Rights Convents with Special Reference to India, Kitab Mahal, Allahabad, 1988.
2. Agrawal, R.S., Human Rights in the Modern World, Chetana Publication, New Delhi, 1979.
3. Anderson, Sir Norman, The Minlyn Lectures, Thirteen Series, Library, Law and Justice.
4. Asian, Eide and August Shou, (Ed.), International Production of Human Rights, Interscience Publishers, Strockblow, 1968.
5. अशोक, डॉ. कुमार – राजनीति विज्ञानए उपकार प्रकाशन, आगरा – 82002, 465
6. सुरेश चंद्र, डॉ. सिंहल – भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा–02, 2006
7. रामदेव, डॉ. भारद्वाज – अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक राजनीति मुद्दे, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, वानगंगा, 2010
8. बाबूलाल, डॉ. फड़िया – अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2008
9. पुखराज, डॉ. जैन, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2010
10. जयनारायण, डॉ. पाण्डेय, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सि, 2001

भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग – गुप्त काल

प्रो. शोभना व्यास
सहायक प्राध्यापक – इतिहास

शोध सारांश

किसी भी शासक के शासन काल का पुनरावलोकन कर उस पर अपनी राय प्रकट करना सर्वाधिक कठिन कार्य है, फिर भी इतिहास में, विशेषतः भारतीय इतिहास में विभिन्न वंशों का शासन रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में यदि मौर्यकाल में सम्राट अशोक जैसा महान शासक हुआ तो थोड़ा आगे चलकर चौथी शताब्दी ईसवी में गुप्त वंश की स्थापना हुई, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए और इन शासकों के प्रयासों से गुप्तकाल में जहाँ एक ओर साम्राज्य का विस्तार हुआ, शत्रु आक्रमणों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की, वहीं समाज में भी उन्नति के नये सोपान रचे गये। धन–धान्य से परिपूर्ण गुप्त काल को प्राचीन–भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम युग माना जाता सकता है।

आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व गुप्त काल में राजा, राजपरिवार तथा प्रशासक वर्ग के अधिकांश अधिकारी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, किन्तु उनमें धार्मिक उदारता भी थी और जैन तथा बौद्ध धर्मावलम्बियों को उनका धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। शासन नीतियाँ उदार और प्रजापालक थी, समाज में वर्णव्यवस्था थी, किन्तु चांडालों के अतिरिक्त और किसी भी वर्ग के प्रति अस्पृश्यता का भाव नहीं था। वैश्य वर्ण के लोग अपने धन का सदुपयोग जनहित में करने तथा समाज और राज्य के लिये धर्मशालाएँ, देवालय बनवाते, कुँए–तालाब खुदवाते। प्रजा को पहनने–ओढ़ने का शौक था और समाज उत्सव प्रेमी था। यह सब तभी संभव है जब साम्राज्य में सुशासन हो और प्रजा सुरक्षित तथा निश्चित हो। कला–साहित्य, नृत्य–संगीत, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में भी श्रेष्ठता के कीर्तिमान रचे गये।

इन समस्त बिन्दुओं के आधार पर गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है।

शब्दकुंजी : भारतीय संस्कृति, साम्राज्य विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता, कला–साहित्य, व्यापार–व्यवसाय का उत्थान।

सम्राट कनिष्क से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक का शासन काल भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग माना जाता है। कनिष्क के पश्चात चौथी शताब्दी ईसवी से गुप्त वंश का उदय हुआ, साथ ही भारतीय संस्कृति का भी अद्‌भुत विकास हुआ। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त बड़े प्रजापति राजा हुए, जिन्होंने साम्राज्य विस्तार तो किया ही, साथ–साथ अपने साम्राज्य की रक्षा भी की।

समुद्रगुप्त सम्राट होन के साथ–साथ एक महान कवि और संगीत प्रेमी भी था, उसे कविराज की उपाधि प्राप्त थी। उसे वीणावादन का शौक था। उसके समय की मुद्राओं पर वीणा वादन करते हुए उसकी आकृति अंकित थी। वह पहला सम्राट था जिसने मुद्राओं पर संस्कृत श्लोक अंकित करवाये थे। विद्वानों के सत्संग में उसे आनंद आता था। उसमें धार्मिक उदारता थी। स्वयं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होने के बाद भी वह बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों का सम्मान करता था। जब लंका के शासक ने बोध गया में एक विहार बनवाने की इच्छा प्रकट की तो समुद्रगुप्त ने तुरंत इसकी अनुमति प्रदान की थी। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है।

समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त भी अपने पिता की ही तरह शूरवीर था। अनेक प्रदेश जीतकर उसने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, श्री–विक्रम, सिंह विक्रम, परम्‌भट्‌टारक, परम्‌ भागवत, राजाधिराजर्षि आदि अनेक उपाधियाँ धारण की थीं। वह विष्णु का अनन्य उपासक था और अपने पिता की ही तरह अन्य धर्मों व धर्मावलम्बियों का भी आदर करता था, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता था।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाह्यान नामक चीनी यात्री भारत आया था। उसके यात्रा विवरण से हमें अपने देश और गुप्त काल के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। फाह्यान के अनुसार प्रजा सुखी और संपन्न थी, करों की अधिकता नही थी, अपराधियों पर प्रायः जुर्माना होता था। न कोई सुअर या मुर्गी पालता था न ही कहीं गोश्त या शराब की दुकानें थी। देश में धन–धान्य की प्रचुरता थी। राज्य प्रबंध उत्तम था। प्रायः राजवंश या राजपरिवार के लोग ही प्रांतीय शासक होते थे, जिन्हें युवराज कुमारामात्यं कहते थे। धर्म के आधार पर राजकर्मचारियों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। विभिन्न विभागों के अधिकारी राजा की आज्ञानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों को 'अधिकरण' कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी–अपनी मुद्रा (सील) होती थी। राजअधिकारियों को नियत वेतन मिलता था। ग्राम मुखिया पंचमंडली

अथवा पंचायत की सहायता से शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करता था। न्यायालयों का प्रबंध संतोष जनक था। किसी प्रकरण में यदि गवाहों की आवश्सकता हो तो, तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी तथा चरित्रवान लोगों पर ही विश्वास किया जाता था। छोटे मुकद्दमों का निराकरण स्थानीय पंचायतों में और बड़े मुकद्दमों का निर्णय राज्य के न्यायालयों में होता था।

देश में बड़े–बड़े सुरम्य नगर थे – पाटलीपुत्र, उज्जयिनी, वैशाली, दशपुर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नगरों में धनाढ़य वर्ग निवास करता था। राज्य की ओर से सभी नागरिकों को सभी सुविधाएँ दी जाती थी। रोगियों के उपचार के लिये चिकित्सालय बने हुए थे। एक बार फाह्यान सड़क पर लंगड़ाते हुए जा रहा था, तभी पालकी पर गुजरते हुए एक राजकर्मचारी ने उसे देखा और शीघ्रता से चिकित्सालय पहुँचाया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि शासन अपने नागरिकों के प्रति दया और उदारता का भाव रखता था।

गुप्तकालीन समाज में वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। राजा वैष्णव मतावलम्बी थे इसलिये ब्राह्मणों का सर्वाधिक आदर–सम्मान था। अन्य वर्ण इनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलते थे। ब्राह्मण के मुख्य रूप से 6 कर्म थे – वेद पढ़ना–पढ़ाना, यज्ञ करना–कराना और दान देना तथा लेना। शिक्षा का कार्य ब्राह्मणों के हाथ में था। राजपुरोहित भी ब्राह्मण होता था जो राजा का प्रमुख सलाहकार तो होता ही था, आवश्कता पढ़ने पर युद्ध क्षेत्र में अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करता था। क्षत्रियों का स्थान समाज में द्वितीय क्रम पर आता था। युद्ध कला में निपुण क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। राज्य के सभी प्रमुख पदों पर क्षत्रिय ही नियुक्त होते थे। बौद्धकाल में क्षत्रियों का महत्व बहुत बढ़ गया था, किन्तु इस काल में ऐसा नहीं था। वैश्यों का मुख्य कार्य वाणिज्य करना था। राज्य की ओर से उन्हें हर प्रकार की सहायता प्राप्त थी। अनेक प्रकार के व्यवसाय करते हुए वे अपने धन का सदुपयोग जनहितकारी कार्यों में करते थे। उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य था, किन्तु वे अछूत नहीं थे। धीरे–धीरे शूद्र भी सेवा कर्म के स्थान पर अन्य व्यवसायों की ओर जाने लगे थे।

समाज में यदि कोई अस्पृश्य था तो वे थे चाण्डाल, जो नगर के बाहर रहते थे। जब वे नगर या बाजार में आते थे तो एक लकड़ी से जमीन खटखटाते थे ताकि अन्य लोग दूर हो जाएँ। चाण्डालों के अतिरिक्त समाज में और कोई भी मदिरा, लहसुन–प्याज का सेवन नहीं करता था।

गेहूँ, कई प्रकार के चावल (धान), जौ, दाल, फल, घी, मक्खन आदि प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। भोजन बनाते व खाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग होता था। पगड़ी पहनी जाती थी, जिस पर बेलबूटों का काम होता था। पुरूष अपने कंधे पर दुपट्टा धारण करते थे। राजवंश व उच्च वर्ग के लोग रेशमी दुपट्टों का प्रयोग करते थे। इस काल की मुद्राओं पर अंकित राजाओं की आकृतियों से प्रतीत होता है कि चूड़ीदार पजामा और जूतों का प्रयोग होता था। स्त्रियाँ आभूषण धारण करती थीं। कर्णफूल, हार, मुक्तावली, करधनी आदि आभूषण प्रचलित थे। विधवाएँ आभूषण नहीं पहनती थीं।

चूँकि देश धन–धान्य से परिपूर्ण था और व्यापार–व्यवसाय उन्नत स्थितियों में था अतः अनेक प्रकार के उत्सव भी मनाए जाते थे, इनमें शरद पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला कौमुदी महोत्सव, वसंतोत्सव तथा भण्यता से दो दिनों तक मनाया जाने वाला रथ यात्रा उत्सव था जो कि वैशाख अष्टमी से आरंभ होता था, प्रमुख थे।

गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ, सर्वत्र विष्णु पूजा होती थी। अनेक देवालयों और शिव पूजा हेतु शिवालयों का निर्माण हुआ। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता थी।

इस काल में साहित्य तथा कला की उन्नति अपने चरम पर थी। पुराणों का संपादन हुआ, काव्य, नाटक, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, रसायन पर अनेक ग्रंथ लिखे गये। संस्कृत प्रमुख भाषा थी। प्रयाग स्थिति अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त का जो लेख अंकित है, उसकी शैली से महादंडनायक हरिषेण के पांडित्य का परिचय प्राप्त होता है।

महाकवि कालीदास इस युग के श्रेष्ठ कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें 'अभिज्ञान शांकुतलम्' विश्वविख्यात है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इस काल के अन्य प्रमुख नाटककारों में शूद्रक प्रमुख थे। इनकी प्रमुख कृति 'मृच्छकटिकम्' है। विशाखादत्त द्वारा रचित 'मुद्राराक्षस' भी इस युग की रचना है।

विज्ञान तथा ज्योतिष पर भी इस काल में अनेक ग्रंथ लिखे गये। आर्यभट्ट ज्योतिष तथा गणित का प्रकांड विद्वान था। वराहमिहिर ज्योतिष का ज्ञाता था।

गुप्त शासक कला को प्रश्रय तथा प्रोत्साहन देने वाले थे। यद्यपि इस काल की बहुत सी इमारतें तो नष्ट हो गई हैं, किन्तु जो इमारतें मौजूद हैं, वे इस काल की उन्नत कला का प्रतीक हैं। गुप्त शासकों द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।

देवगढ़ (झांसी) का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, इस युग के शिल्पियों के चातुर्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस काल में मूर्ति निर्माण में लोहा, ताँबा आदि धातुओं पर उच्च कोटि की कारीगरी की गई है। सारनाथ के स्तूप का निर्माण भी इसी काल में किया गया।

अजंता की गुफाएँ अपने भित्तिचित्रों के लिये जगतप्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न छवियों के अतिरिक्त और भी अनेक चित्र है जिनकी बनावट तथा रंग संयोजन देखकर बड़े–बड़े कलाकार भी अचंभित रह जाते हैं। इसी प्रकार गुप्तयुगीन चित्रकला का दूसरा केन्द्र मध्यप्रदेश में बाघ की गुफाएँ हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में काटी गई नौ गुफाओं में केवल चौथी और पांचवी गुफा के चित्र कुछ अच्छी दशा में हैं। विद्वानों के अनुसार बाघ के ये चित्र किसी भी दशा में अजंता के चित्रों से कम नहीं है। अजंता तथा बाघ जैसे भित्ति–चित्र सित्तल वासल तथा सिगिरया (श्रीलंका) में भी मिले हैं।

गुप्त काल में कला के इस उत्कर्षमय विकास के संबंध में सर जॉन मार्शल लिखते हैं, ''गुप्त युग से पूर्व की कला में प्रकृति चित्रण, सादगी और प्रवाह बड़ी मात्रा में पाया जाता था, किन्तु गुप्त राजाओं के संस्कृति युक्त और समृद्धशील युग में कला अधिक गंभीर और सौन्दर्यमय हो गई।''

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुप्त युग में भारत की संर्वागीण उन्नति हुई, अतः इस युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहना न्याय संगत हैं क्योंकि इस युग में भारतीय बौद्धिकता, कला, विज्ञान व साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में उच्चतम शिखर पर पहुँच गई तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अपूर्व विकास हुआ।

संदर्भ गंथ सूची :

1. विमलचंद्र पाण्डेय – प्राचीन भारत का इतिहास
2. बॉशम – अद्‌भुत भारत
3. ईश्वरी प्रसाद – भारतीय संस्कृति
4. रोमिला थापर
5. दिनकर – संस्कृति के चार अध्याय

The Thugs – Murderers in Disguise

Dr. Geeta Choudhary
Professor of History

Abstract

The Thug in Medieval India were murders in disguise. Their method of assassination was unique and it took all the efforts on the part of the Britishers to eradicate Thuggi as a profession. The Thugs according to Sir William Sleeman were introduced into India by some wild Mohammedan tribe of Scythian or Persian origin.

Key Words: Thug, Murders, Assassination, Strangulation.

The term Thug is derived from a Hindi word meaning to deceive. The word Thug signifies generally a cheat or a robber while Phasigar which was the name used in Southern India is derived from Phansi, a noose and means a strangler. The earliest accurate Indian historical notice of Thagi is the statement in Zia-uddin Barni's History of Firoz Shah written in 1356 that about in 1290 A.D. 1000 Thugs were captured at Delhi, but that the Sultan with misplaced clemency refused to sanction their execution, stripped them off to Lakhnauti and there let them loose.[1] The Thugs according to Sir William Sleeman were introduced into India by some wild Mohammedan tribe of Scythian or Persian origin.[2]

It had frequently been remarked that very many sepoys never returned to their regiments on the expiration of their leave of absence and they were struck off the rolls as deserters. But later the true cause of their absence was discovered.

'No Thug in any part of India' writes Sleeman doubts the divine origin of the system of Thugi. No one doubts that he and all the fraternity who have followed the trade of murder were acting under the immediate order and auspices of the Goddess Kali. He meditates his murder without any misgivings; he perpetrates them without any feeling of remorse.[3]

Method of Assassination – As is well known, the method of the Thugs was to attach themselves to travelers either single men or small parties and at a convenient opportunity to strangle them, bury the bodies and make off with the property found on them. They were usually disguised as religious mendicants, tradesmen, soldier

looking for service who connected themselves with their victims. Some of them had horses, camel and tents and were equipped like merchants.

A case was quoted by Mr. Oman from Taylor's 'Thirty eight years in India' Dr. Cheek had a child bearer who had charge of his children. The man was a special favorite, remarkable for his kind and tender ways with his little charges, gentle in manner and unexceptionable in all his conduct. Every year he obtained leave from his master and mistress as he said for the filial purpose of visiting his aged mother for one month and returning after the expiry of that time with utmost punctuality. This mild and exemplary being was the missing Thug – kind, gentle, conscientious and regular for eleven months. He devoted the twelfth to strangulation.

One was a cloth merchant, highly respected for his integrity and for his quiet and respectable demean-out. Another was a well to do cultivator, a native chief, probably a daffadar or jemadar certainly a soldier of good character. All these men belonged to different walks of life and who would suppose that they were all closely bound together by the rites of a common superstition, by the perils of a common crime.[4]

According to one legend Kali gave one of her teeth to be used as a pickaxe for the digging of graves of victim. To the Thugs the pickaxe was important and sacred. Whenever one had to be made, an auspicious day was chosen and the Jamadar or the leader of the gang went to a blacksmith and having closed the doors asked to him make the pickaxe in his presence, without touching any other thing. The consecration of the Kusi required an elaborate ritual which included oblation and invocation of an intricate pattern. If a well happened to be near the place of encampment it was thrown into it, instead of being buried and when duty summoned it came of its own accord to its bearer. If a dozen Kusi were thrown into the same well each would fly unerringly to its proper guardian.

An oath administered on the Kasi was more sacred to a Thug than that of the Ganges water or Koran. The person attested held it in his hand as he swore and then drank the water in which had been previously bathed. A perjurer died an awful death within six days after his guilt; his head gradually turning round his back no one heard the sound of Kusi when used in digging the graves.

The office of the strangler was called Bhartoli and it was never earned by a member who had not attained the requisite courage and insensibility during many

expeditions. The novice began as a scout (by Kuree) was afterwards employed as a grave digger (Lughae) and then a Ghamisa or holder of hands.

When Feringee was first brought before Capt. Sleeman a prisoner in December 1830, he offered that if his life was spared, he would give information that would lead to the arrest of some large gangs. Two stages from Sagar on the road to Seronge Capt. Sleeman encamped for the night in a small grove near the village Selohda. At an early hour Ferangee desired to see him and pointing to three different spots declared that they were graves “A Pundit and six attendants murdered in 1818, lay among the ropes of my sleeping tents, a Havildar and 4 sepoys murdered in 1824 were under my horses and 4 Brahmins and a women murdered after the Pundit lay within my sleeping tents. The sward had grown over the whole and not the slightest sign of its even having been broken was to be seen.”

All night long Mrs. Sleeman had tossed about in her sleep, tormented by horrible dreams, probably engendered by the foul air rising from so many graves.[5]

In 1829 a systematic operation was organized for the suppression of Thugg under the administration of Lord William Bentick. The suppression of Thuggi will remain a glorious monument of zeal, energy and judgment of the civil and military servants of the East India Company.[6]

References:

01. Rustam Ji, K.F. – History of the MP Police 1965, Pg. 40.
02. Aberigh, Mackay G.K. – The Chiefs of Central India, Pg. XCIV.
03. Rustam Ji, K.F. – History of the MP Police 1965, Pg. 40.
04. Aberigh, Mackay G.K. – The Chiefs of Central India, Vol I, Pg. CXII.
05. Hutton James – Thug & Dacoits of India, Pg. 984.
06. Hutton James – Thug & Dacoits of India, Pg. 96.

मध्यप्रदेश के असहयोग आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका

डॉ. प्रमिला शेरे
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)

शोध सारांश

महात्मा गाँधी सच्चे अर्थो में युग–पुरुष थे। उन्होंने अपने कार्यो, विचारों तथा आदर्शो से एक नये युग का सूत्रपात किया। उनके नेतृत्व में भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश का स्वाधीनता आन्दोलन जिस प्रकार प्रस्फुटित तथा पल्लवित हुआ उसका विश्व–इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन को एक सर्वथा नया मोड़ दिया। अहिंसा, असहयोग तथा सत्याग्रह के अमोघ अस्त्रों की सहायता से उन्होंने सदियों से पराधीनता का अभिशाप भोगनेवाली विवश और असहाय जनता में एक नये आत्म–विश्वास का सृजन किया। यही कारण था कि भारतीय जनता निर्भय होकर उस साम्राज्य को चुनौती दे सकी जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। जिस प्रकार पुष्प की पहचान उसमें छिपी सुगन्ध से होती है, उसी प्रकार गाँधीजी के व्यक्तित्व की ठीक पहचान, उस महान स्वाधीनता–संघर्ष से हो सकती है, जो उनके नेतृत्व में चला और जिसकी चरम परिणति स्वतंत्रता के अरुणोदय में हुई।

शब्दकुंजी : आंदोलन, महिलाएँ, स्वतंत्रता, पराधीनता।

सन् 1919 ई. में गाँधीजी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व संभाला और उसके बाद वे जीवन पर्यन्त राष्ट्रीय आन्दोलन को निर्देशित करते रहे। गाँधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेश किये जाने के बाद से राष्ट्रीय आन्दोलन के काल को गाँधीयुग कहा जाता है। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन एक के बाद एक आन्दोलन का संचालन करते हुए उन्होंने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। भारत सन् 1919 के मार्च, अप्रैल महीने में रोलेट ऐक्ट के विरोध में हुए एक अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण का साक्षी है। यह वर्ष राजनीतिक हलचलों से भरपूर था। हिन्दू मुस्लिम एकता के नारों से समूचा भारत गूँज उठा। भारत के लोग अब अपमानजनक विदेशी शासन के अधीन और अधिक नहीं रहना चाहते थे। भारतीय जनता के लिए सन् 1920 का वर्ष निराशा और क्षोभ का वर्ष था। रोलट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने जनता की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अप्रैल 1920 ई. तक ब्रिटिश सरकार के पास अपने गलत कदमों को सही ठहराने के सारे तर्क चुक गये थे।

सन् 1920 में गाँधीजी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक असहयोग छेड़ने की सलाह दी। खिलाफत समिति द्वारा असहयोग आन्दोलन का सुझाव मान लिए जाने के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने कलकत्ता में सितम्बर 1920 ई. में ही विशेष अधिवेशन बुलाने का निर्णय किया। कलकत्ता अधिवेशन में पास हुए असहयोग आन्दोलन संबंधी प्रस्ताव की कांग्रेस के सन् 1920 के वार्षिक अधिवेशन में, जो इस बार नागपुर में हुआ, पुष्टि की गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इसने कांग्रेस के उद्देश्य, कार्यक्रम और साधनों में कुछ आमूल परिवर्तन किए। इस आन्दोलन के दो प्रकार के उद्देश्य थे, रचनात्मक और नकारात्मक। पहले प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निश्चय किया गया कि असहयोग संबंधी गतिविधियों की सहायता के लिए एक करोड़ रुपये की एक निधि बाल गंगाधर तिलक के नाम से आरंभ की जाय, विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, कानूनी तथा आर्थिक बहिष्कारों के कार्यक्रमों के लिए एक करोड़ स्वयंसेवकों की भर्ती की जाय, बेकार लोगों में बीस लाख चर्खे बाँटे जाएँ तथा विदेशी वस्त्रों की जगह हाथ से बने स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया जाय।

नकारात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत इन विधियों को सम्मिलित किया गया–

1. वकीलों द्वारा कचहरियों और अदालतों का बहिष्कार तथा न्याय प्रबन्ध के लिए लोक न्यायालयों की स्थापना।
2. उन स्थलों और कालेजों का बहिष्कार जो सरकारी सहायता अथवा मान्यता प्राप्त हो और उनके समकक्ष राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना।
3. धारासभा और प्रान्तीय परिषदों के लिए चुनावों का बहिष्कार।
4. सम्मान, पदवियों आदि का परित्याग और सरकारी समारोहों का बहिष्कार
5. ब्रिटिश माल का बहिष्कार और स्वदेशी, विशेषतः हाथ के कते बुने खद्दर का प्रयोग, और
6. मद्यनिषेध।

इस तरह नागपुर कांग्रेस सम्मेलन ने जन आन्दोलन के संविधान से इतर तरीके अपनाने की घोषणा की। देश भर में उत्साह की लहर दौड़ गई। आन्दोलन ने जनता के अन्तस्तल को उद्वेलित कर दिया। सर्वत्र त्याग और बलिदान के अभूतपूर्व दृश्य देखने में आए।

आन्दोलन के ज्वार ने संभवतः गाँधीजी को भी प्रभावित किया। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि 31 दिसम्बर 1921 ई. तक स्वराज आ जाएगा। सितम्बर 1921 ई. को एक सम्मेलन में तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि ''इस वर्ष के अंत के पहले स्वराज पाने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि 31 दिसम्बर के बाद स्वराज पाए बिना जिंदा रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सन् 1921 के अंत तक भारत का क्रांतिकारी आन्दोलन उच्च शिखर पर पहुँच गया। सरकार का दमनचक्र भी चल रहा था। 1 फरवरी 1922 ई. को गाँधीजी ने वाइसराय लार्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर एक हफ्ते के अंदर दमन बंद न किया और आन्दोलन के संबंध में गिरफ्तार लोगों को रिहा न किया गया, तो वे बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरंभ करेंगे। लेकिन 5 फरवरी 1922 ई. को गोरखपुर के चौरीचौरा की घटना घटी और तत्काल गाँधीजी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस

वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर हर किस्म का आन्दोलन बंद कर दिया। आन्दोलन के इस तरह बंद किए जाने से खुद कांग्रेसजनों और नेताओं के अंदर फैली निराशा और नाराजगी का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। सारे देश में स्वाधीनता का यह आन्दोलन इतना तेज हो गया था कि ब्रिटिश शासकों की नींद हराम हो रही थी। असहयोग आन्दोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। इसमें किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे।

श्री जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि–'जहाँ–जहाँ गाँधीजी के चरण पड़े वहाँ–वहाँ तीर्थ स्थान बन गया।' भारत के हृदयस्थल में अवस्थित मध्यप्रदेश को भी यह गौरव प्राप्त है कि समय–समय पर युग पुरुष ने अपनी यात्राओं के द्वारा इस प्रदेश की जनता को असहयोग एकता, आत्मनिर्भरता स्वभाषा तथा सामाजिक न्याय का अमर सन्देश सुनाया। गाँधीजी की ये यात्राएँ लगभग उन सभी कार्यो तथा आदर्शो से प्रेरित थी, जिन्हें वे आजीवन प्रिय मानते रहे और जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते है। मध्यप्रदेश के साथ गाँधीजी का प्रथम प्रत्यक्ष सम्पर्क सन् 1918 में हुआ जबकि वे इन्दौर में होने वाले अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष के रुप में पधारे। इसके तीन वर्ष पहले ही उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया था और इन तीन वर्षो में जिन विषयों पर उनकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई थी, उनमें स्वभाषा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्दौर में ही सन् 1935 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवाँ अधिवेशन गाँधीजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भारत में अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ उन्होंने खिलाफत आन्दोलन से किया जो कि साम्प्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण था। इस आन्दोलन के काल में अली बन्धुओं के साथ उन्होंने तीन बार मध्यप्रदेश की यात्रा की। सन् 1921 की छिन्दवाड़ा यात्रा तो अली बन्धुओं की प्रेरणा से ही हुई थी और उसके पहले सन् 1920 में रायपुर तथा धमतरी की यात्रा में भी मौलाना शौकतअली गाँधीजी के साथ थे।

1920 में रायपुर में रुके एवं वहाँ उन्होंने वर्तमान आनंद समाज पुस्तकालय के पास मैदान में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बापू ने यहाँ महिलाओं से तिलक स्वराज्य कोष के लिए अपील की जिसका बहुत प्रभाव पड़ा और उपस्थित महिलाओं के पास जो कुछ था, उसे बापू के चरणों में अर्पित करने की होड़ लग गयी और दो हजार रुपयों के मूल्य के सोने चाँदी के गहने और रुपये एकत्रित हो गये। इस प्रकार गाँधीजी ने, न केवल इस क्षेत्र के हजारों युवकों को अपितु महिलाओं को भी राष्ट्रीय आन्दोलन में जूझने की प्रेरणा दी। आगे चलकर महिलाओं ने भी अंचल में होने वाले स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय सहयोग देकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से मध्यप्रदेश में आन्दोलन को प्रबल प्रोत्साहन मिला। अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् शीघ्र ही महात्मा गाँधी ने प्रांत का भ्रमण किया और जनता को कांग्रेस द्वारा दिए गए निर्णयों से अवगत कराया। गाँधीजी ने इस व्यापक दौरे में असहयोग, अहिंसा तथा साम्प्रदायिक

एकता का प्रचार प्रसार किया। बापू का यह ऐतिहासिक दौरा मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा नामक स्थान से आरंभ हुआ। 6 जनवरी 1921 ई. को गाँधीजी नागपुर से छिन्दवाड़ा पहुँचे। दोपहर में गाँधीजी ने महिलाओं की एक सभा में भाषण दिया। इस सभा में भाग लेने हेतु छिन्दवाड़ा और आसपास के गाँवों से महिलायें बड़ी संख्या में एकत्रित हुई थी। गाँधीजी ने तिलक स्वराज्य फण्ड के लिए महिलाओं से दान की अपील की जिसका प्रत्युत्तर महिलाओं ने बड़ी संख्या में धन और आभूषण दान देकर किया।

गाँधीजी की चौथी मध्यप्रदेश यात्रा सन् 1921 में हुई जबकि नागपुर कांग्रेस के पश्चात् वे नागपुर से सिवनी पहुँचे। सिवनी में गाँधीजी के भाषण से प्रभावित होकर श्री जटार ने वकालत छोड़ी और धर्मपत्नी श्रीमती राधाबाई जटार अपने दो पुत्रों के साथ स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। सिवनी में श्रीमती राधाबाई जटार के अथक प्रयत्नों से महावीर व्यायामशाला में महिलाओं की एक सभा का आयोजन किया गया जिसे महात्मा गाँधी ने संबोधित किया। उनके भाषणों से प्रभावित होकर काफी चंदा एकत्रित हुआ और कई महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दिए, जिसे उन्होंने वही नीलाम कर दिया। सिवनी से गाँधीजी जबलपुर पहुँचे। इस दौरे में उनका मुख्य उद्देश्य असहयोग आन्दोलन का सन्देश सारे देश में फैलाना और तिलक स्वराज्य फण्ड के लिए एक करोड़ रुपये की निर्धारित राशि एकत्रित करना था। इसी सिलसिले में उनका आगमन 20 मार्च सन् 1921 को जबलपुर में हुआ। उनकी यह प्रथम जबलपुर यात्रा थी। जबलपुर में स्त्रियें की सभा में गाँधीजी का भाषण हुआ, इसके पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियाँ एकत्रित नहीं हुई थी। इस सभा में जब गाँधीजी ने तिलक–स्वराज्य फण्ड के लिए स्त्रियों से जेवर मांगे, तब उन्हें काफी जेवर मिले। जबलपुर की इस यात्रा में गाँधीजी को लगभग 20 हजार रुपये मिले। गाँधीजी के साथ कस्तूरबा भी आई थी। सन् 1921 में गाँधीजी ने खण्डवा की यात्रा की, और स्वदेशी व खादी का प्रचार किया।

मध्यप्रदेश में असहयोग आन्दोलन में भाग लेनी वाली महिलाओं का परिचय एवं योगदान :

1. श्रीमती भागीरथी बाई :

पति स्व. महावीर प्रसाद तिवारी स्वाधीनता आन्दोलन में भूमिगत रहकर सहयोग किया। पता–जोरापारा, रायपुर।

2. श्रीमती काशी देवी पांचाल :

पति श्री उदयलाल पांचाल, जन्म सन् 1897 सन् 1921 में प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभाओं व जुलूस का आयोजन किया। इस कारण घर पर नजरबन्द की गई। सन् 1948–49 तक विभिन्न कार्यो व आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

3. श्रीमती रुक्मणीबाई :

पत्नी श्री महाराजी। राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया तथा 1 वर्ष कारावास। पता–कसहीबहरा, रायपुर।

4. श्रीमती शांति बाई :

मेहर से श्रीमती शांतिबाई पत्नी श्री सीताप्रसाद का नाम भी उल्लेखनीय हैं। आपने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा कर योगदान दिया।

5. श्रीमती तुलसीबाई :

सतना के गाँव बिनेका की श्रीमती तुलसीबाई पत्नी श्री बद्रीप्रसाद को असहयोग आन्दोलन में जुलूस निकालने, धरने देने तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाने एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की गुप्त रुप से मदद करने के आरोप में 1 माह की सख्त सजा दी गई।

6. श्रीमती वीरकुंवर :

श्रीमती वीरकुंवर पति श्री लालदद्नसिंह निवासी सतना ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन में लगातार सक्रिय रहकर उल्लेखनीय योगदान दिया। इनके विषय में अन्य जानकारी का अभाव हैं।

निष्कर्ष :

यह निर्विवाद है कि भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का सक्रिय सहयोग देश के इतिहास में एक अनोखी और नयी बात थी। गाँधीजी ने एक नई परंपरा का श्रीगणेश किया। जिसने देश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में स्त्रियों को समुचित भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाया। उनके सरल व्यक्तित्व तथा चारित्रिक पवित्रता ने स्त्रियों को आकर्षित किया और उनके आन्दोलन के साथ महिलाओं ने अपना पूर्ण तादात्म्य स्थापित किया। पुरुषों को विश्वास था कि गाँधीजी के नेतृत्व में चल रहे अहिंसात्मक आन्दोलन में उनके घरों की स्त्रियाँ सुरक्षित है। इस कारण संग्राम में उन्हें भाग लेने देने में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। गाँधीजी के मन में स्त्रियों के प्रति बड़ा आदर था और स्त्रियाँ भी उन्हें आदर की दृष्टि से देखती थी। इस पारस्परिक विश्वास तथा समान–भाव के कारण ही स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों का सक्रिय सहयोग संभव हो सका।

संदर्भ :

अयोध्यासिंह (1982), भारत का मुक्तिसंग्राम, दिल्ली : मेकमिलन इंडिया लिमिटेड.

भाषा संचालनालय (1984), मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, खण्ड 3, (रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग), भोपाल : संस्कृति विभाग.

भाषा संचालनालय (1984), म.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, खण्ड 4 (इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग), भोपाल : संस्कृति विभाग.

भाषा संचालनालय (1984), मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, खण्ड 5, (भोपाल, रीवा, होशंगाबाद संभाग), भोपाल : संस्कृति विभाग.

कश्यप सुभाष (1996), स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, दिल्ली : हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.

मिश्र द्वारकाप्रसाद (1956), म.प्र. में स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास, ग्वालियर : गर्वनमेंट रिजनल प्रेस.

शुक्ल रामलखन (1987), आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय : हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.

सक्सेना शालिनी (2001), स्वाधीनता आन्दोलन में मध्यप्रांत की महिलाएँ, भोपाल : स्वराज संस्थान संचालनालय.

शर्मा एस.के, शर्मा उर्मिला (2003), भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

शुक्ल अशोक (1984), छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन, रायपुर : युगबोध प्रकाशन.

ताराचंद (1982), भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास खण्ड 3, प्रकाशन विभाग.

विपिनचन्द्र (1995), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय : हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.

विशेषांक (1969), म.प्र. और गाँधीजी, सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय.

भारत में बाल श्रमिक एवं मानवाधिकार

डॉ. सरोज अजय
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

सारांश

बालश्रम विश्वव्यापी समस्या है, बालकों का शोषण मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और सभ्य समाज के लिए, अभिशाप है। भारत में बाल श्रम की विकराल समस्या के पीछे प्रमुख कारण आर्थिक विषमता है तथा गरीबी और अशिक्षा इसकी जड़ हैं। जीवनयापन की मूलभूत सुविधाएँ जुटाने के क्रम में बाल मजदूरी की समस्या और गंभीर होती जा रही है। अतः गरीबी उन्मूलन तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के साथ ही, समाज में सामाजिक चेतना, शिक्षा और बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि बाल श्रम की प्रवृत्ति का उन्मूलन सिर्फ सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने निजी स्वार्थों का त्यागकर मानवीय कर्तव्य का दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा बाल श्रम नियंत्रण कानूनों का निष्ठा के साथ पालन करना होगा। जब किसी कार्य के विरुद्ध पूरा समाज उठ खड़ा होता है, तब सफलता पाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अतः हमें जनजागृति के भरसक प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम बाल–श्रम की इस गंभीर समस्या को समाप्त कर एक सुखद और समृद्ध भारत का सपना साकार कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण शब्द (Importants words)

1. कार्यदशायें – Work Conditions
2. बाल श्रम कल्याण – Child labour welfare
3. पुनर्वास – Rehabilitation
4. अधिनियम – Act (Rules & Regulation)
5. गरीबी उन्मूलन – Eradication of poverty

संदर्भ सूची

1. भगोलीवाल डॉ. टी.एन., श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक सम्बंध, साहित्य भवन, 2001, पृ. 556–575, 605–617, 391–415
2. मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, 2012, पृ. 489–499

3. सार्वभौमिक प्रपत्र मानव अधिकार आयोग भारत, मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों का संकलन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत, 2006, पृ. 526–540
4. मानव अधिकार आयोग भारत, मानवाधिकार – नई दिशाएँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत, 2006, पृ. 26–28
5. सिन्हा पी.आर.एन. एवं इन्दूबाला, श्रम एवं समाज कल्याण, भारती भवन पटना, 1992, पृ. 17–31, 32–36, 354–366
6. इन्टरनेट, www.nhrc.nic.in

शोध–पत्र

अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अनुसार बाल श्रम संपूर्ण बाल अधिकारों का उल्लंघन है। सुकुमार अवस्था में ही बच्चो से मजदूरी कराने का सबसे घातक परिणाम यह है कि बच्चों का बचपन खो जाता है और बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते है। बाल श्रम का सबसे बड़ा दुष्परिणाम पूरे समाज पर तब पड़ता है, जब मानव संसाधन के विकास को क्षति पहुंचती है। बाल श्रम इनके बौद्धिक विकास को जकड़ लेता है तथा बच्चे अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास से वंचित रह जाते है। बहुत ज्यादा बाल श्रमिक वाले समाज का मतलब ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित नागरिक तथा देश के विकास के लिए जरुरी कौशल युक्त लोगों की कमी।

अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर 15 वर्ष तक व भारत के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अपना श्रम बेचते है, बाल श्रमिक कहे जायेंगे। भारत के नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के अनुसार देश में साढ़े चार करोड़ से लेकर करीब ग्यारह करोड़ के बीच बाल श्रमिक है। जो बाल वैश्यावृत्ति से लेकर खतरनाक उद्योगों में जबरदस्ती झोंक दिए गए है। इनमें ज्यादातर बालक असंगठित उद्योगों व वर्कशॉपों में काम करते है, जैसे माचिस और आतिशबाजी उद्योग, स्लेट–पेंसिल, कालीन उद्योग, बीड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग, काँच और चूड़ी उद्योग, ईंट–भट्टा उद्योग, रसायन उद्योग, खदान में उत्खन्न कार्यों में, होटल उद्योगों में, भीख मांगना, आदि के साथ–साथ खतरनाक बड़े संयंत्रों में और यौन श्रमिकों के रुप में लाखों बच्चे शोषित व दयनीय जीवन जी रहे है। इतनी विकट एवं विभत्स और अमानवीय स्थिति में काम करने के परिणामस्वरुप बाल श्रमिक टी.बी., कैंसर, सांस की बीमारी, चर्म रोग और दमा जैसी अनेक खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते

है। स्वास्थ्य हानि के साथ ही ये मानसिक विकृति से ग्रस्त होकर बाल अपराधी बन जाते है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों में विशेषकर गोवा में ऐसे पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो बालकों के यौन शोषण के चक्कर में यहां पहुँच रहे है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते है और भविष्य की धरोहर की सुरक्षा और कल्याण का दायित्व वर्तमान पीढ़ी का होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ''कोई भी ऐसा कार्य जो बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक विकास, इच्छित अवसर, शिक्षा और आवश्यक मनोरंजन में बाधा डाले तथा जो श्रम बाल्यावस्था में ही उन्हें प्रौढ़ावस्था की ओर ले जाए, उसे बालश्रम कहते है।'' अतः बालश्रम किसी भी राष्ट्र के लिए एक कलंक है।

बाल श्रमिक की समस्या और शोषण केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के देशों की गहन समस्या बन चुका है और दिनोंदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार विश्व में लगभग 25 करोड़ बाल श्रमिक है, जिनमें से 10 करोड़ से अधिक भारत में है और विश्व के कुल बाल–श्रमिकों में 50 प्रतिशत भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में है।

बाल श्रमिकों की कार्य दशाएँ, कार्य के घंटे और उत्पीड़न को देखकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यूनीसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि अनेक संस्थाएँ इस दिशा में कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र वर्ष 1959 में पारित किया और वर्ष 1979 में यह लागू हुआ। विश्व समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए वर्ष 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रुप में मनाया गया। भारत ने इस घोषणा पत्र के प्रावधानों को वर्ष 1992 में लागू किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 की धारा 4 और मौलिक अधिकारों की धारा 3 में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि हर तरह के शोषण और कठिन श्रम वर्जित है।

संविधान की भावनाओं के अनुरुप बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई। इस नीति में बाल श्रम उन्मूलन के साथ–साथ शिक्षा नीति, गरीबी उन्मूलन नीति, स्वास्थ्य नीति एवं राष्ट्रीय योजनाएँ भी सम्मिलित की गई। इसमें एक बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया, इसका कार्य बाल श्रम कल्याण के अनुकूल भारी खतरनाक एवं रसायन

उद्योगों के विरुद्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रभारी विभागों को निर्देशित करना और जिन व्यवसायों में बाल श्रमिक लगे हैं, वहाँ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, साप्ताहिक छुट्टियाँ आदि प्रावधानों को लागू करना, आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करना और अनियमितता पाने पर संस्थानों व उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। बाल श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में हितकारी परियोजना लागू करना तथा बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु स्कूल, मुफ्त आवास, स्वास्थ्य और भोजन व्यवस्था तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ताकि वयस्क होने पर, वो आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम बनाकर, भारत सरकार, राज्य सरकारों व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाल श्रम नीति वर्ष 1987 को सफल बनाने का प्रयास दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने बाल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक कारगर अधिनियम बनाए है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी एवं सिंगार अधिनियम 1983, बंधुआ मजदूर प्रतिषेध अधिनियम 1976, दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1961, भारतीय संविदा अधिनियम 1958, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आदि। 1986 में बाल श्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कम उम्र के बच्चों को असुरक्षित एवं हानिकारक उपयोग प्रक्रिया में नियोजित करने से प्रतिबंधित करना है। इस अधिनियम की अनुसूची में अब तक कुल 74 व्यवसाय व प्रक्रियायें शामिल किए गए है, जिनमें बाल मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रभावशील है। **साथ ही 10 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण राष्ट्र में बाल श्रम प्रतिबंधित कर दिया गया है।**

बालश्रम विश्वव्यापी समस्या है, बालकों का शोषण मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और सभ्य समाज के लिए, अभिशाप है। भारत में बाल श्रम की विकराल समस्या के पीछे प्रमुख कारण आर्थिक विषमता है तथा गरीबी और अशिक्षा इसकी जड़ हैं। जीवनयापन की मूलभूत सुविधाएँ जुटाने के क्रम में बाल मजदूरी की समस्या और गंभीर होती जा रही है। अतः गरीबी उन्मूलन तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के साथ ही, समाज में सामाजिक चेतना, शिक्षा और बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि बाल श्रम की प्रवृत्ति का उन्मूलन सिर्फ सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने निजी स्वार्थों का त्यागकर मानवीय कर्तव्य का

दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा बाल श्रम नियंत्रण कानूनों का निष्ठा के साथ पालन करना होगा। जब किसी कार्य के विरुद्ध पूरा समाज उठ खड़ा होता है, तब सफलता पाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अतः हमें जनजागृति के भरसक प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम बाल–श्रम की इस गंभीर समस्या को समाप्त कर एक सुखद और समृद्ध भारत का सपना साकार कर सकेंगे।

Social consciousness and Feminist Persecutor is Shahi Despande's The Dark Holds no Terror and That Long Silence

Dr. Alka Tomar
Asst. professor- English

Shahi Despande has shown minute awareness of social convention and personal relationship. Individual has very limited choice to assert his identity and is caught is contradictory commitments of personal life, social inhibitions. In dark holds no terror, Shashi Despande speculates on the fate of the middle class Indian woman who accepts professional independence to curve out spaces for alternate identity beyond the burden of patriarchal and perpetual authority. Saru is the protagonist of The Dark Holds no Terror. She tries to escape from the life of perpetual darkness of torture, injustice. She is sensitive and educated woman who carves out spaces in professional life to achieve economics independence, purposefulness and accountability. She fails to achieve desired identity born in family and society.

The novel The Dark Holds no Terror begins with the balance of time representing part and present. Saru becomes a successful doctor and gets married with Manohar. Suddenly she comes to know about the untimely death of her mother and decides to go back to her parental home to irsit her father. Her father was leading life his loneliness and isolation. The return to her parental home was not desirable option for Saru. Saru's child hood memories are revived. She recollects the memories of the torture inflicted on her by her mother after the untimely death of her brother. Saru's presence in the family was treated as a curse to the family because her mother considered Saru responsible for the death of Dhurwa. Saru faces negligence of mother, indifference of father and the burden of the guilt of the death of brother. She loses her affinity with family and withdraws from the bonds of filial relationship. Manohar in her life comes as a consolation. He supports her in her career. Saru's settlement with Manohar was only a diversion and not a fulfilment. Saru in not happy in the company of Manohar. It appears to her that her decision of marriage was an error on her part. This novel delineates his life and relationship with her parents and her husband. It is evident that Saru bears the pain of it in silence and makes no efforts to refute the charge. Saru's decision of marriage as a compensation for her loss was an error on her part that adversely affected her perception and expectation is personal life. However, the reality of marital

relationship makes her realize that total merger of two distinctive individual is a 'Fraud' and it can never be the reality of life. The fear of being betrayed or being rejected remains rooted in her consciousness. The Dark Holds no Terror implies a vital symbolic suggestion that fear lies not in darkness but within ones own conscience.[1] She comes to the bitter realization that the idea of love in marriage is an illusion because marriage nothing but only an accommodation of interest. In this novel the novelist lays bare inner recesses of mind of very sensitive educated woman. She starts getting popularity as a successful doctor and her involvement in social and professional life ends in indifference towards Monohar and it gradually brings a breach in their personal relationship. Male and female consciousness differ a lot. Saru has a realization that her involvement in professional life is the cause of Manohar's cool response. Her reaction were different beyond socially accepted images. Shashi Despande admits that woman always implies her interest with the interest of man but man inspite of all her love and sympathy fails to identity himself with the interest of woman. She fails to find a release of her fear and loneliness that was rooted in her innerself. She was forced to sacrifice her love and sentiments for the sake of the need of the family. Manohar and Saru gets apathetic towards each other and bonds of marriage breaks at mental level. His indifference assumes the proportion of unbearable torture that seems beyond all expectations. The fault lies in the social structure in which bitterness of binary relationship passes from one generation to another generation.[2] The crisis of the life of Saru becomes an echo to the predicament of Indian woman. Saru in her final acceptance of her life condition becomes a parable of Indians womanhood. She becomes a victim of her own guilt ridden consciousness that permits her not to compromise with the adversity of her life. She has a feeling of nothingness. She does not find a substance in life. Gradually she withdraws not only from society or parents or Manohar. But a sense of nothingness overpowers her. she fails to make spaces for herself both as an individual and as a sensitive woman. It show individual's confrontation and antagonism with social order. In this novel ultimate triumph of the immensity of human consciousness is evident.

Her another novel deals with negligence and apathy of society. Society can suppress a voice but cannot abolish the identity of woman forever. the consistent suppression of woman may lead to violent eruptions of emotional volcano that can crumble the existing social, moral and emotional ideals. Jaya's pages of diary reveal

unsurpassable protest against the oppressive mechanism of Mohan that permits her no liberty as an individual, as a woman, as a mother or ever as a creative artist. the resentment and content concealed in her protest justifies that suppression kills her urge to live and renders her mute and insensitive not only to Mohan but also to her children. In this novel Jaya consciously reflects her discontent of personal life and on the other Shashi Despande reflects on the various dimensions of problems of women in the traditional society of India. It exposes women's oppression in family and society on gender basis. Shashi Despande within the texts of her novels presents a vivid account of the social reality that is responsible for the deplorable condition of woman. The narrative begins at a crucial juncture of Jaya's life when, her innerself revolts against her silent submission to the decision of her husband Mohan. She introspects her own life conditions and resolves to break 'That Long Silence'. The voice of Jaya becomes the voice of the entire humanity. Jaya has a turbulent life with Mohan. She seems to wage a war against all humiliations those had already been trusted upon her by Mohan in her long spam of married life. Since Mohan did never care for her problems, now the problem of Mohan makes no impression on Jaya. Mohan remains absolutely insensitive to the terrible have going on within the mind of Jaya. Jaya does not identity herself with the loss of Mohan and shares her seclusion with the music of days of waves. the first part of the novel That Long Silence consists of experiences of Kusum, Nayana and Vimla but they contribute to a common and ultimate conclusion about the silence of women and their separate submission to established social images. Kusum was a poor, defeated woman. She is neglected like anything. Shashi Despande has done an indepth analysis of deeper recesses of mind of Nayana.

In the second part of the novel That Long Silence, the narration is focussed around the life of those characters who are absolutely devoted to convention of feminism. Jeeta, the maid suffers a lot in his vision of life is confined only to get food and shelter. Jeeta, the maid expresses no resentment against the decision of her husbands marriage with other women for the sake of childbirth. in the later part of the novel, The Long Silence, the events move rapidly and it gives the impression as if the writer is herself lost in its web of past and present, personal and financial, social and individual. Jaya denies the authority of Mohan but simultaneously finds herself in a state of loss after the loss of Rahul. The death of Kamat in the novel is weak and for a while it reverse the overview of social criticism. Mohan is insecure and

uncertain of his ideologies while Jaya's consciousness takes a straight path without being obstructed by the diverse course like a perfect post colonial writer. Jaya says that her silence is meaningless and traditional Indian society is biased against woman. She suffers from a kind of emotional deprivation. To sum up, Shashi Despande has shows social consciousness by going vent to the feeling of suppressed section of society.

References

1. Agrawal, Beena, Mosaic of the Fictional World of Shashi Deshpande, (Book Enclave Publisher, Jaipur, 2009), p.38.
2. Patel, M.F. Recritiquing Women's Writing in English, (Sunrise Publisher, Jaipur,2009), pp.70-71.

भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रासंगिकता वर्तमान खुदरा (RETAIL) क्षेत्र के संदर्भ में

डॉ. लता जैन
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष – अर्थशास्त्र
मो.नं. 98260–10902
E-mail ID:- latajain310@gmail.com

बाजार खुल गया है। अब सौदे शुरू होने का वक्त है। भारत की वर्तमान सियासत ने अपने सबसे बड़े कारोबार को विदेशी पूंजी के लिये ऐसे अनोखे अंदाज में खोला है कि अब बाजार के भीतर नए बाजार खुलने वाले हैं। विदेशी पूंजी के बड़े फैसले अब राज्यों की राजधानियों में होगें, जहाँ वालमार्ट, टेस्को, कार्फू जैसे ग्लोबल रिटेल दिग्गज नीतियों को 'प्रभावित' करने की अपनी क्षमता का इम्तिहान देंगे। सौदों का दूसरा बाजार खुद देशी रिटेल उद्योग होने वाला है और लगभग 1150 अरब रू. के देशी संगठित रिटेल उद्योग में कम्पनियों व ब्रांडों की मंडी लगने वाली है। जिसमें ग्लोबल रिटेलर कंपनिया ग्राहक होगी। भारत वर्ष का दैत्याकार खुदरा बाजार आज क्रान्तिपथ की ओर अग्रसर हो रहा है। करीब 50 करोड़ वाले 'मध्यमवर्गीय' वर्ग के उपभोक्त व्यवहार और उसकी क्रय अभिवृत्तियों में आने वाले परिवर्तन पर देशी–विदेशी उद्यमियों में भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने की होड़ सी लगी हुई है।

वास्तव में ग्लोबल रिटेल का सौदा फूल और काँटों का मिलाजुला कारोबार है। विदेशी निवेश को लेकर यह शायद पहला फैसला है जिसमें राज्य सरकारें विदेशी कम्पनियों की आमद तय करेगी।

Important Words

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	Foreign Direct Investment
खुदरा बाजार	Retail Market
अन्तर्प्रवाह	Inflow
विनिर्माण क्षेत्र	Services Sector
विनियोग	Investment
एकल ब्रांड	Sigle Brand
वहु ब्रांड खुदरा बाजार	Multi brand Retail Market
पोर्ट फोलियो विनियोग	Port Folio Investment

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्न्तप्रवाह –

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्वरूप 2001 के बाद अर्न्तराष्ट्रीय परिभाषा के अनुरूप बदल चुका है। रिजर्व बैंक के अनुसार, इसका कारण घरेलु अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों की सतत् मजबूती थी जिससे वित्तीय, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्रों में अन्तर्प्रवाहों में वृद्धि हुई। पोर्ट फोलियों निवेश में भी तेजी से वृद्धि हुई और यह 2006–07 में 7,004 मिलियन डालर से बढ़कर 2007–2008 में 27,270 मिलियन डालर तक पहुंच गया। जैसा कि तालिका नं. 01 में निवेश में हुई तेज वृद्धि को दर्शाया गया है–

तालिका विभिन्न माध्यमों से विदेशी निवेश अन्तर्प्रवाह

अमेरिकी मिलियन डॉलर

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
A	प्रत्यक्ष निवेश जिसमें	8901	22739	34728	37672	33124	23364
अ	इक्विटी	5915	16394	26757	27863	22907	13792
ब	पुनः निवेशित आय	2760	5828	7679	9032	8668	9424
स	अन्य पूँजी	226	517	292	776	1549	148
B	पोर्टफोलियो निवेश	12494	7004	27270	13854	32376	31471
	जिसमें						
अ	विदेशी संस्थागत निवेशक	9926	3226	20327	15017	29049	29422
ब	यूरो इक्विटी और एडीआरएस / जीडीआरएस	2552	3776	6645	1162	3328	3049
	कुल ए+बी	**21395**	**29743**	**61998**	**23818**	**64500**	**54835**

स्त्रोत– आरबीआई रिपोर्ट मुद्रा एवं वित्त, 2003–04 मुबई, 2004 पृ.47

अकटाड़ द्वारा 2011 में किये गये सर्वे के अनुसार भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण देश बन चुका है। परिणामस्वरूप आज रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकार्यता बनी है और एकल ब्रांड (सिग्नल ब्रांड) उत्पादों के खुदरा (फुटकर व्यापार) में सरकारी अनुमोदन के तहत 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की छूट दे दी गई।

अध्ययन विधि एवं उद्देश्य –

वर्तमान सरकार आर्थिक सुधारों के साथ आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में उक्त विषय पर एक समग्र अध्ययन की आवश्यकता है। अतः समग्र अध्ययन के लिये द्वैतीयक संमकों को आधार बनाया गया है, चूंकि चिंतन एवं चिन्ता का विषय होने के कारण दैनिक समाचार पत्रों, टी.वी. न्यूज तथा विभिन्न आर्थिक पत्र पत्रिकाओं की न्यूज पर विशेष ध्यान दिया गया ळें

भारतीय खुदरा बाजार का स्वरूप एवं संभावनायें :–

भारत वर्ष का दैत्याकार खुदरा बाजार आज क्रान्तिपथ की ओर अग्रसर हो रहा है। करीब 50 करोड़ वाले 'मध्यमवर्गीय' वर्ग के उपभोक्त व्यवहार और उसकी क्रय अभिवृत्तियों में आने वाले परिवर्तन पर देशी–विदेशी उद्यमियों में भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने की होड़ सी लगी हुई है। यही कारण है कि मध्यम आकार वाले शहरों में भी बड़े पैमाने पर शांपिंग मॉल, शापिंग प्लाजा, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, आदि की स्थापना हो चुकी है। 'ए.टी. किर्यन' नामक वैश्विक सलाहकार फर्म द्वारा प्रस्तुत 'रिटेल डेवलपमेंन्ट इन्डेक्स के अनुसार विश्व के 30 बड़े खुदरा बाजारों में भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है। हमारे देश में खुदरा बाजार का केवल 8 प्रतिशत कारोबार संगठित क्षेत्र में किया जाता है जो अब 15 से 20 प्रतिशत पहुंचने की संभावना है। देश के जी.डी.पी. में करीब 14 प्रतिशत योगदान देने वाले एक करोड़ छोटे बड़े रिटेल आउटलेट्स से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है।

विश्व में सर्वप्रथम 1922 में अमेरिका के कंसास शहर में कन्ट्री क्लब प्लाजा नामक शापिंग मॉल की स्थापना की थी, तत्पश्चात विशाल शापिंग मॉल्स (मेगामाल्स) का शुभारंभ हुआ। 1981 में कनाड़ा के अलबर्टा प्रान्त में 800 से अधिक दुकानों वाला शापिंग मॉल द वेस्ट एडॉन्टन मॉल की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। इसमें करीब 450 फीट लम्बी झील के साथ–साथ वाटर पार्क, चिड़िया घर, गोल्फ–कोट, होटल व अन्य मनोरंजन व संचार सुविधायें उपलब्ध थी। इसके बाद अमेरिका, यूरोप, भारत व अनेक राष्ट्रों में मेगा मॉल्स की संख्या बढ़ी। सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात जैसे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तो बहुत कुछ शापिंग मॉल पर ही निर्भर है।

भारत में सन् 1960 में 'अपना बाजार' के नाम से मुम्बई में सबसे पहला शापिंग मॉल स्थापित हुआ। आज भारत में करीब 100 शापिंग बड़े मॉल हैं। इनमें से दिल्ली और मुम्बई में सर्वाधिक हैं। विगत दो वर्षों में भारत में मॉल स्थापित करने का जुनून इस कदर फैला है कि वर्ष 2008 के अन्त तक देश में करीब 7.5 करोड़ वर्ग फीट जमीन शापिंग मॉल के लिये घेर ली गई है और मॉल्स की संख्या बढ़कर करीब 500 तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा हिस्सा 74 प्रतिशत मुम्बई, पुणे, बंगलौर, हैदराबाद और दिल्ली के गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में होगा तथा शेष हिस्सा 26 प्रतिशत भाग कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, इन्दौर, लुधियाना, लखनऊ व नागपुर में होगा। भारत का सबसे बड़ा शापिंग मॉल 'एम्बी' गुड़गांव में विकसित किया गया है। 32 लाख वर्गफीट क्षेत्र में फैले इस मेगा मॉल को दक्षिण–पूर्वी एशिया के मेगा मॉल से भी बड़ा मॉल माना गया है।

संगठित क्षेत्र के रिटेल प्लेयर्स –

भारतीय खुदरा बाजार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सबसे पुरानी कम्पनी 'डाबर कम्पनी' है जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। संगठित क्षेत्र में इसका स्थान चौथा है। हिन्दुस्तान लीवन लिमिटेड भी वस्तु विनिर्माण के क्षेत्र में 100 साल से भी पुरानी कम्पनी है। इसके अलावा 'गोदरेज कम्पनी' के साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से एंकर, निरमा, घड़ी, चिक आदि मध्यमाकार वाली कम्पनियां बड़ी हो चुकी हैं। इकॉनोमिक्स इंटेलिजेंस जैसे यूनिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में फिलहाल 53 लाख किराने की दुकाने हैं।

हाल ही में 'रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा 25000 करोड़ रू. के निवेश के साथ 1500 शहरों में अपने रिटेल आउटलेट्स खोलने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त टाटा, डी. सी.एम. रहेजा, भारती, डी.एल.एफ. पेन्टालून, शॉपर्स स्टाप, लाइफ स्टाइल, फूड वर्ल्ड, नीलगिरीज, एबोनी, क्रॉसवर्ड, वालमार्ट आदि के साथ ही फ्रेंचायजी के माध्यम से खुदरा बाजार में प्रवेश करने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में मैकडोनाल्ड, पिज्जाहट, डोमिनोस, ली, एडिडास नाइके, लेवाइस आदि भी शामिल है।

संगठित खुदरा बाजार – 2008

(मदवार खर्च की गई धनराशि)

	मदें	राशि करोड रू.	प्रतिशत
A	क्लोदिंग एण्ड एसेसरीज	21450	39%
B	खाद्य एवं किराना	6050	11%
C	बुक्स, म्युजिक व गिफ्टस	1650	3%
D	मनोरंजन	1650	3%
E	कैटरीन	3850	7%
F	फिनिस्ड फर्निचर	3850	7%
G	मोबाइल फोन व एसेसरीज व सर्विसेज	1650	3%
H	कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स	4950	9%
I	फुटवीयर	4950	9%
J	चूड़ियॉ और ज्वेलरी	3300	6%
K	हैल्थ, ब्यूटी आदि	550	1%
L	अन्य दैनिक खुदरा मदें	1100	2%
	कुल	**55000**	**100%**

स्त्रोत – इंडियर रिटेल रिपोर्ट 2008 (भारतीय मंत्रालय द्वारा जारी)

39%
11%
3%
3%
7%
7%
3%
9%
9%
6%
1%
2%

मदवार खर्च की गई धनराशि प्रतिशत में (100 प्रतिशत)

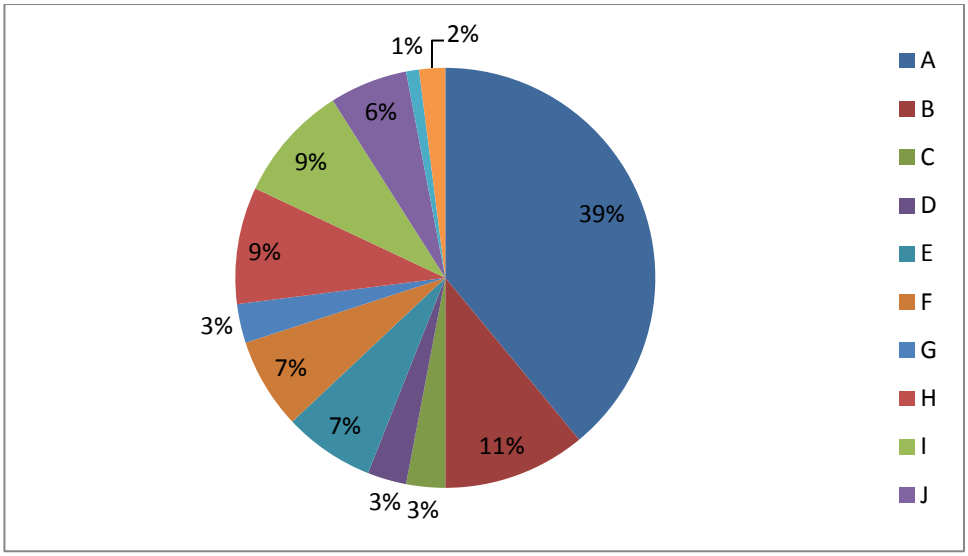

वास्तव में खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का फैसला भारत के सदियों पुराने

व्यापार के स्वरूप को बदलने का पहला बड़ा कदम है। भारत ईसा से 400 वर्ष पूर्व से व्यापारिक देश है। लाखों छोटी बड़ी दुकानों में फैला यह भीमकाय कारोबार अलग–अलग आंकलनो के मुताबिक करीब 20000 अरब रूपये का है। संगठित रिटेल के पिछले दस साल, फ्यूचर्स, (बिग बाजार), स्पेंसर, मोर, सुभिक्षा जैसे देशी रिटेलरों ने गढ़े है। ढेरों अध्ययन, सर्वेक्षण व रिपोर्ट (इक्रीयर 2008, केपी एमजी 2009, एडीबी 2010, नाबार्ड 2011 आदि) भारत में संगठित रिटेल की बहस को आंकड़ों की जमीन देते है। 2008–2009 में कुल खुदरा संगठित– असंगठित बाजार 17594 अरब रू. का था जो 2004–05 के बाद से औसतन 12 फीसदी सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। और 2020 तक 53517 अरब रू. हो जायेगा। नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार संगठित रिटेल करीब 855 अरब रू. का है जिसमें 2000 फीट के छोटे स्टोर सुभिक्षा मॉडल से लेकर 25000 फीट तक के मल्टी ब्रांड हाइपर मार्केट आदि शामिल होते हैं। **भारत की एक तस्वीर यह भी है–**

1. भारत के खुदरा कारोबार में 61 फीसदी हिस्सा खाद्य उत्पादों (अनाज, दाल, फल सब्जी, दूध, चाय, कॉफी, मसाले आदि) का है। जो करीब 11000 अरब रू. बैठता है। इस कारोबार पर असंगठित क्षेत्र का राज है।
2. असंगठित क्षेत्र की दुकाने उपभोक्ताओं के घर से औसतन 280 मीटर की दूरी पर स्थित होती है। जबकि संगठित क्षेत्र की दुकानों की दूरी औसतम डेढ कि.मी. तक होती है।
3. उपभोक्ताओं की टॉपअप खरीद (फुटकर ग्रांसरी) और मासिक खरीद संगठित रिटेलर्स के पास पहुंच रही है। शहरीकरण एवं विकास के चलते परम्परागत, सिकुड़ते, भीड़भरे एवं पुराने बाजारों और दुकानों के प्रति लोगों का रूझान कम हुआ है, अपने ही रहवासी क्षेत्र से वस्तुयें खरीदने के कारण संगठित रिटेलर्स तत्काल वस्तुयें उपलब्ध करा रहे हैं।
4. भारत देश के 50 प्रतिशत में से, उच्च मध्यमवर्गीय परिवारों को छोड़ दे तो मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में वेतनभोगी एवं दैनिक मजदूरों की प्रवृत्ति माह के अन्त में भुगतान की पाई जाती है। अतः उधारी की प्रवृत्ति के चलते रिटेल व्यवसाय में स्थानीय बाजारों का चलन विशेष महत्व रखता है।

भारत में खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. के चलते–चलते खाद्य वस्तुओं की कीमतो में अपार वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप खुदा मुद्रास्फिति की दर 9.75 फीसदी पहुंच चुकी है। खाद्य वस्तुओं में शक्कर, दालें, सब्जियों, कपड़े आदि शामिल हैं।

माह अक्टूबर 2012 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा क्षेत्र में इस प्रकार रहा।

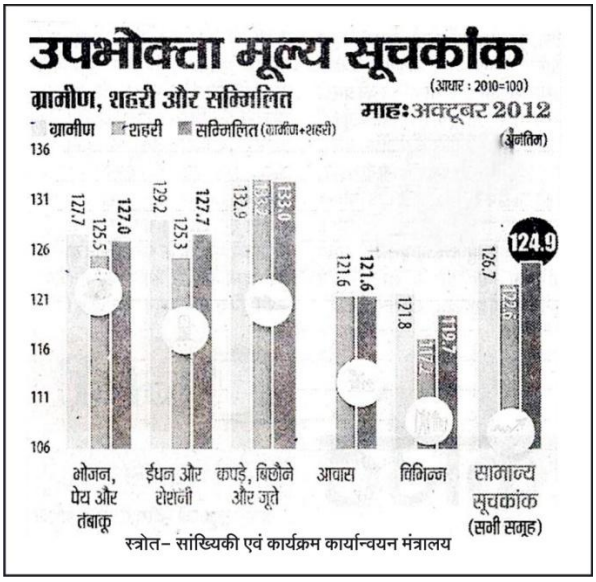

खुदरा मुद्रास्फीति की दर (जनवरी 2013 की स्थिति में)

अक्टूबर 2012	9.75 फीसदी
नवम्बर 2012	9.90 फीसदी
दिसम्बर 2012	10.50 फीसदी

स्त्रोत–सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी

वास्तव में लगातार तीसरे माह में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर में इजाफा हुआ है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मंहगाई दर लगातार तीसर बार भी बढ़ी है।

रिटेल क्षेत्र में समीक्षा अवधि में शक्कर के दाम 19.61 फीसदी तथा खाद्य तेल के दाम 17.92 फीसदी बढ़े। सब्जियों के दाम 10.74 फीसदी बढ़े, मांस, मछली, अंडों के दाम 12.18 फीसदी बड़े। इसी तरह कपड़ों और जूतों के दामों में 10.47 फीसदी की तेजी देखने को मिली और शहरी क्षेत्रों में खुदरा मुद्रा स्फीति अक्टूबर 2012 में 9.75 फीसदी देखने को मिली। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी–निवेश की प्रासंगिकता (वर्तमान परिदृश्य 2012–13)

केन्द्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मल्टी ब्राण्ड खुदरा कारोबार के क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे 590 अरब डॉलर के खुदरा क्षेत्र में वॉलमार्ट, फेरफोर तथा टेस्कों जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तो प्रवेश करेगी ही, शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. को भी मंजूरी दी है इससे फूड, लाइफस्टाईल और स्पोट्र्स क्षेत्र की कम्पनियाँ भी कारोबार का पूर्ण स्वामित्व ले सकेगी।

क्या आवश्यक है रिटेल में एफ.डी.आई– प्रख्यात अर्थशास्त्री लार्ड मेघनाद देसाई के अनुसार अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये जबकि औद्योगिक विकास दर भी धीमी पड़ रही है और मंहगाई पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है ऐसे में विदेशी निवेशकों का हमारे बाजार से मोह भंग न हो और अतिरिक्त पूंजी के साथ बेहतर तकनीक तथा तमाम संसाधनों का लाभ मिलता है तो रिटेल सेक्टर में एफ.डी.आई. की अनुमति एक कारगर कदम है। इससे हमारा बुनियादी एवं असंगठित ढांचा व्यवस्थित किया जा सकेगा।

बहुब्राण्ड रिटेल में एफ.डी.आई. की मंजूरी मिलने से पेंटालून, विशाल और प्रोवोग जैसी रिटेल कम्पनियों के शेयरों में तुरंत खासी तेजी आई। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में पेंटालून का शेयर 12 प्रतिशत चढ़ा, वही विशाल रिटेल के शेयरों में 10 प्रतिशत, प्रोवोग और शॉपर्स स्टापर्स का शेयर क्रमशः 5.72 तथा 5.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ बन्द हुआ। इसके साथ ही टाटा समूह की कम्पनी ट्रेंट का शेयर 1.08 प्रतिशत की तेजी साथ 976.45 रू. पर बन्द हुआ।

अपार संभावनाओं पर नजर –

एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल खुदरा कारोबार, सालाना 350 से 400 अरब डॉलर का है और यहॉ कैश एण्ड कैरी के लिये 150 अरब डॉलर की संभावना है। कई विदेशी रिटेल चेन ने मल्टी ब्राण्ड रिटेल में सख्त नियमों को देखते हुए ही भारतीय बाजार में कदम रखने के लिये कैश एण्ड कैरी मॉडल को एक जरिया बनाया है। इसके पीछे एक खास वजह है, नीलासन के एक हाजिया अध्ययन के मुताबिक वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं में विश्वास सबसे अधिक है। इसीलिये यहॉ खुदरा कारोबार में अपार संभावनायें नजर आ रही है।

कैश एण्ड कैरी याने, थोक में निवेश करने की छूट अर्थात ये केवल खुदरा कम्पनियों को अपना सामान बेच सकते हैं। सीधे ग्राहकों को नहीं। इन्हें कुल निवेश का

आधा हिस्सा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन बनाने का खर्च करना होगा ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर को फायदा हो सके, साथ ही इन कम्पनियों को 30 प्रतिशत उत्पाद भारत की छोटी व बेहद छोटी कम्पनियों से खरीदना होगा और विदेशी रिटेल कम्पनियां सिर्फ दस लाख से ज्यादा आबादी वाले 53 शहरों में ही स्टोर खोल सकेगी।

अमेरिका की दिग्गज खुदरा कम्पनी वालमार्ट ने भारत में 2009 में पहला कैश एण्ड कैरी आउटलेट खोला था और इसके देशभर में 14 स्टोर है आज यह 20 स्टोर और खुलने जा रहे हैं।

भारती वालमार्ट के प्रवक्ता के अनुसार फिलहाल देशभर में हमारे 14 बी टू बी स्टोर के साथ 4 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं।

रिटेल एफ.डी.आई. में रोजगार की संभावनायें –

नया साल 2013 रोजगार की तलाश करने वालों के लिये अच्छा रहेगा। एफएमसीजी और खुदरा व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मार्डहाइरिंग क्लब डॉट काम के सर्वे के अनुसार आर्थिक हालातों में अनिश्चितता के बावजूद वर्ष 2013 में नौकरिया कई क्षैत्रों में बढ़ेगी। इस सर्वेक्षण में 12 उद्योग क्षैत्रों की करीब 4450 कम्पनियों को शामिल किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार के मौके संगठित क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगे। यह संभावना निम्न तालिका में स्पष्ट है –

कहाँ कितने अवसर –

एफ.एम.सी.जी.	1.76 लाख
स्वास्थ्य क्षेत्र	1.72 लाख
आई.टी.	1.69 लाख
हॉस्पिटिलिटी	1.06 लाख
खुदरा क्षेत्र	1.02 लाख
शिक्षा	84,200
बैंकिंग	72,900
मीडिया	66,400
इंजीनियरिंग	63,200
रीयल स्टेट	51,400

फार्मा स्टेट	43,200
ऊर्जा	29,870 आदि

स्त्रौत – माईहारिंग क्लब डॉट कॉम सर्वे के अनुसार

भारतीय खुदरा बाजार में –

रिटेल क्रान्ति के आगाज के साथ अनेकानेक रोजगार अवसरों के सृजित होने की संभावनायें निरंतर प्रबल होती जा रही हैं। पहले खुदरा बाजार में केवल 'विक्रयकर्ता' के रूप में ही रोजगार सुलभ हो पाता था, लेकिन आज रिटेल सेक्टर को एडवरटाइजिंग कस्टमर डीलिंग, एकाउन्टिंग डिजाइनिंग, विजुअल मार्केटिंग, निगोशिएटिंग, मैनेजिंग, टेक्नोलोजी, ट्रेनिग, मानव संसाधन विकास, रीयल स्टेट, बाइंग उपभोक्ता व्यवहार, विपणन सम्मिश्रण आदि घटकों से जोड़ा जा रहा है।

आज 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ने वाले संगठित खुदरा बाजार में निम्न प्रशिक्षित विक्रय सेना (Trained Sales Forces) की प्राथमिकता के साथ नियुक्ति की जा रही है जैसे – स्टोर मैनेजर, रिटेल मैनेजर, रिटेल वायर्स, मर्केडाइजर्स, विजुअल मर्केडाइजर्स, सुपरवाईजर, फ्लोर मैनेजर, काउन्टर, सेल्समेन, भ्रमणशील विक्रयकर्ता, डिपार्टमेंट मैनेजर, मार्केटिंग, सर्विस मैनेजर, टीम लीडर आदि, इनमें महिला एवं पुरूष दोनों को नियुक्ति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

रिटेल सेक्टर में पाया गया है कि फ्रेश स्नातक को 1 से 2 लाख रू. वार्षिक और पूर्ण योग्यता रखने वाले को 4 से 5 लाख वार्षिक वेतन के पैकेज दिये जा रहे हैं। तत्पश्चात एडवरटाइजिंग, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने के साथ साथ पारिश्रमिक पैकेज भी बढ़ता जाता है। कई कम्पनियां तो वेतन और कमीशन पद्धति को साथ साथ प्रयुक्त करती है।

तात्कालिक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा के अनुसार अगले एक वर्ष में देश के भीतर कई अरब डॉलर का निवेश आयेगा। मल्टी ब्राण्ड स्टोरों से सीधे तौर पर 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे जुड़े अन्य संबंधित क्षेत्र में 50–60 लाख लोगों को भी रोजगार मिलेगा और महज तीन वर्षों में एक करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संगठित क्षेत्र की रिटेल दुकानों के सहायक कार्यालयों और स्टोरों में रोजगार मिलेगा।

रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कुछ मिथक इस प्रकार हैं –

1. बहुराष्ट्रीय रिटेल कम्पनियॉ सिर्फ इसलिये भारत में दौड़ी नहीं आयेगी कि सरकार ने मल्टी ब्राण्ड में उन्हें निवेश की इजाजत दे दी है। वे तब तक नहीं आयेगी, जब तक कि इस बात पर राजनीतिक एक राय नहीं होती कि वे यहॉ खुले आम धंधा कर सकेगी।

2. एफ.डी.आई. को लेकर सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि इस कदम से किसानों को फायदा होगा। जबकि हकीकत यह है कि बिचोलियॉ और अक्षम सप्लाई चेन की वजह से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। पंजाब में पेप्सी वहॉ के किसानों का आलू तथा टमाटर घटिया बताकर नहीं खरीदता। मैंकडोनाल्ड भी स्थानीय आलु न लेकर आयात करता हैं स्थानीय थोक विक्रेता भी माल छॉटकर लेते हैं। ऐसे में बड़े रिटेल चेन पूरी गाड़ी ही लौटा देंगे। साथ ही अधिक कीमत पर खरीद संगठित रिटेल के मॉडल का आधार नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है।

3. भारत खाद्य मंहगाई की समस्या से जूझ रहा है। ये खाद्य पदार्थ आयात नहीं होते है बल्कि स्थानीयस्तर पर ही खरीदे बेचे जाते हैं जिसकी सप्लाई करीब 30 प्रतिशत है। यदि रिटेल संगठित क्षेत्र इस क्षेत्र की मंहगाई काबू में कर पाता, तो अभी तक ऐसा हो चुका होता।

4. विदेशी रिटेलर्स दावा करते हैं कि वे स्थानीय उत्पाद खरीदेगे और भारतीय निर्माताओं को फायदा होगा। यदि यह सच है तो वालमार्ट के ग्लोबल ऑपरेशन से अमेरिकी निर्माताओं को फायदा क्यों नहीं हुआ। हकीकत यह है कि ये छोटे और मझोली कम्पनियों को नष्ट कर देते हैं। जापान में अभी तक विदेशी रिटेलर्स नहीं हैं। सिंगल ब्रांड के मामले में भी उसकी शर्तें कठोर हैं।

5. विदेशी रिटेल बिजनेस मॉडल बड़े रिटेल स्टोर फार्मेट पर आधारित हैं। ये अमीरी और तेल पर निर्भरता वाली जीवनशैली को बढ़ावा देता है, जीने और शापिंग करने का यह अमेरिकी अंदाज है, भारतीय नहीं। अतः इन्हें इजाजत देने से पहले प्रत्येक राज्य सरकार को उनकी योजनाओं का बारीकी से अध्ययन करना होगा। कई राष्ट्रों ने यूरोप में आज तक इसकी इजाजत नहीं दी है।

6. भारत में मौजूदा रिटेल कारोबार 23 लाख करोड़ रू. से ज्यादा का है और पिछले कुछ सालों से लगातार 10 से 15 प्रतिशत की ग्रोथ देखी जा रही है। भारत के कुल जी. डी.पी. में इसकी हिस्सेदारी 10 से 13 प्रतिशत के बीच रही हैं। लाखों लोगों की जीविका

इससे जुड़ी हुई है। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे रिटेल कारोबार को विदेशी निवेश की जरूरत हैं या वास्तव में कोई चिंता की बात नहीं हैं। अमेरिका की वालमार्ट कम्पनी के खिलाफ कई बार अमेरिका में ही आन्दोलन हो चुके हैं। अतः एकाधिकारी स्थिति को ध्यान में लाया जाना आवश्यक है।

7. भारत में दुकानदारों के अलावा भी करोड़ों लोग रिटेल मे कारोबार में बिचौलियों का काम करते है। ये मेहनत करके आजीविका कमाते हैं ऐसे लोगों का रोजगार छिन जायेगा, क्योंकि बड़े स्टोर सीधे किसानों से ही खरीददारी करेंगे, मतलब छः –सात बिचौलिये की जगह एक बड़ा बिचौलिया आ जायेगा। मुम्बई का एक अध्ययन बताता है कि बड़े मॉल्स खुलने की वजह से आस–पास की दुकाने बन्द हो चुकी हैं। यह जानना जरूरी है।

8. खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश यदि इतनी अच्छी चीज है तो फिर पूरी दुनियॉ में इसका विरोध क्यों हो रहा है, और इसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तक सीमित क्यों किया गया है। पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया ?

निष्कर्ष –

वास्तव में रिटेल में एफ.डी.आई. के मुद्दे पर देशव्यापी विचार–विमर्श होना चाहिये था। लेकिन जैसी संभावना दिखाई दे रही थी, आखिर वहीं हुआ। एफ.डी.आई. पर राज्यों के रूख से सरकार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई, सरकार नीतिगत मामलों पर कोई फैसला न ले पाने के आरोपों का सामना करती रही। इससे पहले जी.एस.टी. के मामले में भी राज्य व केन्द्र सरकार का तालमेल नहीं बैठा था। मल्टीब्राण्ड रिटेल में राज्यों के रूख को देखकर लगता है कि कई राज्यों में विदेशी रिटेल चेन तभी आयेगी जब उसे आश्वस्त करने वाला माहौल मिलेगा।

रिटेल के ताजा राजनीतिक नक्शे से बड़े राज्य नदारद हैं जिनके दायरे में दस लाख की आबादी वाले ज्यादातर शहर आते हैं। उत्तरप्रदेश के 07, केरल के 07 मध्यप्रदेश के 04, गुजरात के 04 और तमिलनाडु के 04 शहरों अर्थात कोलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, लखनउ, गाजियाबाद, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, इन्दौर, भोपाल आदि के बिना ग्लोबल रिटेल की दुकानें नहीं जमेगी। खुदरा कारोबार बहुत भारी और लम्बे निवेश का धंधा है इसलिये कुछ ही कम्पनियां पूरी दुनिया पर राज कर पाती है।

ग्लोबल रिटेलरों को अगले दस साल में 700 लाख वर्गफीट की जगह का जुगाड़ करना है, इसलिये करीब 200 लाख वर्गफीट की जगह संभालने वाले देशी रिटेलर इनका

पहला निशाना होंगे। पूरी सप्लाई चेन का नियंत्रण और कारोबार का बड़ा आकार संगठित रिटेल में फायदे का सूत्र है। इस सूत्र के दो सिरे हैं।, जिसका एक सिरा मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में खुलता है और दूसरा देशी रिटेलरों की खराब होती बैलेंस शीट में। कहा जा रहा है एक तरफ सरकारी मंजूरियों का बाजार चलेगा और दूसरा जिसमें सौदे, वित्तीय और शेयर बाजार की दुकानों में होंगे।

इन सभी के बावजूद भी भारत के देशी खेरची कारोबार में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना आवश्यक होगा। अन्यथा एफ.डी.आई. बाजार पर अपना शिकंजा कस लेगा। निवेशकों के सामने दुविधा वाली स्थिति तो बन ही चुकी है। वर्तमान में म.प्र. में छोटे–बड़े लाखों खेरची किराना स्टोर्स खुल रहे हैं वे जनता को कोई राहत नहीं दे रहे हैं। ऊँची एम.आर.पी. छपवाकर व्यापार कर रहे हैं। दुगने दाम वसूले जा रहे है, नकली वस्तुऐं मार्केट में धडल्ले से बिक रही हैं। बड़े स्टोर्स थोक में हजारों क्विंटल सामान खरीदते हैं तो लागत कम होने से वस्तुओं के दाम भी कम और नियंत्रित होते हैं अर्थात् कम मूल्य पर अधिक माल बेचने के कारण भरपूर लाभ तो कमाते ही है साथ छोटे खेरची व्यापारियों को भी समाप्त कर देते हैं। इन निवेशित व्यापारियों की विशेषता यह भी है कि ये साफ सुथरी वस्तुयें बेचते हैं, जो नकली या मिलावटी नहीं होती हैं। जबकि यह दुर्गुण भारतीय खेरची व्यापारियों की रग रग में भरा होता है। शहर या गांव के खेरची व्यापारी हल्की क्वालिटी की सस्ती वस्तुयें खरीदकर ऊँचे भावों पर बेचते है। नकली एवं मिलावटी तथा घटिया वस्तुयें बेचने में इन्हें तनिक शर्म भी नहीं आती है। एफ.डी.आई. का बड़ा प्रभाव बिचौलिया व्यापारियों पर भी पड़ेगा इन्हें मिलावटी खाद्य वस्तुयें, घटिया तेल, वनस्पति, नकली घी, नकली कॉस्मेटिक्स, बेचने व विकबाने में महारथ हासिल होती है। भारत में इनकी दुर्गति के लिये ये स्वयं जिम्मेदार होंगे। वर्तमान में जो इंस्पेक्टर नकली माल बेचने के लिये आज संरक्षण दे रहे हैं, बड़े स्टोर्स खुलने पर उन्हीं के इशारों पर छोटे व्यापारियों यहॉ छापे डालेंगे।

फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि विदेशी कपड़ा अच्छा और मजबूत होने के बावजूद भी महात्मा गांधी ने बुनकरों को बचाने के लिये विरोध किया था। आज यदि गांधीजी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण होते तो खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. लाने की हिम्मत कोई सियासत नहीं करती।

संदर्भ सूची –

1. पुस्तक भारतीय अर्थशास्त्र मिश्र एवं पुरी
2. प्रतियोगिता दर्पण 2010 अगस्त पृ.क्र. 66
3. माईहाइरिंग क्लब द्वारा जारी नेट सर्च की रिपोर्ट
4. अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर 2012 के समस्त दैनिक अखबारों की सुर्खिया आदि।
5. विभिन्न टीवी न्यूज चैनलों की चर्चायें।
6. रेटिंग एजेन्सी मुडीज की 2012 संबंधी रिपोर्ट
7. भारतीय रिजर्व बैंक आर.बी.आई. की मंहगाई समीक्षा रिपोर्ट 2012

भारत में महिला सुरक्षा कानून एवं महिला सशक्तिकरण

प्रो. अलका जैन
स.प्रा. अर्थशास्त्र
email : profalkajain@gmail.com

महिला सुरक्षा : एक चिंतनीय पहलू–

महिलाएं किसी भी राष्ट्र, समाज व परिवार की धुरी होती है पर बहुत ही आश्चर्य एवं दुख की बात है कि **"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः"** जैसे आप्त वचन का अक्षरशः पालन करने वाले भारत जैसे परम्परावादी एवं महान राष्ट्र में आज भी महिलाओं की स्थिति में न तो कोई बदलाव आया है और न ही कोई क्रांतिकारी परिवर्तन। पूर्वाग्रहों और विषमताओं के फलस्वरूप उन्हें 21 वीं सदी में अनेक समस्याओं तथा पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है।

सृष्टि संरचना के दो अंग है स्त्री और पुरूष। लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि जो नारी सृष्टि संरचना का केन्द्र बिन्दु रही है, वह नारी इतिहास की पंक्तियों में दोयम दर्जे की बनकर रह गई है। प्राचीन समय में नारी की ऐसी दुरावस्था नहीं थी किन्तु आज तथाकथित सभ्य प्रगतिशील समाज में नारी भोग्या एवं मनोरंजन का साधन बन कर रह गई है। शिक्षा और आर्थिक अधिकारों से वह कोसों दूर है। मूल्यों का इतना अधिक अवमूल्यन कि आज उसे जीवन के अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है।

वास्तव में यह एक वैश्विक समस्या है। भारत में नहीं पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में लड़कियों का पैदा होना ही अभिशाप माना जाता है। इन देशों में यह स्थिति महिलाओं के प्रति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षापूर्ण रवैया तथा पुत्र प्राप्ति की मानसिकता के कारण लम्बे समय से चली आ रही है। अमेरिका में स्त्रियाँ सबसे अधिक यौन शोषण, मानसिक, अत्याचार एवं बलात्कार की शिकार होती रही है। अधिकांश विकासशील देशों में परम्परागत समाज में महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता से वंचित रखा जाता रहा है, वहाँ नारी की स्वतंत्रता को पारिवारिक विघटन के रूप में देखा जा सकता है। बंग्लादेश में सबसे ज्यादा लड़कियों की मौत गर्भ के समय, जन्म के बाद और दहेज के कारण होती है। श्रीलंका में महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता है।

भारत जैसे सभ्य और विकासशील राष्ट्र में महिलाओं की अस्मिता की रक्षा उनकी समुचित भागीदारी एवं उचित प्रतिनिधित्व हेतु अनेक नियम व कानून बने हैं पर इसके बावजूद आज भी उन्हें उनकी हैसियत व उनकी जनसंख्या के अनुपात में उपयुक्त स्थान मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देश के एक बहुत बड़े भाग में महिलाएं जहां एक ओर कुपोषण, एनीमिया और पौष्टिक आहार की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहीं हैं वहीं दूसरी ओर बालवेश्यावृत्ति, बाल विवाह, देह–व्यापार, महिलाओं की खरीद–फरोख्त, कन्या भ्रूण–हत्या, दहेज–हत्या, भेदभाव तथा अशिक्षा आदि कुछ ऐसी ज्वलन्त

समस्याएं है जो हमारा पीछा आज भी नहीं छोड़ रही हैं। हमारे देश में जहां बालिकाओं को गर्भ में ही मरने के लिए विवश कर दिया जाता है वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को पैदा होने का अवसर तो प्रदान किया जाता है पर सामाजिक पारिवारिक अंधविश्वास के चलते जीवित ही जमीन में गाड़ दिया जाता है। यह हमारे समाज का एक ऐसा भयावह और घिनौना दृश्य है जो हम सबको कलंकित करने के साथ–साथ हमारी प्राचीन एवं अर्वाचीन सभ्यता को भी शर्मसार कर देता है।

भारत में महिला सुरक्षा कानून– गाँधीजी ने कहा था–''महिलाओं को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, मैं किसी भी हालत में महिलाओं के अधिकारों के विषय पर समझौता नहीं कर सकता। मेरे विचार में कानूनी असमर्थता के तहत् महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। मैं तो लड़के व लड़कियों को समान स्तर पर पूर्ण समानता का पक्षपाती हूँ।''

15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से हमें आजादी मिली। इस आजादी की लड़ाई में भारतीय महिलाओं ने पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। यहाँ तक कि कुछ महिला तो जेल तक गई। जब भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया तो इस सभा का मुख्य कार्य एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो भारत के सभी लोगों स्त्री–पुरूष, अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित को समान सुरक्षा प्रदान कर सके।

भारत के संविधान की प्रास्तवना **'हम भारत के लोग'** शब्द से प्रारंभ है, जिसका अर्थ है स्त्री और पुरूष को समानता का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए है।

अनुछेदन 15–

1. राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

2. कोई नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नियोग्यता दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा।

3. अनुछेदन का कोई भी प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चे के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता।

अनुछेदन 16–

4. राज्य के अधीन किसी पद के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई नागरिक अयोग्य नहीं होगा।

अनुछेदन 21– यह प्राण, देहिक स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है। यह अधिकार स्त्री–पुरूष को समान संरक्षण देता है।

अनुछेदन 39– पुरूष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

– पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

– पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो।

राज्य महिलाओं के लिए प्रसूतिकाल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधा की व्यवस्था करेगा।

अनुछेदन 43– यह महिला मजदूरों के लिए वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करता है।

अनुछेदन 51– प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए। अनुछेदन 320, 326 निर्वाचन नामावली में महिला और पुरूषों को समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार देता है।

भारत में महिला मानव अधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है तथा महिलाओं के लिए विस्तृत अधिकारों की विवेचना की गई हैं। इस संदर्भ में संविधान में विभिन्न अधिनियमों को स्थान दिया गया है–

बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (संशोधित 1976) – लड़के के विवाह की आयु 21 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष तय की गई है। तथा अपराध को संज्ञेय बना दिया गया।

दहेज निवारण अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) – इसके अन्तर्गत दहेज लेना दण्डनीय अपराध है तथा दहेज–मृत्यु पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (संशोधित 1986)– इसके अन्तर्गत व्यवस्था है कि संदिग्ध या अपराधी महिला से पूछताछ, तलाशी, एक गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस या महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा की जायेगी।

सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 – इस अधिनियम के अन्तर्गत सती कर्म करने के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 – इसके अन्तर्गत समान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971– इस अधिनियम के अनुसार गर्भ समापन कब किया जा सकता है, बताया गया है। कन्या–भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है।

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम 1986 – इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रण नहीं किया जायेगा जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे। समस्त विज्ञापन, प्रकाशन आदि में अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया है।

चलचित्र अधिनियम 1952 – इस अधिनियम में फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है जो ऐसी फिल्मों पर रोक लगायेगा जिसमें महिलाओं की मर्यादा भंग होती हैं।

विशेष विवाह अधिनियम 1954 – इसमें महिलाओं को पैत्रक सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया है। हिन्दू विवाह अधिनिमय 1956 स्त्रियों को भरण–पोषण ओर सम्पत्ति प्रदान करता है।

प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1993– इसमें गर्भावस्था में बालिका–भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।

73वॉ, 74 वॉ, संविधान संशोधन 1993 – इस नियम के द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता (फौजदारी कानून) की धारा 376 – बलात्कार के अपराध से संबंधित है। इस जुर्म के लिए अपराधी को उम्र कैद भी हो सकती है।

घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 – यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार से बचाने का प्रावधान है। महिलाओं को प्रताड़ित करने के अपराध में एक वर्ष तक की जेल अथवा बीस हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है।

पैत्रक सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 2005– पैत्रक सम्पत्ति में बेटे और बेटियों को समान अधिकार प्राप्त हो गये है।

महिला सुरक्षा बिल–

देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाए गए महिला सुरक्षा बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के साथ अप्रैल 2013 में ये बिल अब कानून बन गया है। दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके चलते कई सामाजिक संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून की मांग की। नए बिल में न केवल साधारण यौन अपराधों की सजा बढ़ाई गई है बल्कि बलात्कार मामले में न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला के संवेदनशील अंगों से छेड़छाड़ को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून के तहत सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराधों को वर्गीकृत कर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा है।

नये बिल में क्या है प्रावधान

– बलात्कार मामले में न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम मौत की सजा।

– महिला के संवेदनशील अंगों से छेड़छाड़ भी माना जाएगा बलात्कार। ऐसे मामलों में कम से कम 20 साल और अधिकतम ताउम्र कैद।

– तेजाब हमला करने वालों को मिलेगी 10 साल की सजा।

– ताकझांक करने, पीछा करने के मामले में दूसरी बार नहीं मिलेगी जमानत बार–बार पीछा करने पर अधिकतम पांच साल सजा।

– सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल ही रहेगी।

– सजा के अतिरिक्त दुष्कर्म पीडि़त के इलाज के लिए अभियुक्त पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान।

– महिला के कपड़े फाड़ने पर भी सजा का प्रावधान।

– धमकी देकर शोषण करने के लिए सात से दस साल कैद तक की सजा।

– बलात्कार के कारण हुई मौत या स्थायी विकलांगता आने पर आरोपी को मौत की सजा।

– बलात्कार के मामलों की सुनवाई में महिला के बयान या पूछताछ के दौरान मजिस्ट्रेट असहज करने वाले सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इसके अलावा इस दौरान आरोपी पीडित महिला के सामने मौजूद नहीं रहेगा।

तेजाब हमलों पर भी कड़ी सजा

तेजाब हमलों पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस मामले में उम्रकैद की सजा के प्रावधान को हटा लिया गया है। नये कानून के मुताबिक महिला पर तेजाब से हमला करने वालों को 10 साल की सजा मिलेगी। ताकझांक करना, पीछा करना और घूरना अब जमानती अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं।

महिला सुरक्षा कानून के तहत अन्य कानूनों में बदलाव

बलात्कार के अलावा यौन अपराधों से जुड़े अन्य मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान के लिए इस कानून के जरिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में जरूरी संशोधन भी किया गया है।

भारत में महिला सशक्तिकरण –

भारत सरकान ने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जारी की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य और राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में लिंग समानता का सिद्धांत अंतनिर्हित है। संविधान में न केवल महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है, बल्कि इसमें राज्यों को इस बात के भी अधिकार दिये गये है कि वे महिला हितों के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकते है।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और कानूनी हक प्रदान करने के लिए 1990 में संसद में पारित एक कानून के जरिए ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' का गठन किया गया। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के जरिए महिलाओं के लिए पंचायतों व नगर निगमों में स्थान आरक्षित किये गये। इससे स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण व निर्णय निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी की मजबूत नींव तैयार हुई।

भारत ने महिलाओं के बराबरी के अधिकार को सुरक्षित करने के प्रति वचनबद्ध अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों व मानवाधिकार समझौतों का अनुमोदन भी किया है। इनमें 1993 की महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने की संधि, 1985 की नैरोंबी प्रगतिशील रणनीति संधि, 1995 की बीजिंग घोषणा व प्लेटफार्म फॉर एक्शन संधि, 1975 की मैक्सिको कार्य योजना और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत 21वीं शताब्दीं के लिए लिंग समानता और विकास व शांति पर घोषणा पत्र शामिल है।

महिला सशक्तिकरण नीति के उद्देश्य –

– आर्थिक व सामाजिक नीतियों के जरिए महिलाओं के विकास के लिए वातावरण तैयार करना।

– राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक, सभी क्षेत्रों में पुरूषों के बराबरी के आधार पर सभी मानवाधिकारों व मूल स्वतंत्रता का महिलाओं को लाभ पहुँचाना।

– राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय निर्धारण में महिलाओं को बराबर अवसर प्रदान करना।

– सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल, गुणात्मक शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, मेहनताना, पेशेगत स्वास्थ्य व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाा आदि में बराबर अवसर प्रदान करना।

– महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत बनाना।

– पुरूषों व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के जरिए सामाजिक दृष्टिकोण व सामुदायिक प्रथा में बदलाव लाना।

– महिलाओं के खिलाफ होने वाली सभी तरह की हिंसा को रोकना।

– नागरिक संगठनों, खासतौर पर महिलाओं के संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना व उसे मज़बूत बनाना।

पिछले तीन दशकों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता को बढ़ाने वाले कदमों या उपायों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता और मूलभूत मानवाधिकारों तक महिलाओं की पहुँच, पोषण व स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

लिंग समानता हासिल करने का संयुक्त राष्ट्र और दूसरी कई एजेंसियों का कार्य एक–दूसरे से नजदीकी रूप से जुड़े तीन क्षेत्रों की ओर अभिमुख है। महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूती प्रदान करना जिसमें नई तकनीकी और नए व्यापार एजेण्डा पर ध्यान केन्द्रित है, महिला नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करना। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए अभी बहुत लम्बा फासला तय करना है और इस कार्य के लिए कई मंचों पर एकाग्र प्रयासों की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ एवं निष्कर्ष–

भारत में जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की प्राप्ति का प्रश्न है, तो यह कटघरे में है। भारत की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि स्त्री को दोयम दर्जे का इंसान समझा जाता है। हमारी नींव ही (धार्मिक ग्रंथ) स्त्रियों की जड़े खोद रही है। जब नींव ही कमजोर हो तो उसकी इमारत कैसे मजबूत हो सकती है। सिर्फ 60 साल की आजादी बरसों से चली आ रही गुलामी को कैसे तोड़ सकती है। महिलाओं की स्थिति सुधारने और उसे समानता का हक दिलवाने के लिए संविधान में सारे प्रंबंध औचित्यहीन हो जाते है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम है, फिर भी दहेज के लिए कितनी ही लड़कियों को जला दिया जाता है या उन्हें आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ता है। बाल विवाह अवरोध अधिनिमय है लेकिन हर साल कई बाल विवाह होते है। सती निवारण अधिनियम है पर आज भी सती होने की घटनाएँ होती है। कन्या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है पर वह लगातार जारी है। बलात्कार पर कठोर

प्रावधान है पर बलात्कार होते रहते है। घेरलू हिंसा अधिनियम बन चुका है लेकिन घेरलू हिंसा लगातार जारी है। लिंग भेद हर स्तर पर देखने को मिलता है।

लिंग भेद के मामले में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में 56 देशों में भारत का स्थान 53 वाँ है। राजनैतिक अधिकारिता में 24 वाँ, स्वास्थ्य व बेहतर रहन–सहन के क्षेत्र में 34 वाँ 9 आर्थिक अवसरों के क्षेत्र में 35 वाँ, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी में 57 वाँ व 54 वाँ, स्थान हैं।

यही कारण है कि आज भी पुत्र की चाह में पुत्रियों की बलि चढ़ा दी जाती है। आज बाल जन्मदर 1000 लड़कों पर 940 लड़कियाँ रह गई है। शहरों में यह प्रतिशत और भी कम है।पहले तो स्त्रियों को दूसरे अधिकारों से वंचित किया गया लेकिन आज तो उसे जन्म लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। तब हम कौन–सी स्वत्रंता की बात करते हैं? और कौन–से मानव अधिकार की? क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जब उसी अधिकार से उसे वंचित कर दिया जाता है तब सारी बातें खोखली लगती है।

प्रत्येक वर्ष एक करोड़ बीस लाख लड़कियाँ जन्म लेती है लेकिन 30 प्रतिशत लड़कियाँ 15 वॉ जन्मदिन भी नहीं देख पाती । हर जगह उपेक्षा का शिकार होती है। बलात्कार के मामले में 90 प्रतिशत गिरफ्तारी के बावजूद 77 प्रतिशत लोग बाईज्जत बरी हो जाते है। बलात्कार के 56 हजार मामले लंबित है। देशभर में 40000 बाल वेश्याएं है। व्यावसायिक बाल वैश्यावृत्ति 5 से 10 प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहीं हैं।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल में राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 2004 के एक दिन पूर्व जारी रिर्पोट में कहा कि विश्व मे एक तिहाई महिलाएं अपने जीवन में गम्भीर हिंसा झेलती है ओर यह उनके मानव अधिकार का उल्लघन है। विश्वभर में कराए गए 50 सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हर तीन में एक महिला अपने जीवनकाल में पीटी जाती है और यौन कार्यों में जबर्दस्ती धकेल दी जाती है। 16 से 44 साल के बीच महिलाओं की मौत और विकलांगता का प्रमुख कारण घरेलू हिंसा है। 30 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं पर अत्याचार होता है। भ्रूण हत्या के कारण विश्व में 6 करोड़ महिलाओं का जन्म ही नहीं हो पाता। जो महिलायें हत्या की शिकार होती है उनमें 70 प्रतिशत अपने पतियों द्वारा शिकार होती है। अनपढ़ और गरीब होने के कारण ये महिलाऍ अपने अधिकरों की लड़ाई नहीं लड़ पाती है। ये सब ऐसी चुनौतियाँ है जिनको दूर करना आसान नहीं है।

स्त्री हमेशा समाज की दृष्टि में एक औरत है, एक इंसान या एक व्यक्ति नहीं, वह तो सिर्फ और सिर्फ एक औरत है। यही कारण है कि एक स्त्री सदा औरत बनकर पिछड़ती आई है। उसकी देह की सुरक्षा ने उसे सदा के लिए कमजोर बना दिया है और पुरूष के लिए मात्र देह बनकर रह गई है।

जरूरत है समाज के इस दृष्टिकोण को बदलने की, उसे आगे बढ़ावा देने की न कि जंजीरों से जकड़े रखने की, उसे सशक्त करने की न कि शोषण करने की।वास्तव में महिला सुरक्षा को जन–मानस अपने मन से क्रियात्मक रूप देगा तभी महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होगा।

संदर्भ सूची–

- अग्रवाल अनुजा, 2013 हेय समझने की मानसिकता' नईदुनिया 1 सित. 2013, पृष्ठ क्र. 3
- चन्द्रशेखर डॉ. ममता, 2008, मानव अधिकार और महिलाएँ, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
- चतुर्वेदी पंकज, 'देश में बिगड़ता लैंगिक अनुपात', दैनिक जागरण 2013.
- जोशी आर.पी., 2003 मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य, नवजीवन पब्लिशींग हाउस, अहमदाबाद
- कुमार रंजना, 2013 'लगातर घट रहा औरत का सम्मान', नईदुनिया 13 जून 2013 पृष्ठ क्र. 3
- मेहता डॉ. दीपक, 2013, 'बंदिशों से बेफ्रिक हिंसा से गुरेज नहीं' नईदुनिया, तरंग 1 सित. 2013 पृष्ठ क्र. 3
- परसाई संजीव, 2014 'ओर कितना असमंजस आधी आबादी के सवालों पर' जनसत्ता पृष्ठ क्रं. 4
- रघुवंशी राखी, 2014 'महिलाओं की आजादी का रास्ता' दैनिक पीपुल्स समाचार 27 जुलाई, पृष्ठ क्र. 5
- शर्मा डॉ. पुलकित, 'बेकाबू पुरूषः शैतान बन रहे शरीफ' नईदुनिया, 1 सित. 2013 पृष्ठ क्रं. 3 (तरंग)
- सिंह अभिमन्यु, 2013 'लुटती अस्मत चुभते सवाल' नइदुनिया, तरंग 13 जून 2013, पृष्ठ क्र. 3
- श्रीवास्तव राजीव, 2009 'महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति' समसामयकी महासागर जून 2009 पृष्ठ क्रं. 7
- शैवाल स्वाति, 2013 'अभावों की जानलेवा विरासत' नायिका, नईदुनिया 10 अप्रैल 2013 पृष्ठ क्र.2
- व्यास डॉ. गिरिजा, 2010 महिला सशक्तिकरण : 'एक नई सुबह का आगाज' – मानव अधिकार : नई दिशाए, वार्षिक अंक 2010, पृष्ठ क्रं. 163, 164 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली

Tejaswinisanwaad.blogspot.in

www.naidunia.com

www.jstor.org

बुंदेला वीर महाराजा छत्रसाल

डॉ. प्रेरणा ठाकुर
प्राध्यापक – इतिहास
मोबा. 98266 44262

सारांश

भारत के इतिहास में परमवीर महाराणा प्रताप छत्रपति महाराजा शिवाजी तथा महाराजा छत्रसाल के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे गये हैं क्योंकि इन सभी ने विपरीत परिस्थितियों में अपना स्थान बनाया। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के जमींदार चम्पतराय के पुत्र थे। 1649 ई. में जन्मे इस वीर योद्धा ने 5 सैनिकों के साथ अपने सैन्य संगठन का प्रारंभ करके अद्भुत सैन्य कुशलता के बल पर उसे 50 हजार सैनिकों तक विस्तृत किया तथा औंरगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को चुनौती दी। शिवाजी को राजनैतिक गुरू तथा स्वामी प्राणनाथ को आध्यात्मिक गुरू स्वीकार कर महाराजा छत्रसाल ने संपूर्ण बुंदेलखड क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया।

प्रस्तावना –

महाराजा छत्रसाल एक अद्भुत व्यक्तित्व सम्पन्न यौद्धा थे। उनके जीवन में ओजस्वी पुरूषार्थ, छतविहीन भक्ति और उत्कृष्ट देश प्रेम एक साथ समाहित था। कर्मठ और उद्यमी छत्रसाल ने जो कुछ भी कर दिखाया वह निसंदेह सबके लिए अनुकरणीय है।

छत्रसाल ने विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। जिस समय छत्रसाल ने अपना संगठन कार्य आरंभ किया उस समय भारतवर्ष में मुगल सत्ता का आंतक अपनी चरम सीमा पर था, हर व्यक्ति मुगलों से भयाक्रांत था अतः कोई भी प्रतिकार के लिए आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था, उस समय एक साधनहीन व्यक्ति का छत्रपति हो जाना एक आश्चर्यजनक घटना ही थी। प्रारंभ में छत्रसाल को उनके कुटुम्बियों संबंधियों ने हतोत्साहित किया, मुगलों के विरूद्ध हथियार उठाने से रोका। परन्तु छत्रसाल का इन विरोधों के बावजूद मुगलों के विरूद्ध एक संगठित सेना तैयार करने में सफल रहे। छत्रसाल की दृढ़ता, कर्मठता और संगठन कुशलता ने तथा ईश्वर के प्रति असीम विश्वास ने उन्हें अंत तक यशस्वी और विजयी बनाया।[1]

(1) कुशल एवं जनप्रिय शासक –

एक राजा के नाते छत्रसाल जितने उदार थे उतने ही कठोर भी थे। उनके सामने राजा राम का आदर्श था, यही कारण था कि वे इतने लोकप्रिय भी थे। अपनी अधीन रहने वाले शासकों को छत्रसाल ने सलाह दी थी –

चाहौन्धन, धाम भूमि, भूषन भलाई भूरि,
सुजस सहूरजुत रैयत को ललियौ।
तोड़ादार घोड़ादार वीरन सो प्रीत करि,
साहस सों जीतिं जंग खेत तेजन चालियौ।
सालियो उदंडनि को दंडिन को दीजो दंड,
करि कै घमंड घाव दीन पैन धालियों।
विनती छत्रसाल करै होय जो नरेस देस,
रहैं न कलेस लेस मेरी कहयौ पालियो।[2]

छत्रसाल की प्रजा अपने शासक से बहुत संतुष्ट थी। प्रजा छत्रसाल को बहुत चाहती थी। छत्रसाल प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। मुगलों के कारण बुंदेलखंड में पर्दा प्रथा आरंभ हो गई थी, जिसे छत्रसाल ने दूर करने का प्रयास किया। महिलाऐं छत्रसाल के राज्य में बिना भय के निकल सकती थीं। स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार करने वालों के लिए कठोर दंड व्यवस्था थी।

छत्रसाल निरन्तर युद्धों में लगे रहने के कारण बहुत सी समस्याओं की ओर स्वयं ध्यान नहीं दे सके थे अतः उन्होंने जागीरदारों और मैमारदारों के माध्यम से शासन चलाने की एक उत्तम शैली निकाली। इतने विस्तृत राज्य की शासन व्यवस्था भी छत्रसाल विशेष रूचि लेकर स्वयं उनका निरीक्षण करते थे। जागीरदारों व ग्राम पंचायत के पंचों के कार्य में छत्रसाल बहुत ही कम हस्तक्षेप करते थे। अतः छत्रसाल बहुत ही शासन व्यवस्था में निरंकुशता नहीं आ पायी थी।

छत्रसाल की उदारता व प्रजा–वत्सलता की कथाएं बुंदेलखंड में आज भी प्रचलित हैं। अपनी प्रजा को छत्रसाल संतान की तरह प्यार करते थे। उनका कहना था –

छत्रसाल जनपालिबौ, अरहिं घालबो दोय,
नहिं बिसारियौ, धारियौ, धरा–धरन कोउ हौय,
बालक लौं पालहिं प्रजा, प्रजापाल छत्रसाल।
ज्यौं सिसु हित अनहित सुहित करत पिता–प्रतिपाल।

छत्रसाल ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी और बुंदेलों को संगठित भी किया था। बुंदेलों की आपसी एकता के लिए भी छत्रसाल ने बहुत अधिक प्रयास किये परंतु यह शायर देश का ही दुर्भाग्य था कि स्वार्थी लोगों ने इसे सफल नहीं होने दिया।[3]

(2) प्रतिभाशाली सैनिक व सेनानायक

महाराजा छत्रसाल की सैन्य प्रतिभा अद्वितीय थी। अपनी अनूठी सैनिक प्रतिभा के कारण उन्होंने बुंदेलखंड में सेना का कुशल नेतृत्व किया और अद्‌भुत सफलताएं प्राप्त की। वैसे तो बुन्देले युद्धप्रिय होते ही हैं। छत्रसाल के पिता चम्पतराय भी अपने समय के कुशल योद्धा थे अतः उत्तराधिकार में ही छत्रसाल को यह वीरता प्राप्त हुई थी। किन्तु इस विरासत में मिली प्रतिभा का विकास जिस तरह छत्रसाल ने किया वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

एक सैनिक की तरह छत्रसाल शस्त्र संचालन में अत्यंत दक्ष थे। एक स्थान पर बैठकर सेनापति की तरह छत्रसाल युद्ध का केवल संचालन ही नहीं करते थे, वे सदा सैनिकों का नेतृत्व करते हुए युद्धों में आगे ही दिखते थे। इससे सैनिकों का मनोबल सदा बना रहता था। पुरंदर के घेरे से लेकर बीजापुर का आक्रमण, दांगी–युद्ध लौहगढ़–दुर्ग की लड़ाई तक छत्रसाल ने सभी स्थानों पर सेनानायक होते हुए भी एक सैनिक की तरह अपने साथियों के साथ ही रहे और इसी कारण उन्हें विजय भी प्राप्त हुई।[4]

छत्रसाल असाधारण योद्धा के साथ ही दक्ष सेनापति भी थे। वे क्षण भर में ही स्थिति को भांप लेते थे अतः अपनी इसी क्षमता के कारण वे लम्बे समय तक मुगलों से लोहा लेने में सफल रहे।

छत्रसाल ने अपनी रणनीति स्वयं विकसित की थी। कब लड़ना, कब शत्रु के ही बीच बैठकर विश्राम करना और कब शत्रु पर पुनः चढ़ बैठना यह छत्रसाल अच्छी तरह जानते थे। छत्रसाल ने बुंदेलखंड की पहाड़ियों का अपनी विशष्ट युद्धशैली में बहुत उपयोग किया।

छत्रसाल का सैन्य संगठन भी अद्वितीय था उनकी सेना में 12000 घुड़सवार व लगभग 42000 पैदल थे। सेना में निम्न जाति के योद्धा भी थे।[5]

(3) धार्मिक दृष्टिकोण

छत्रसाल का धार्मिक दृष्टिकोण अत्यंत उदार था। भगवान पर छत्रसाल का अगाध विश्वास था। छत्रसाल की कविताओं से पता चलता है कि वे कृष्ण भक्त थे। कृष्ण, राधा, रामचंद्र, नृसिंह, गणेश, आदि पर भी छत्रसाल ने कविताएं लिखीं।

छत्रसाल ने कभी भी मुस्लिमों या अन्य धर्मावलंबियों पर अत्याचार नहीं किया। छत्रसाल ने मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को पुनः मंदिर का रूप दिया परन्तु कभी भी मूल मस्जिद को तुड़वाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। छत्रसाल मुसलमान जाति से नहीं वरन् उसकी हिन्दू विरोधी भावना के प्रति विरोध था। छत्रसाल एक समर्पित कृष्ण भक्त थे। भक्तों का संसार में कोई शत्रु अथवा विरोधी नहीं होता। औरंगजेब के विरूद्ध भी वे किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि उसके दुराचारी और अन्यायी शासन के विरूद्ध थे। छत्रसाल हिन्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तान को महान बनाना चाहते थे।[6]

(4) हिन्दू शक्ति संगठक

छत्रसाल ने बुंदेलखंड से मुगल शासन को हटाकर हिन्दू राज्य की स्थापना तो की ही, दक्षिण में छत्रपति शिवाजी तथा उनके उत्तराधिकारियों के हिन्दू धर्म रक्षण तथा स्वराज्य संस्थापन के कार्य में परोक्ष रूप से पर्याप्त सहायता पहुंचाई। छत्रसाल के कारण मुगल सेना दक्षिण भारत में हिन्दू राजाओं के दमन के लिए सरलता से नहीं जा सकती थी। छत्रसाल की छापामार सेना मुगलों का कोष लूट लेती थी, अतः उनके विरूद्ध मुगलों को पर्याप्त धन और सैन्य बल लगाना पड़ता था। इस वजह से दक्षिण में छत्रपति शिवाजी के विरूद्ध मुगल सेनाएं नहीं भेजी जा सकीं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को मिलाने वाला मार्ग बुंदेलखंड होकर ही जाता था, छत्रसाल ने यह रास्ता मुगलों के लिए असुरक्षित कर दिया था इस प्रकार छत्रसाल ने वह क्षेत्र हिन्दुओं के लिए सुरक्षित कर लिया था।

छत्रसाल ने अपने क्षेत्र के हिन्दू राजाओं को अपने दृढ़ निश्चय एवं हिन्दू धर्म रक्षक प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर एकत्रित व संगठित किया। मुगलों का बुंदेलखंड क्षेत्र से नामो निशान मिटा दिया।[7]

छत्रसाल अपने युग के एक महान योद्धा थे। उन्होंने स्वयं ही बहुत से युद्धों का नेतृत्व किया तथा साहित्यिक अभिरूचि होने की वजह से राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम की सुंदर कविताओं का सृजन भी किया। एक साथ ही किसी व्यक्ति में एक अच्छा योद्धा और कवि दोनों गुणों का उपस्थित होना आश्चर्यजनक है।

छत्रसाल ने अपने जीवनकाल में उत्तरोत्तर प्रगति की। ओरछा के छोटे से जमींदार के पुत्र ने स्वतंत्र हिन्दू राज्य की नींव डाली जिसमें ओरछा, दतिया, चंदेरी तथा सम्पूर्ण बुंदेलखंड का एक राज्य बना। छत्रसाल ने अपनी विजयों का प्रारंभ केवल पांच घुड़सवारों तथा पच्चीस पैदल सिपाहियों से किया और इस छोटी सी शुरूआत को एक वृहत राज्य में परिवर्तित किया जिसमें हजारों सिपाहियों व सरदारों की विशाल फौज थी। इसी फौज के बल पर छत्रसाल ने बुंदेलखंड क्षेत्र से मुगलों का नामोनिशान ही मिटा दिया था। मुगल फौजदारों से छत्रसाल कभी भी भयभीत नहीं हुए वरन् हर युद्ध में उनका डटकर मुकाबला किया और पराजित किया।

अपने प्रारंभिक काल में छत्रसाल को मिर्जा राजा जयसिंह तथा शिवाजी का सहयोग प्राप्त हुआ। शिवाजी ने ही छत्रसाल को एक कट्टर हिन्दू योद्धा बनाया और छत्रसाल के राजनैतिक गुरू भी शिवाजी ही थे।

शिवाजी और छत्रसाल के जीवन में बहुत सी बातें एक समान रहीं। दोनों ही छोटे–छोटे जागीरदारों के पुत्र थे। दोनों ही अपनी स्वयं की बहादुर व काबिलियत की वजह से महान योद्धा सिद्ध हुए। औरंगजेब जैसे कट्टर मुस्लिम शासक का मुकाबला भी दोनों ने ही किया, हिन्दू जनता का पूर्ण सहयोग व समर्थन भी छत्रसाल व शिवाजी दोनों को ही प्राप्त हुआ जिस प्रकार शिवाजी को रामदास जैसे गुरू प्राप्त हुए उसी प्रकार छत्रसाल को स्वामी प्राणनाथ का वरद हस्त प्राप्त हुआ। शिवाजी का युद्ध क्षेत्र विशाल रहा और उन्होने छत्रपति की उपाधि प्राप्त की जबकि छत्रसाल का क्षेत्र बुंदेलखंड तक ही सीमित रहा। छत्रसाल ने भी शिवाजी से ही प्रेरणा ग्रहण कर बुंदेलखंड को मुगल विहीन कर अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया।

छत्रसाल ने कुछ समय तक औरंगजेब की सेना में नौकरी भी की किंतु बाद में बुंदेलखंड राज्य से प्राप्त आय और कुछ बहादुर हिन्दू राजाओं के सहयोग से छत्रसाल ने उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के छक्के छुड़ा दिए। यद्यपि दतिया, ओरछा, चंदेरी के शासक मन ही मन छत्रसाल से ईर्ष्या–द्वेष की भावना रखते थे फिर भी छत्रसाल ने अपनी चतुराई तथा कूटनीतिक कौशल के सहारे अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। अनेकों बार व्यक्तिगत मजबूरी के कारण छत्रसाल मुगल सेना में भर्ती हुए। मुगल सेना में भर्ती होने से ईर्ष्यालु हिन्दू राजाओं को वे अपने कब्जे में ले सकें। ऐसी ही कूटनीतिज्ञता व बुद्धिमता से छत्रसाल बुंदेलखंड क्षेत्र के राजाओं को संगठित कर सके।

इतिहास को न जानने वाले अक्सर छत्रसाल को एक सशक्त डाकू या विद्रोही के रूप में ही जानते हैं, किन्तु छत्रसाल के सम्पूर्ण कार्य कौशल को देखकर कहा जा सकता है कि छत्रसाल शिवाजी और महाराजा रणजीतसिंह के समकक्ष ही थे। शिवाजी को महाराष्ट्र में वहाँ राजा–महाराजाओं का पूरा–पूरा सहयोग मिला था जबकि बुंदेलखंड के अधिकांश छोटे–छोटे जागीरदार व राजा मुगलों की सेवा व चापलूसी में ही अपना गौरव समझते थे, उन्हें छत्रसाल से ईर्ष्या थी। किन्तु विपरित परिस्थितियों में रहते हुए भी छत्रसाल ने एक स्वतंत्र, सशक्त हिन्दू राज्य कायम किया विन्ध्याचल क्षेत्र में जिस समय हिन्दू जाति और हिन्दू विचारधारा तथा धर्म पतन के गर्त में डूबते चले जा रहे थे तब छत्रसाल जैसे यशस्वी योद्धा ने अपने क्षेत्र का पुनरूद्धार कर उसे औरंगजेब जैसे आतातयी शासक के अत्याचारों से नष्ट होने से बचा लिया। यद्यपि छत्रसाल की बहादुरी और साहस तो प्रशंसनीय है ही और उसे एक स्वर से सभी ने मान्यता दी है किन्तु बहादुरी के साथ ही छत्रसाल के युद्ध कौशल की वजह से बुंदेले वीरों ने भारत के इतिहास में अपना स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। छत्रसाल आज 300 वर्षों बाद भी एक हिन्दू राष्ट्र–निर्माता के रूप में माने जाते है। सर यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने भी छत्रसाल की प्रशंसा में कहा है– छत्रसाल के यशस्वी जीवन का अंत 81 वर्ष की आयु में हुआ, जिसके दरम्यान उन्होंने बुंदेलखंड से मुगलों का नामो–निशान ही मिटा दिया।[8]

आज भी बुंदेलखंड की जनता छत्रसाल की मुक्तकंठ से प्रशंसा करती है और उनके सम्मान में प्रचलित दोहों को गाया करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शक्तिपुत्र छत्रसाल, पृष्ठ 235, सोमदत्त त्रिपाठी 'पथिक'
2. छत्रसाल ग्रंथावली, पृष्ठ 129, वियोगी हरि
3. हिन्दू कुल गौरव छत्रसाल, पृष्ठ 129–130, परशुराम गोस्वामी
4. छत्रसाल ग्रंथावली, पृष्ठ 81–82, वियोगी हरि
5. मराठों का नवीन इतिहास, पृष्ठ 108, सरदेसाई
6. शक्तिपुत्र छत्रसाल, पृष्ठ 245, सोमदत्त त्रिपाठी
7. हिन्दूकुल गौरव छत्रसाल, पृष्ठ 127, परशुराम गोस्वामी
8. हिन्स्ट्री ऑफ औरंगजेब, पृष्ठ 391, यदुनाथ सरकार

Relevance of Dr. Ambedkar's Philosophy in the Current Scenario

Dr. Rajendra Kumar Bhevandia

Asst. Professor - English

Keywords: Civilization, Caste, Patriotism, Nationalism, Untouchable, Social Welfare, Mobilization, Electoral Reforms, Starvation.

"Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them."

- William Shakespeare (Twelfth Night)

Introduction:

Greatness of a great person can be measured by the relation between what one professes and what is the truth, what one professes and how much of it one applies to oneself, and what effect one's words and deeds have on the society at large. In order to enhance human wisdom it is imperative that we keep on assessing the greatness of the great men of the past- not with intent to idolize, glamorize or demean them, but to unravel the hidden truths, if any, and to gauge the long term effects of that person's deeds on society. This historical wisdom shows the path of progress to the new generations and gives them opportunity to choose their ideals.

The latter half of the 19th century can be indisputably credited with giving birth to some of the greatest sons to mother India, who rose and shone like shining stars during the 20th century. During this period the resurgence of feelings of patriotism, nationalism and social justice and efforts to translate those feelings into action was unique and unparalleled. Baba Sahab Bhimrao Ambedkar was one of the brightest stars among them and despite having been born in the most under-privileged circumstances, he grew brighter and brighter with age and illuminated the minds of millions with truth. Baba Sahab had his mahanirvan on December 6, 1956, and today after many decades of his passing away, it is high time we attempt an assessment of the effect of thoughts and deeds of one of the greatest sons of the country.

Early Life

Dr. Ambedkar was born in an untouchable family, his mother had died at his tender age of six years, he was married at an early age and he had to face penury as his father had retired a few years after his birth and had remarried. The incidents that made him realize

that he was untouchable and so below the status of even the cattle were too frequent and too painful in his life. To quote one among them: *one day he was caught drinking water from a public water course and was thrashed badly for the same. Because of these reasons and psychological reactions thereof, he had not done too well in the High School examination and had barely managed to pass the examination, yet he had an unquenchable thirst to read and sensing this, his father decided to pursue his studies further.* Fortunately, the benevolent Maharaja of Baroda, highly impressed with the intellect of Bhim, sanctioned scholarship to him, which took him to the land of opportunities, i.e. United States of America for higher studies.

He was a multi-faceted personality and due to his sharp intellect, clarity of vision, integrity of thought and unadulterated courage to speak the truth he excelled in all fields that he chose to tread in. **Justice K. Ramaswamy** had aptly summarized his persona in his article titled **'B. R. Ambedkar: A Multidimensional Personality'** in the following words,

To put in a nutshell, Ambedkar is a prolific writer, a renowned economist, an assiduous anthropologist and sociologist, an eminent constitutional lawyer, a foremost social reformer, a profound thinker like Martin Luther to Protestant Christians, the brightest star and jewel of India. He was a profound thinker like Karl Marx, and Rousseau and that tribe, profound visionary and a nationalist to the core….. He had shown that birth in penury would stand no handicap for anyone dedicated to scale the heights of intellectual excellence by dint of hard work, assiduity, courage of intellectual conviction, honesty and relentless pursuit.

A deep probe into Dr. B. R. Ambedkar's personal life, his mission in life and his deeds would reveal that during his lifetime he had been under-studied and under-rated. His greatness is percolating gradually in the minds of the people of this country and abroad. His sympathy towards downtrodden and untiring efforts to ameliorate their condition were beyond comparison. All right thinking Indians accept him to be an intellectual giant, an accomplished economist, a social scientist, jurist and humanist. He was the prime architect of our Constitution.

There are two fundamental types of human nature- creative and possessive. Creative humans use human intellect for creative endeavors which enrich human thought, knowledge and wealth; thereby contribute to the development of human heritage for the posterity. Possessive people, on the other hand, do not believe in the use of human

intellect for creative purpose. Rather, they believe in appropriation, amassing and even usurpation of the products of the labor of the creative people. This type of people possess a strong urge to become the governing class by all means in order to achieve their aims. Lesser the degree of civilization in the society, greater is the probability of succeeding this type of people in becoming the governing class. ….. Karl Marx has scientifically analyzed this conflict by applying the principles of dialectical materialism to the sphere of social phenomenon and described it as the historical materialism.

Acquisition of Power

The most eminent mission of DR. Ambedkar's life was undoubtedly the unshackling of the bondages and upliftment of the depressed castes among Hindus. He was of the view that this is possible only through attainment of political power. Addressing a depressed class Railway Workmen conference in 1938 he had advised his brethren,

"You must abolish your slavery yourselves. Do not depend for its abolition on God or supermen. Your salvation lies in political power and not in making pilgrimages and observance of fasts. Devotion to scriptures would not free you from your bondage, want and poverty. Your forefathers have been doing it for generations, but there has been no respite, nor even a slight difference in your miserable life in any way. Like your forefathers you wear rags. Like them you subsist on thrown out crumbs; and like them you fall easy victims to diseases with a death rate that rages among poultry. Your religious fasts, austerities, and penances have not saved you from starvation. ... In short law is the abode of all worldly happiness. You capture the power of law-making. It is , therefore, your duty to divert your attention from fasting, worship and penance and apply it to capturing law-making power. That way lies your salvation. That way will end your starvation. Remember that it is not enough that a people are numerically in majority. They must be always watchful, strong, well-educated and self-respecting to attain and maintain success. ... We want our own people- people who will fight tooth and nail for our interest and secure privileges for under-privileged, people who will undo the wrongs done to our people, people who will redress our grievances fearlessly, people who can think, lead and act, people with principles and character- should be sent to legislatures. We must send such people to legislatures who will be subservient to none but remain free to their conscience and get our grievances redressed, ... The mission of our movement is to fight out tyranny,

injustice and false traditions, and undo all privileges and release the harassed people from bondage." And in order to emphasize this point he went to the extent of openly declaring, "Attempts to uplift my community rather than win Swaraj for the nation is my goal."

Change of Religion

Dr. Ambedkar, who had suffered the indignities and disadvantages thrust on him for having been born an untouchable Hindu, had fearlessly and unequivocally denounced its such tenets which created exploitative inequality among various castes and exhorted the depressed classes to change their religion in the following words:

"Religion is for man and not man for religion. If you want to organize, consolidate and be successful in this world, change this religion. The religion that does not recognize you as a human being, does not give you water to drink, or allow you to enter into temples is not worthy to be called a religion. The religion that forbids you to receive education, and comes in the way of your material advancement is not deserving of appellation 'religion'. The religion that does not teach its followers to show humanity in dealing with coreligionists is nothing but a display of force.... The religion that compels ignorant to be ignorant and the poor to be poor is not a religion but a visitation."

Ambedkar and Future of Indian Society

Ambedkar's writings, exhortations, untiring efforts and his inputs in the Indian constitution have undoubtedly had tremendous effect in raising the self-pride, aspirations, status and desire to unshackle themselves from the age-old bondages of the depressed classes. They have also helped in material advancement of some of them, who are proving to be role models for others to follow. Reservations for Scheduled Caste/ Schedule Tribes in recruitment and promotions in government services have ensured their easy entry into the bureaucracy. Many literary, social and political groups have been formed among Dalits to further the cause espoused by Ambedkar and to capture political power. Special provisions for S. Cs./S. Ts. in education have vastly helped in increasing their enrolment at primary level as well as in providing higher education to them. Among various government services S.C./S.T. groups and unions have also come up which are very active in furthering the interests of schedule caste/schedule tribe employees: Bam safe and DS-4 are noteworthy among them. Propelled by the government officials covertly and overtly, the conversion of S. Cs. to Buddhism is gaining momentum day by day.

Conclusion

Therefore, it can be confidently concluded today that Dr. Ambedkar has succeeded greatly in his mission 'to uplift his community.' However, a fair critique of the effect of Dr. Ambedkar's labors on the future of the nation as a whole requires consideration of many other factors and circumstances. The genius and genuineness of Dr. B. R. Ambedkar is beyond question and beyond compare and so are his success in his mission to uplift the Dalits; the consequences of his more noteworthy actions, although unintended, will most likely prove to be divisive and disastrous for this nation in the long run.

Bibliography:

1. Dr.Ambedkar: Life and Mission - DhananjayKeer
2. B. R. Ambedkar: Life Work and relevance - Edited by M. L. Ranga
3. Ambedkar and Nation Building – ShyamLal & K. S. Saxena
4. Life and Works of B. R. Ambedkar- S. R. Sharma
5. B. R. Ambedkar- His thoughts and Observations - S. N. Mandal
6. B. R. Ambedkar- A vision of Man and Morals -DR. D. R. Jatava
7. Internet information on B. R. Ambedkar
8. Ambedkar's speech, Janata, Nov, 20, 1937
9. The Free Press Journal
10. Dr. Babasaheb Ambedkar: writing and Speeches
11. Annihilation of caste- B.R. Ambedkar
12. Dr. B. R. Ambedkar as Humanist - Vijay Chintaman Sonavane
13. Outlook – August 2012 (Independence Day Special)

Renaissance: An Advent into A New Era

Dr. J.K. Sagore
Asst. Professor – English

Abstract

Renaissance, the greatest outbreak of art and literature in the history of the world happened during The Renaissance as artists and writers began to portray the realization of self and went above the medieval ideas to forge new visualization of the world. Renaissance revolutionized the entire way a man viewed his life. Artists and authors were on the leading edge of The Renaissance. Scientific advance during Renaissance crossed into many fields. Many discoveries were made about anatomy, discovery regarding some mathematics relationship in the world of nature created many questions. The present paper portrays Renaissance…. The age that sweeps new ideas and techniques which were never envisioned of in the medieval world. There is magnificent literary and artistic works that would help the philosophy of humanism become dominate; where significant invention like the printing press, the compass and gunpowder are few among them.

Keywords: Invention, Humanism, Influential, Reverence, Sculpture, Ornamental Relief,

Introduction

The Renaissance was a time of great social and cultural changes in Europe. It was a period characterized by innovations, imagination and creativity. The Renaissance was also a time during which Europe's classical past was revisited. Much of the inspiration behind cultural movement of The Renaissance came from peoples attempt to imitate and improve the legacies of classical European societies such as ancient Rome and Greece.

As The Renaissance flourished, the new idea "Humanism" would motivate man to attain new heights. Humanism and its writing of the past had on an indirect impact on science. When abstract ideas were simply accepted as truths. The curiosity, experimentation and acceptance of the result is most influential in the world of science.

During the middle ages, man thought that life on earth was based on the theory of fate, if you work hard, you would get a better life.

Church completely dominated the arts and the literature and its artist and writers do as they desired. However as Church and feudalism grew weaker, men began to reflect that there might be a greater purpose to the worldly life. Leonardo da Vinci, Dante and many

more could express their ideas freely with the support of powerful merchant families, who are also patron of arts. Most time was used for the decoration of churches, then during The Renaissance, the artists became more independent and highly regarded.

During The Renaissance, the use of mathematics and geometry is achieving perspective and proportions became common. The atmosphere in society was shifting and accepting the artistic innovations and experimentation.

The Science and The Renaissance

The scientific attitude based on experimentation and objectivity provided the further advances in science and had contributed scholastic thinking and immortal inventions. For example, gravity was believed to be the desire for all objects to be at the centre of the earth. Most of the scientific inventions during The Renaissance were made by the scholastic thinkers. Scholastic thinking was used to break the long belief that the entire physical universe was centered on human kind. The Scholastic thinkers were responsible for breakthrough thinking regarding the nature of the universe. In order to study the universe, the scientific scholars travelled to Padua, the home of Copernicus during 16^{th} century and Galileo and William Havey in the 17^{th} century. The scholars with scientific attitude, the objectivity and experimentation based mind advances in science in other parts of Europe.

Literature and The Renaissance

One of the famous writer was Dante Alighieri who wrote a deeply religious philosophy epic called “La Divina Commedia” (The Divine Comedy) during the 13^{th} century. The epic reflects his interest in all aspects of human life. Boccaccio wrote “Decamerone” is a collection of realistic prose tales, based on life and their witty observation and vivid descriptions. Their extreme reverence had the effect of encouraging the close imitation and copying of classical authors.

In Spain Cervantes wrote Don Quixote and in France, Pierre Ronsard used classical teachings and applied them to French Verse. Michel de Montaigne broke new ground by writing essays and feelings about the world around him. William Shakespeare and Christopher Marlowe wrote plays during the reign of Queen Elizabeth 1. During that period there is general consensus that only Latin had the capabilities for great writings. It is during the 16^{th} century, we can see the Italian literature in many parts of the Europe and many native languages opened the markets for their work.

Art and the Renaissance

During The Renaissance, painters began to depict the natural world, the artists improved nearly every aspects of anatomy, light and shadow. They used new techniques to venture landscape, portraits and scene from day to day life as well as scenes from history. During middle ages, there is attraction for religious nature and depicted religious themes. Times changed and by the 1400's there is demand for non religious nature increased portraits became popular. During the 15th century Lorenzo Ghiberti incorporated the effects of light and shade, possible only in paintings. He used sculpture as ornamental relief in religious themes but his contemporary Donatello used sculpts figures there were natural and could be viewed from all the three sides.

Philosophical trends also changed during The Renaissance. New ways of thinking sparked by a philosophy known as "Humanism" altered the way in which people thought about human beings and universe. During medieval times, the Catholic Churches had been the major force influencing people's thoughts and beliefs on these matters. However humanism did not promote the notion that humans are naturally sinful. The philosophical changes which occurred during The Renaissance also paved the way for another shift in thinking.

Religion and Thoughts : It is also during this period that the Scientific Revolution gained momentum and observation of the national world replaced religious doctrine as the source of our understanding of the universe and our place in it. Copernicus Up ended the ancient Greek model of the heavens by suggesting that the sun was the centre of the solar system and that the planets orbited around it. At the same time exploration colonization and the (often forced) Christianization of what Europe called the "new world" continued.

All of the movements involved changes in popular mentality that affected political organization. The Reformation included a concept of shared authority allowed protestant rulers break free from the power of the church and to seize control of the church possession.

Lastly as The Renaissance spread entirely created the new world and culture, the scholastic thinking and humanistic thinking both led to great advances and prepared the world for the thinkers and scientists of the 17th century.

तीर्थंकर महावीर विषयक संस्कृत जैन साहित्य

डॉ. संगीता मेहता
प्राध्यापक संस्कृत

देववाणी संस्कृत और उसका साहित्य अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध है। जैन संस्कृत साहित्यकार भी इस दिशा में अग्रसर रहे हैं। ईसवी सन् की द्वितीय शताब्दी से आज तक संस्कृत में साहित्य रचना करने का श्लाघनीय कार्य जैन संस्कृत रचनाकारों द्वारा अनवरत जारी है। काव्य निर्माण की दृष्टि से समन्तभद्र प्रथम जैन कवि हैं जिन्होंने ईसवी सन् की द्वितीय शताब्दी में संस्कृत स्तुति काव्य की रचना कर जैनों के मध्य संस्कृत काव्य का प्रवर्तन किया। समन्तभद्र द्वारा प्रवर्तित जैन संस्कृत साहित्य परम्परा वर्तमान शताब्दी तक विविध विधाओं में निर्बाध गतिशील है।

जैन संस्कृत साहित्यकारो ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में साहित्य सृजन कर अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा की अभिव्यक्ति धर्म, आचार, व्याकरण, कोश, छन्द, अलंकार, काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष्, श्रृंगार एवं कामशास्त्र, आयुर्वेद, संगीत एवं मंत्रशास्त्र आदि विविध विषयों में ग्रन्थों के सृजन के रूप में की। संस्कृत रचनाकारों ने जहाँ एक ओर संस्कृत साहित्य की श्रीसमृद्धि में अपना अमर योगदान किया है, वहीं दूसरी ओर विविध शास्त्रों के प्रति अपनी, सुरूचि और पाण्डित्य का भी दिग्दर्शन कराया है।

जैन धर्म के जटिल सिद्धान्तों एवं आचारधर्म का प्रतिपादन करना ही रचनाकारों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस हेतु उन्होंने तीर्थंकरों के जीवन चरित को आधार बनाया है। इस चरित साहित्य के विकीर्ण परिवार, समाज, संस्कार, शिक्षा, राष्ट्रधर्म, राज्यतंत्र, धर्म, संस्कृति तथा जैन दार्शनिक तत्वों को भी इसमें समाहित किया है।

समग्र जैन संस्कृत साहित्य भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के आधार पर गणधरों द्वारा निबद्ध द्वादशांग वाणी के दिव्य संदेश को विकीर्ण करने के उद्देश्य से लिखा है। अतः वर्धमान महावीर विषयक जैन संस्कृत का मूल आधार भी द्वादशांग वाणी ही है। तीर्थंकर महावीर के उदात्त जीवन एवं दर्शन पर आधारित संस्कृत पुराण, महाकाव्य, चरितकाव्य, गद्यकाव्य, कथा स्तोत्र आदि की सुदीर्घ श्रृंखला है जिसका नामोल्लेख इस प्रकार हैः–

पुराण

'पदमपुराण'–आचार्य रविषेण – (वि.सं. 634 ई.सन् 677)

'हरिवंश पुराण'–आचार्य जिनसेन (वि.सं.840)

'महापुराण'–आचार्य गुणभद्र (संवत 820)

'त्रिषष्टिशलाकापुरूष चरित्र'–आचार्य हेमचन्द्र (सन् 1160 व 1162)

'पुराण सार' श्री चन्द्र (वि. संवत् 1080) 'महापुराण' मल्लिषेण (वि. संवत 1104)

'चतुर्विंशतिजिनचरित' अमरचन्द्र 'पुराणसारसंग्रह' दामनन्दि

'त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र' पं. आशाधर (वि.स 1292)

'पुराणसारसंग्रह' एवं 'उत्तरपुराण'–भट्टारक सकलकीर्ति आचार्य जन्म वि.सं. 1443

कर्णामृत पुराण–प्रभाचन्द्र (स. 1688) 'महापुराण'–मेरूतुंग

'रायमल्लाभ्युदय'–उपाध्याय पद्मसुन्दर (वि.सं 1615)

महाकाव्य **वर्धमानचरितम्**–महाकवि असग, **वर्धमानचरितम्**–कवि पद्मनन्दि, **वीरवर्धमान चरितम्**–भट्टा. सकलकीर्ति, **वीरोदयकाव्य–**मुनिज्ञानसागर।

काव्य **जैन महावीर गीता**–श्रीमद् बुद्धि सागर सूरि, **वीर विभूति** – मुनि न्याय विजय।

शतक काव्य महावीरचरितम्–शिवप्रसाद भारद्वाज

गद्यकाव्य वर्धमानस्वामिचरितम् – पं रत्न श्रीपादशस्त्री हसूरकर
मंगलायतनम्–श्री बिहारीलाल शर्मा

चम्पू **वर्धमान चम्पू** – पं. मूलचंद शास्त्री।

स्त्रोत

श्री महावीर स्वामिस्तोत्रम् – श्री जिनवल्लभसूरि, श्री महावीरस्वामिस्तोत्रम् – श्री हेमचन्द्राचार्य अन्ययोगव्यवच्छेदिकाद्वत्रिंशिकाख्यं तथा अयोग्यवच्छेदिकाद्वत्रिंशिकाख्यं – आचार्य हेमचन्द्र, श्री वीरस्तव+ – जिनप्रभाचार्य, श्री वीरकल्याणस्तवः – जिनप्रभसूरि, श्री वर्धमानभक्तामरस्तोत्र – उपाध्याय अमरमुनि, वीरस्तवः– श्री ज्ञानसागर, वीरस्तवः– मुनि सोमसुन्दर सूरि, श्री महावीर जिनस्तुति – श्री उदयधर्मगणि, श्री वर्धमानजिनस्तोत्ररत्नम् – श्री वीरजिनस्तुति एवं पंचवर्गपरिहारस्तुति – मुनिसुन्दरसूरि, श्री वीरजिनस्तवनम् – श्री धर्मघोष सूरि, श्री महावीरस्तवः – श्री गुणविजयगणि, सकलार्हत्स्तोत्र – आचार्य हेमचन्द्र वीर भक्तामर – श्री धर्मवर्धन गणि, श्री नेमिवीर भक्तामर – बाबूलाल जैन, श्री महावीरस्तोत्र एवं वीरस्तव – श्री यशोविजय, श्री महावीर स्तवन – श्री आशाधर सूरि, पायात् सदा नः

प्रभुः – श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य, महावीराष्टक – श्री भागेन्दु, 'श्री वीर जिनस्तुति', 'महावीर स्तवन' 'श्री महावीर स्तुति', 'श्री तीर्थंकर स्तुति'–आर्यिका गणिनी ज्ञानमती 'स्तुति स्तवन', महावीराष्टक', आचार्य योगेन्द्र सागर। 'श्री वर्द्धमान स्तोत्र'–मुनि प्रणम्य सागर आदि।

समग्र जैन वाड्.मय महावीर के विराट व्यक्तित्व, उदात्त गुणों तथा अलौकिक विशेषताओं का मूर्त चित्रपट है। इतिहास और कल्पना का मृदुल मणिकांचन संयोग है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से श्रेष्ठ है। ऐतिहासिक चरित को कल्पना की कमनीयता के सहृदय संवेद्य बनाने का जैन–मनीषियों का यह श्लाघनीय प्रयास निःसंदेह अभिनन्दनीय और अभिवन्दनीय है।

भारतीय संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण – एक समीक्षा

डॉ. संध्या गोयल
सहायक प्राध्यापक – राजनीति विज्ञान

स्वाधीन राष्ट्र का अपना संविधान होता है। भारत का भी स्वयं का संविधान है, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश पराधीनता से स्वाधीन हुआ। ''26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से भारत की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के रूप में भारत का संविधान स्वीकार व अधिनियमित किया, यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।'' इसी दिन से भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया।

नगरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया, अर्थात वे 26 नवम्बर 1949 से लागू किये गये। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ और इस तारिख को संविधान में उसके प्रारम्भ की तारीख कहा गया।[1]

भारतीय गणतंत्र का संविधान भारत की जनता ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं बनाया। महात्मा गांधी ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत का राजनैतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। 1938 में पं. नेहरू ने संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से रखते हुए यह कहा – ''कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का सर्मथन करती है। उसने यह प्रस्ताव किया है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो व्यस्क निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित हो।[2]''

केबिनेट मिशन योजन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई, और इसी दिन डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसम्बर 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे अंत तक अध्यक्ष बने रहे। श्री वी. एन. राव को संविधान के संवैधानिक सलाहाकर के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसम्बर

1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध – 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। के. एम. मुंशी ने कहा था कि – ''नेहरू का उद्देश्य संबंधी यह प्रस्ताव ही हमारे गणतंत्र की जन्म कुण्डली है।''

भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्ट विभूतियाँ सम्मिलित थीं। संविधान सभा के सदस्यों में प्रसिद्ध अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षाविद्, उद्योगपति, लेखक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ आदि थे। संविधान सभा में पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, के. एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, पट्टाभिसीतारमैया, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा। संविधान सभा में नेहरू व पटेल शक्ति के केन्द्र बिन्दु थे। नेहरू आदर्शवादी थे तो प्रसाद व पटेल अनुभववादी व व्यावहारिक। डॉ. अम्बेडकर कानून के प्रकाण्ड पण्डित थे, तो गोपाल स्वामी आयंगर भी बहुत योग्य और अनुभवी थे। पटेल के प्रमुख परामर्शदाता के. एम. मुंशी और वी. पी. मेनन थे तो नेहरू के परामर्शदाता कृष्णास्वामी अय्यर और बी. एन. राव थे। संविधान सभा में गणमान्य महिलाएं थी जैसे : सरोजनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृतकौर।

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का मत था कि – ''संविधान सभा के जन्म के समय ही उस पर कुछ मर्यादाएं आरोपित की गयी थीं और संविधान सभा के लिए यह उचित था कि वह अपनी कार्यवाही के दौरान या कोई निर्णय करते समय इन मर्यादाओं को न भूलें और इनकी उपेक्षा न करें।[3]

प्रस्तावित संविधान के प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा सभा की विभिन्न समितियों ने तैयार की थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ थी –

(क) संघ शक्ति समिति – इसमें 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे पं. जवाहरलाल नेहरू।

(ख) मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति – इसमें 54 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।

(ग) कार्य संचालन समिति – इसमें 3 सदस्य थे – डॉ. कन्हैयालाल माणिलाल मुंशी (अध्यक्ष), श्री गोपाल स्वामी आयंगर और श्री विश्वनाथ दास।

(घ) प्रांतीय संविधान समिति – 25 सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल।

(ङ) संघ संविधान समिति – 15 सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष थे पं. नेहरू। संविधान का प्रारूप सर वी. एन. राव ने तैयार किया।

ये संविधान सभा के सलाहकार थे। इस प्रारूप की समीक्षा के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गयी, जिसके अध्यक्ष थे सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर।[4] इन समितियों के प्रतिवेदनों पर साधारणतः विचार–विमर्श करते हुए सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति की स्थापना की जिसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति ने सभा के विनिश्चयों को और उसके साथ आनुकल्पिक और अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया।

संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में संविधान निर्माण का महान कार्य पूरा किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 26 नवम्बर 1949 को अपने भाषण में कहा था कि – ''संविधान सभा कुल मिलाकर एक ऐसे–संविधान का निर्माण करने में सफल हुई जो देश के व्यापक हितों में था, क्योंकि अंततः संविधान अपने में मशीन की तरह जड़ है। इसको जीवन मिलता है – उन लोगों के कारण जो इसको क्रियान्वित और नियंत्रित करते हैं।[5]''

भारतीय संविधान की रचना सहमति द्वारा की गयी। पं. नेहरू ने निम्न शब्दों में इसकी स्थिति का स्पष्टीकरण किया – ''यह सदन प्रभुता सम्पन्न संस्था है और चाहे जो कर सकती है। लेकिन यह सदन करती वही है, जिन्हें करने का उसने निर्णय कर लिया है।..... इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि यह सदन चाहे तो इसे कल से या जब से यह चाहे विधान सभा के रूप में कार्य करने का अधिकार है।[6]'' इस प्रकार संविधान सभा का कार्य दो प्रकार का था, एक संविधान निर्माण के कार्य को पूरा करना व दूसरा जब तक नए संविधान के अधीन विधान मंडल का गठन नहीं हो जाता, तब तक डोमिनियन विधान मण्डल के रूप में कार्य करना।

''संविधान सभा में अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की तीन प्रतियाँ सभा–पटल पर रखी गई। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी की थी जिस पर कलाकारों द्वारा कलाकृतियाँ अंकित की गयी थी। दूसरी अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी, तीसरी हिन्दी की हस्तलिखित प्रति थी। सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जन–गण–मन तथा वन्दे मातरम् के गायन के साथ संविधान सभा का

संविधान–सभा के रूप में समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की अन्तर्कालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ।[7]''

भारतीय संविधान पर संविधान निर्माताओं की विचारधारा का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। इसमें चार विभिन्न विचारधाराओं के सामंजस्य का प्रयास हुआ है।

संविधान सभा के प्रमुख कर्णधार सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी तथा श्री एम. गोपाल स्वामी आयंगर और अन्य व्यक्ति ब्रिटिश लोकतंत्र के निष्ठावान समर्थक थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधिशासन और उत्तरदायी सरकार इसके मूल तत्व है। पं. जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1930 से ही समाजवादी विचाधारा का पक्षपोषण कर रहे थे। उनका विश्वास था कि समाजवाद के सामाजिक पहलुओं का लोकतांत्रिक सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तीसरी विचारधारा महात्मा गांधी की थी। संविधान सभा में गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित बहुत से सदस्य थे और वे अस्पृश्यता उन्मूलन, मद्यनिषेध, महिलाओं को समान अधिकार, ग्राम पंचायतों का महत्व और ग्रामीण घरेलू उद्योग जैसे कुछ गाँधीजी के उपदेशों का संविधान में समावेश कराने में सफल हुए। अंत में 1919 के मान्टेग्यू चैम्स फोर्ड सुधारों ने भारत के लिए संघात्मक संवैधानिक आधार उपयुक्त समझा। यही विचार भारत शासन अधिनियम 1935 में भी व्यक्त किया गया, जिसमें संघात्मक शासन–प्रणाली की व्यवस्था थी, परन्तु इसमें संसद को सर्वोच्च शक्तिशाली माना गया.....। परन्तु केबिनेट मिशन प्लान ने एक ऐसा संघ बनाया जिसमें केन्द्र को न्यूनतम शक्तियाँ और यूनिटों को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की गयी।[8]

भारतीय संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में किया गया था, वे पारिस्थितियाँ निःसंदेह आज की स्थिति से पूर्णतया भिन्न थी। भारतीय संविधान का निर्माण एक निश्चित पृष्ठभूमि में हुआ, इसको प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली तत्व स्वतंत्रता आंदोलन के समय निर्मित वातावरण या परिस्थिति थी। गांधी, नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. अम्बेडकर जैसी विलक्षण प्रतिभाओं का योगदान इसके निर्माण में रहा। अतः उनके मूल्यों, सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्टतः दिखाई देता है।

भारतीय संविधान के पाँच आधारभूत सिद्धांत है : स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता एवं गणतंत्र। जिसकी बागडोर न्याय के हाथों में रहती है। संविधान की सुरक्षा और उनकी प्रगति इन तत्वों के एक साथ मिलकर काम करने में निहित है। इनमें तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि इनमें से एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है।

''मूलतः भारत के संविधान का सरोकार दो मामलों से है – न्याय–समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा व्यक्ति के स्वातंत्र्य अधिकार। विश्लेषण से पता चलता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के भी दो उद्देश्य हैं। पहला, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और दूसरा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 'विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' के साथ 'व्यक्ति की गरिमा' को सुनिश्चित करना। अतः संविधान इस प्रकार बनाया गया ताकि इन दोनों उद्देश्यों का बिल्कुल स्पष्ट निरूपण हो जाये। संविधान की योजना यह थी कि आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को एक ऐसा लक्ष्य माना जाये, जिस तक हमें पहुँचना है और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को एकदम एक वर्तमान यथार्थ।[9]

संदर्भ ग्रंथ :

1. बसु, दुर्गावास : *भारत का संविधान,* पैट्रिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली – 1997, पृ. 19
2. बसु, दुर्गावास : पूर्वोक्त, पृ. 14
3. सी.ए.डी. जिल्द I, भारत सरकार, पृ. 51
4. बसु, दुर्गावास : भारत का संविधान–एक परिचय, पृ. 19, पूर्वोक्त
5. *सी.ए.डी.* जिल्द II, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 984
6. *सी.ए.डी.* जिल्द V, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ. 32,
7. काश्यप, डॉ. सुभाष : *भारत का संविधानिक विकास एवं स्वाधीनता संघर्ष,* रिसर्च प्रकाशन, नई दिल्ली – 1972, पृ. 323–324
8. शकधर श्यामलाल : *संविधान और संसद,* नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1975, पृ. 6–7,
9. काश्यप, डॉ. सुभाष : *भारत का संविधानिक विकास एवं स्वाधीनता संघर्ष,* रिसर्च प्रकाशन, नई दिल्ली – 1972, पृ. 326

The Depiction of Women Characters and Their Dilemmas in Vijay Tendulkar's *"Silence…The Court is in Session"*

Dr. S. S. Thakur Asst.
Asst. Prof. of English
&
Dr. (Mrs.) Anita Thakur*

Abstract

"Silence! The Court is in Session" is a miniscule cross-section of middle-class society and its theme is the social criticism of the same. The drama troupe represents the typical middle class thwarted by the dictates of custom and doctrines of society. In each one of them is reflected the aspiration to soar to new heights.

In Vijay Tendulkar's Silence! The Court is in Session the woman is cast as a scapegoat within a society fierce against violation of entrenched law and custom. Even violence is mobilized to preserve social sanctity. In spite of drawing room exclamations on protection of the weaker sex, often no leniency is shown the woman on pretext of her gender-particularly when massed public opinion categorizes her as immoral. She stands condemned before the trial.

The playwright seems to be raising the question of humanity amidst mankind of the present generation. But upon trying to define the moral identity of the society, he comes up with the perplexing notion that humanity and morality are two parallel lines that never meet. The ambiguity that pervades such situations leaves questions more potent than the satire. The issues of morality and conscience have been a moot point from time immemorial. In the Biblical passage where in the crowd brings the adulterous woman for condemnation, before the Rabbi Jesus, known for his mercy-the only rejoinder he gives is "he who is without sin among you, let him throw a stone at her first" (John.8:7). In short, you cannot be moral and human together. Tendulkar's works display, as his critics say a topicality vying with universality. Silence! The Court is in Session has an open-ended conclusion, where the search for ultimate values and truth remain unanswered. As Pinter said upon winning the Nobel Prize, "Truth in drama is forever elusive. You never quite find it but the search for it is compulsive ... The search is your task."

The purpose of the paper is to unveil the hypercritic traditional male-dominated society that cannot relinquish its paralyzed values and customs. The society does not like to perceive or receive any social change. Tendulkar presents a treatment of those ugly ways of society in this play. It is a bitter satire against the social ills and an interesting attempt to criticize the follies that prevail in our society.

Key Words: Silence, Scapegoat, Violence, Law and Custom, Social Animal, Weaker Sex, Mankind, Condemnation etc.

"Silence! The Court is in Session" is a drama-within-the-drama, which is all about Ms. Leela Benare, the female protagonist of the play, a young woman of thirty-four, a schoolteacher by profession. She loves life and is full of spirits. She is very proud of her performance as a teacher and feels that her life is her own and no one has got the right to interfere in it. As long as she is good at her profession and does her job well, that is the end of the matter, and there is no sense in mixing her personal life and conduct with that of her profession.

Benare, the lady lead, is unmarried, sexually exploited and has to abort her pregnancy to maintain the facade of honour. She is a member of an amateur group of actors of Bombay who perform plays in around the city as the occasion demands. She arrives at a suburban village along with the troupe. The members of the dramatic troupe have plenty of time on hand before the performance. So they plan to enact a mock trial to initiate the local hand Samant into the intricacies of Court procedure and later using him as a replacement. They will have a trial on Benare, as it is nothing more than a harmless game. She is cast in the role of an unmarried young girl accused of an abortion and abused on legal and ethical grounds. Soon the game begins to take on a serious aspect. They make (supposedly mock) accusations against Benare that are based partly on conjecture, partly on hearsay. But they carry hidden venom and hurt Benare deeply. Benare is alleged to have seduced every male present in the group and lured him into marriage. Ironically enough, it is the local 'innocent' who drives the last nail on the coffin. In his excitement, he reads out a passage from the novel. As if by coincidence, the details seem to fit Benare's case. During the course of the rehearsal, Benare breaks down because of the striking similarity of the character with her own life. The external appearance gives way to the truth about the life of Benare, the play taking a bow to the stark realities of real life.

Benare understands that the game is carried too far and is becoming hurtingly more personal. She wants to get of the scene by protesting against the indecent conduct of her colleagues. But the door latch gets stuck up and she like a trapped animal. What began as a game has evolved into a hunt. Benare is the quarry and the group ;becomes the accuser and judge rolled into one. They pronounce a savage sentence on her that the illegitimate infant in her womb must be destroyed and she must be dismissed from her teaching job, her only source of sustenance. But as irony would have it, Prof. Damle, a married man with children, who has been responsible for making Benare pregnant, is let scot-free. In a long soliloquy, Benare flings at men who profess love but, in fact, only hunger for the flesh.

If Shakespearean Jacques speaks of the world being a stage, with people playing various roles, Tendulkar orchestrates a twist to it by allowing the stage and characters to dramatically transform itself into life in reality in this drama within drama. The complexity of the theatrical form in his plays expresses the nuances of life and existence. Pointing at the theatricality of his works only adds to his capability in correlating the social function of drama, with artistry. This play within the play, intended for educational entertainment becomes gruesome and stifling for some of the actors themselves. Tendulkar makes a satirical picture of the bigwigs in the social pyramid like the social workers, scientists and lawyers who maintain a high profile in society. They join hands to harass a poor schoolteacher and find a perverse pleasure in digging out the skeletons in her past. They shake fingers at her as though they were all saints and she the only sinner. In the principal character Leela Benare, Tendulkar brings out the portrait of the modern Indian woman, cheated both by family and society and is not even allowed to live on. The Indian society with all its hypocrisy, taboos and social stigmas and the gossiping nature of people which destroys others lives is given a subtle portrayal by Vijay Tendulkar.

The members occupying varying social status in society are depicted in the characters like the husband/wife duo – Kashikar who plays the judge, the prosecutor Sukhatme who also switches role as defense attorney for the leading character Ms Benare!, Samant, the simple villager who projects innocence in the cast and often exhibits disbelief on the accusations made, Ponkshe a scientist to whom she proposes in despair and who callously exposes the story of Ms. Benare, Karnik, the theatre personality, who cooks up a story about Ms. Benare, and Balu Rodke (the boy brought up on charity by the social worker Kashiker, much to his disappointment) who is forced to give evidence that Ms.

Benare was a woman of loose character. The missing cast member is the extremely educated Professor Damle, the counterpart in the crime of infanticide who cleverly absconds from the scene and is not considered as heinous as Ms. Benare, despite equal share in wrongdoing. Thus, Tendulkar's play is a multi edged satire on society – satire on system of marriage in Kashikar couple; satire on system of knowledge in Ponkshe and Damle; satire on the judicial system through the entire plot of the play. While his contemporaries were still safely dabbling in the technicalities of social realism, Tendulkar breaking all conventionalities brought in radicalism in his works exposing the political hegemony of the powerful, and the prevalent hypocrisies underlying society.

An aspect to be focused on in Tendulkar's plays is the projection of women characters and their dilemmas, often causing his works to be termed feminist classics. In *Silence! The Court is in Session*, Benare cornered by the society stands in relief as the victim of sadism by her male colleagues. It is an acerbic comment on society's heavy patriarchal bias and on the system of law and order like the judiciary, which ultimately turn out to be vehicles of oppression of women. The systems of governance use strategies such as conditioning in order to manufacture people to fit into the regulated moulds in society. Leela Benare, a complex and unusual woman, who was crucified due to her illegitimate love, attempts suicide because of these systems of society. She was misused and utilized in her adolescence by her maternal uncle and later as a woman by Prof. Damle. She confesses in court:

BENARE: [.....] How was I to know that if you felt ... that just being with him gave a whole new meaning to life- and if he was your uncle, it was a sin! .... I insisted on marriage.... And my brave man turned tail and ran ... I threw myself off a parapet of our house – to embrace death. But I didn't die [....] Again I fell in love. I thought, this will be different. It is love for unusual intellect-its worship! I offered up my body on the altar of my worship. And my intellectual god took the offering-and went his way.

The gender discrimination widely prevalent in Indian middle class values is also projected by Tendulkar throughout the play, particularly in the depiction of the married couple – Mr. & Mrs. Kashikar. The husband constantly puts down the wife in public throughout the mock rehearsal. He snubs her ignorance and lack of economic power. Mrs. Kashikar emerges as another stereotype in Indian social settings where the economically less powerful female tries to bring down their own sex from liberal life due to jealousy. She

too is guilty of the same crime but is rescued by her social status as is covertly hinted at by Tendulkar. Since she conforms superficially to the accepted norms as delineated by the system of male supremacy, she is part of the protected group. But Benare is considered expendable since society is to be 'purified' by eradicating any threat to the system.

The privacy of the woman is violated and her individuality is splintered into ruins in the course of the play. The psychological trauma inflicted on her as charge after charge is leveled against her leaving her no loophole of escape build in an atmosphere of grim execution. The dialogues utilized in the mind games characterize the verbal and psychological violence increasingly becoming part of modern life. Through this play the audience is brought to realize that the conforming socially upright citizens are the most violent of all and often institutions of morality and order are more destructive than crime. The actual state of humanity in modern society is given in Leela Benare's broken words:

BENARE: [...] These are the mortal remains of some cultured men of the twentieth century. See their faces-how ferocious they look! Their lips are full of lovely worn out phrases! And their bellies are full of unsatisfied desires.

In Vijay Tendulkar's *Silence! The Court is in Session* the woman is cast as a scapegoat within a society fierce against violation of unshakable law and custom. Even violence is mobilized to preserve social sanctity. In spite of drawing room exclamations on protection of the weaker sex, often no leniency is shown the woman on pretext of her gender-particularly when massed public opinion categorizes her as immoral. She stands condemned before the trial.

REFERENCES

- Collected Plays in Translation *New Delhi, 2003, Oxford University Press*. ISBN 0195662091.
- Dass, Veena Noble. "Women characters in the plays of Tendulkar," *New Directions in Indian Drama*, ed. Sudhakar Pandey & Freya Barya (Prestige Books: New Delhi,1994).
- Five Plays *(Various Translators), Bombay, Oxford University Press, 1992* ISBN 0195637364.
- Ghashiram Kotwal, *Sangam Books, 1984* ISBN 817046210X.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Tendulkar
- Kanyādān, *Oxford University Press, India, New Ed edition, 2002* ISBN 0195663802.
- Mitrāchi Goshta : A Friend's Story: A Play in Three Acts *Gowri Ramnarayan (Translator). New Delhi, Oxford University Press, 2001* ISBN 0195653173.
- Modern Indian Drama: An Anthology *Sāhitya Akademi, India, 2001* ISBN 8126009241.

- Reddy, P.Obula. "The Violence of Middle Class: A Study of Vijay's Tendulkar's Silense! The Court is in Session," *Indian Literature Today*, ed. R. K. Dhawan (Prestige Books: New Delhi.1998, vol. I.).
- Silence! The Court Is in Session (Three Crowns). *Priya Adarkar (Translator), Oxford University Press, 1979*.ISBN 0195603133.
- The Churning, *Seagull Books, India, 1985* ISBN 0856471208.
- The Cyclist and His Fifth Woman: Two Plays by Vijay Tendulkar *Balwant Bhaneja (Translator), 2006 Oxford India Paperbacks* ISBN 0195676408.
- The Last Days of Sardar Patel and The Mime Players: Two Screen Plays *New Delhi, Permanent Black, 2001* ISBN 8178240181.
- The Threshold: (Umbarthā - Screenplay), *Shampa Banerjee (Translator), Sangam Books Ltd.,1985* ISBN 0861320964.
- Vijay Tendulkar. *Five Plays*. (Bombay: OUP, 1992).

*Associate Prof., Communication Skills, Dept. of Humanities
Acropolis Institute of Technology & Research, Indore (MP)